लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खंड ३, १९५५

(२० अप्रैल से ७ मई, १९५५)

1st Lok Sabha

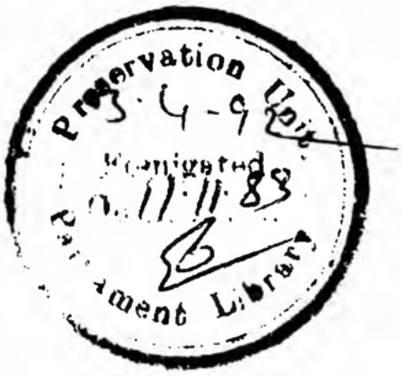

नवम् सत्र, १९५५

(खण्ड ३ में अंक ४१ से ५२ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

(खंड ३, अंक ४१ से ५२—२० अप्रैल से ७ मई, १९५५)

अंक ४१—बुधवार २० अप्रैल, १९५५

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३९९, २४०१, २४०३, २४०५, २४०९, २४११, २४१४ से २४१९, २४२१ से २४२३, २४२६, २४२७, २४२९ से २४३६, २४३९, २४४०, २४४२, २४४३, २४००, २४०४, २४०६ और २४१३ . . . . . २९७३—३०१५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४०७, २४०८, २४१२, २४२०, २४२४, २४२५, २४२८, २४३७ और २४४१ . . . . ३०१५—१९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९०९ से ९११, ९१३ से ९४५ और ९४७ . ३०१९—४२

अंक ४२—शुक्रवार, २२ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या २४७७ से २४८३, २४८६ से २४८८, २४९०, २४९१, २४९३ से २४९५, २४९८, २५०१, २५०२, २५०४ से २५०६, २५०८ से २५१०, २५१२, २५१६ और २५१७ . . . ३०४३—७९

अल्पसूचना प्रश्न संख्या ९ . . . . . ३०८०—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४४४ से २४७६, २४८४, २४८५, २४८९, २४९२, २४९९, २५००, २५०३, २५०७, २५११, २५१३ से २५१५, २५१८ और २५१९ . . . . . ३०८७—३१११

अतारांकित प्रश्न संख्या ९४८ से ९८३, ९८५ से ९९१ और ९९३ . ३१११—३१४०

अंक ४३—सोमवार, २५ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २५२१, २५२४ से २५२६, २५४०, २५४२, २५४४ से २५४७, २५५०, २५५२, २५५५ से २५५७, २५५९, २५६२ से २५६४, २५४१ और २५३८ . . . . . ३१४१—६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या २५२०, २५२२, २५२३, २५२७ से २५३७, २५३९, २५४३, २५४८, २५४९, २५५१, २५५३, २५५४, २५६० और २५६१ ३१६५---३१७७

अतारांकित प्रश्न संख्या ९९४ से १०१९ और १०२१ से १०४३ . ३१७८---३२०८

अंक ४४---मंगलवार, २६ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या २५६५ से २५६८, २५७०, २५७३, २५७४, २५७७, २५७९, २५८०, २५८२, २५८४, २५८५, २५८७, २५८८, २५९० से २५९७, २५९९, २६०२, २६०३, २५७८ तथा २५६९ . ३२०९---३२४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या २५७१, २५७२, २५७५, २५७६, २५८१, २५८३, २५८९, २५९८, २६००, २६०१, २६०४ . . . ३२४७---३२५२

अतारांकित प्रश्न संख्या १०४४ से १०५७, तथा १०५९---१०७० . ३२५२---६८

अंक ४५---बुधवार, २७ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या २६०५, २६०७, २६०८, २६१० से २६१८, २६२० से २६२२, २६२४, २६२५, २६३०, २६३२ से २६३४, २६३८, २६४०, २६४२, २६४५ से २६४९, २६५१, २६५६, २६५६-क, २६०६, २६२८ और २६५३ . . . . ३२६९---३३१२

प्रश्नों के लिखित उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या २६०९, २६१९, २६२३, २६२७, २६२९, २६३१, २६३६, २६३७, २६३९, २६४१, २६४३, २६४४, २६५०, २६५२, २६५४, २६५५ और २६५७ . . . . ३३१२---३३१९

अतारांकित प्रश्न संख्या १०७१ से ११०४, ११०४-क और ११०४-ख ३३१९---३३४०

अंक ४६—गुरुवार, २८ अप्रैल, १९५५

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६५८ से २६६२, २६६४, २६६७, २६७० से २६७२, २६७४ से २६७७, २६७९, २६८२ से २६८४, २६८६, २६८७, २६८९, २६९०, २६९०—क, २६९१, २६९२, २६९३—क, २६९४, २६९६, २६९८, २६९३, २६९६, २६८५, और २६९९ ३३४१—३३८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६६५, २६६८, २६७३, २६७८, २६८०, २६८१, २६८८, २६९३, २६९५, २६९७ और २६९९ ३३८८—३३९३

अतारांकित प्रश्न संख्या ११०५ से १११८, ११२० से ११२७, ११२९ से ११५३ और ११५३—क. ३३९३—३४२६

अंक ४७—शुक्रवार, २९ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७००, २७०१, २७०३, २७०६, २७१२, २७१३, २७१५, २७१८, २७२२ से २७२५, २७०९ और २७१० ३४२७—३४४५

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि— ३४४५-३४४६

तारांकित प्रश्न संख्या २७११ ३४४६-३४४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७०२, २७०४, २७०५, २७०७, २७०८, २७१४, २७२०, २७२१ और २७२६ ३४४७—३४५१

अतारांकित प्रश्न संख्या ११५४ से ११६०, ११६१ से ११८७ ३४५१—३४७०

अंक ४८—सोमवार, २ मई, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १० ३४७१—३४७४

अंक ४९—मंगलवार, ३ मई, १९५५

	स्तम्भ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २७२८, २७२९, २७३१ और २७३२	३४७५-३४८१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २७२७ और २७३०	३४८१-३४८३
अतारांकित प्रश्न संख्या ११८८ से ११९४	३४८३-३४८८

अंक ५०—बुधवार, ४ मई, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ और १२	३४८९-३४९४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३	३४९४-३४९६

अंक ५१— गुरुवार, ५ मई, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	३४९७
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १४ और १५	३४९७-३५०६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६	३५०६

अंक ५२—शनिवार, ७ मई, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १७ और १८	३५०७-३५१२
अनुक्रमणिका	१-८९

लोक-सभा

शुक्रवार २९ अप्रैल, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

लोक प्रशासन संस्था

*२७००. **श्री राधा रमण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक प्रशासन संस्था ने एक लोक प्रशासन स्कूल स्थापित करने की योजना पर अन्तिम निश्चय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस स्कूल के निश्चित कार्य क्या हैं और अभी तक क्या कार्य आरम्भ किया जा चुका है; और

(ग) क्या लोक प्रशासन संस्था ने अपने कार्य का कोई कार्यक्रम बनाया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). लोक प्रशासन संस्था एक स्वायत्तशासी संगठन है और उस का पंजीयन संस्था पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत किया गया है ।

अभीष्ट जानकारी संस्था के प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन और संस्था की पत्रिका के प्रथम अंक में है जिसकी प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

श्री राधा रमण : क्या इस संस्था के संचालन के सम्बन्ध में सरकार का कोई

उत्तरदायित्व है और क्या कोई निश्चित राशि उसे दी जा रही है ?

श्री दातार : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, सरकार का कोई उत्तर-दायित्व नहीं है । और बाद के भाग के सम्बन्ध में, सरकार अनुदान दे रही है और १९५४ के वर्ष में संस्था को १,७५,००० रुपये दिये गये थे ।

श्री राधा रमण : क्या सरकार को पता है कि लोक प्रशासन संस्था के अधीन स्थापित किया जाने वाला स्कूल कब काम करना शुरू करेगा ?

श्री दातार : सरकार को इस समय कुछ भी पता नहीं कि वह कब काम करना शुरू करेगा ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि इस विद्यालय में इंडियन एड्मिनिस्ट्रेटिव सर्विस या प्राविंशियल सर्विस के लोगों को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की जा रही है या केवल सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को ?

श्री दातार : जहां तक मैं समझता हूं यह संस्था लोक प्रशासन के महत्वपूर्ण पहलुओं के सम्बन्ध में प्रशिक्षण देगी । यह सभी बड़े पदाधिकारियों के लिये खुली होगी ।

श्री वी० मुनिस्वामी : क्या योजना आयोग ने इस सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की हैं; यदि हां, तो उन को किस हद तक कार्या-न्वित किया गया है ?

श्री दातार : जहां तक योजना आयोग का सम्बन्ध है, उन्होंने इस बारे में इस बात

के सिवा और कोई सिफारिश नहीं की है कि ऐसी एक संस्था खोली जानी चाहिये ।

औद्योगिक उपकर

*२७०१. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रविधिक शिक्षा के लिये सरकार का विचार कोई उपकर लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह किस तारीख से लगाया जायेगा और उस की दर क्या होगी ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) ऐसी कोई तजवीज़ विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री विभूति मिश्र : हिन्दुस्तान में टेक्निशीयंस की संख्या बढ़े और उन को शिक्षा दी जाय, इस के बारे में सरकार क्या सोच रही है ?

डा० एम० एम० दास : देश में टेक्निशीयंस की संख्या बढ़ाने के लिये सरकार के पास अनेक योजनायें हैं, उन में से कुछ कार्यान्वित की जा चुकी हैं और कुछ कार्यान्वित की जा रही हैं ।

श्री विभूति मिश्र : अब तक कितने टेक्निशीयंस को सरकार शिक्षा दे पाई है ?

डा० एम० एम० दास : यह एक भिन्न प्रश्न है और मैं इस के लिये पूर्व सूचना चाहूंगा ।

भारतीय वायुसेना पदाधिकारी

*२७०३. **श्री इब्राहीम** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने भारतीय वायुसेना पदाधिकारियों को बढ़े हुये विमान यातायात नियंत्रण के प्रशिक्षण के लिये ब्रिटेन भेजा गया है; और

(ख) कितने लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर लौट आये हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) अभी तक भारतीय वायुसेना के दो पदाधिकारियों को विमान यातायात नियंत्रण पदाधिकारी अभ्यास का प्रशिक्षण दिया जा चुका है ।

(ख) दो ।

श्री इब्राहीम : इस प्रशिक्षण पर क्या व्यय किया गया ?

सरदार मजीठिया : लगभग ४५० पौण्ड शिक्षा शुल्क तथा पदाधिकारियों को दिये जाने वाले अन्य सामान्य भत्ते ।

श्री इब्राहीम : क्या इस प्रशिक्षण के लिये किसी नये दल को विदेश भेजा जा रहा है ?

सरदार मजीठिया : शायद एक पदाधिकारी इस वर्ष जायेगा ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या इन पदाधिकारियों को विमान यातायात के प्रत्येक भाग के प्रशिक्षण की अनुमति है या केवल खुली सूची के विषयों का प्रशिक्षण उन्हें दिया जाता है, गुप्त सूची के विषयों का नहीं ?

सरदार मजीठिया : गुप्त विषयों की कोई सूची नहीं है । वे विमान यातायात नियंत्रण प्रशिक्षण के लिये जाते हैं जिस का अर्थ है उड़ने वाले विमान का ख़राब मौसम में कैसे नियंत्रण किया जाय ।

चार्टर्ड लेखापाल विनियम

*२७०६. **श्री सी० आर० नरसिंहन्** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चार्टर्ड लेखापाल संस्था ने १९५३ में चार्टर्ड लेखापाल अधिनियम, १९४९ के अधीन निर्मित विनियमों

का इस प्रकार संशोधन किया कि उक्त अधिनियम तथा पूर्व लेखापरीक्षक प्रमाणपत्र नियम, १९३२ के अधीन वाणिज्य स्नातकों को दी गयी रियायतों को हटा दिया जाय;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस संशोधन का अनुमोदन करने के पूर्व विश्वविद्यालयों से परामर्श किया था ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) जी हां, संशोधित विनियम १ जुलाई, १९५६ से लागू होंगे ।

(ख) सभी श्रेणियों के स्नातकों को समान अवसर देने तथा परीक्षार्थियों के स्तर तथा योग्यता को ऊंचा उठाने के लिये रियायतों को वापस ले लिया गया ।

(ग) जी नहीं ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : क्या सरकार ने स्वयं इस व्यवसाय में अच्छे प्रकार के लोगों को आकर्षित करने के लिये लेखापाल प्रमाणपत्र नियम, १९३२ के अधीन मूल रूप से यह रियायतें नहीं दी थीं ?

श्री बी० आर० भगत : यह रियायतें अच्छे प्रकार के उम्मीदवारों को आकर्षित करने के लिये नहीं दी गयी थीं बल्कि चार्टर्ड लेखापाल अधिनियम, १९४९ के पारित किये जाने के दौरान दिये गये अभ्यावेदनों पर दी गयी थीं । चार्टर्ड लेखापाल संस्था ने अनुभव किया कि परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों का योग्यता-स्तर संतोषजनक नहीं था और उनमें से बहुत से परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए थे । इस व्यवसाय की विशेषता को बढ़ाने के लिये यह रियायत वापस ली गयी है ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : क्या यह विश्वविद्यालयों से निकलने वाले विद्यार्थियों का अपमान नहीं है ? मैं इसे दूसरे रूप में पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि वाणिज्य स्नातक अपनी सामान्य पढ़ाई में वही सब विषय नहीं पढ़ते जो चार्टर्ड लेखापालों की प्रथम परीक्षा के लिये विहित हैं; और क्या सरकार पूर्वस्थिति स्थापित करने का परामर्श नहीं देगी ?

श्री बी० आर० भगत : अन्तर्विश्वविद्यालय बोड ने बताया है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में वाणिज्य स्नातक परीक्षा का पाठ्यक्रम तथा स्तर भिन्न भिन्न हैं । उन्होंने एक एकरूपीय पाठ्यक्रम का सुझाव रखा है और वह उसे लागू करने जा रहे हैं ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : यदि वह पाठ्यक्रम बन जायेगा तो क्या यह रियायत फिर से लागू कर दी जायेगी ?

श्री बी० आर० भगत : हम ने बोर्ड को लिख दिया है और हम उन के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

राष्ट्रीय अभिलेखागार

*२७१२. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि राष्ट्रीय अभिलेखागार के उपयोग तथा प्रशासन सम्बन्धी नियम विदेशों के ऐसे नियमों की तुलना में भिन्न तथा अपरिवर्तनशील हैं ।

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : जी नहीं ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या यह सच नहीं है कि इंग्लैंड की प्रक्रिया के विपरीत, गवेषणा करने वालों और सार्वजनिक-कार्य कर्ताओं जैसे संसद् के सदस्यों के लिये एक विशेष सरकारी विभाग से प्रमाणपत्र प्राप्त किये बिना राष्ट्रीय अभिलेखागार में प्रवेश पाना बहुत कठिन है ?

डा० एम० एम० दास : अभिलेखों के रक्षण और सुरक्षा व्यवस्था के लिये अनुमति लेना आवश्यक है पर शर्तें संसार के अन्य भागों में प्रचलित शर्तों की तुलना में कुछ कठोर नहीं हैं ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या सरकार का यह विचार नहीं है कि गवेषणा करने वालों को अधिकाधिक सुविधायें दी जायें और ३० वर्ष से अधिक पुराने अभिलेखों को "निर्बाध प्रवेश अभिलेख" समझा जाय ताकि अतिरिक्त झंझटों के बिना उसे देखा जा सके ?

डा० एम० एम० दास : देश की स्वतंत्रता के कारण नयी परिस्थितियों के अधीन १९४९ में अभिलेखों तक प्रवेश पाने के नियमों का संशोधन किया गया था। इन नियमों के अनुसार १९०१ तक के अभिलेखों को प्रवेश्य बनाया गया । यह नियम परिवर्तित कर दिया गया है और यह निश्चित किया गया है कि प्रमाणित गवेषणा कर्ताओं को ४० वर्ष पुराने अभिलेख उपलब्ध हो सकें । यह नया नियम शीघ्र ही लाग किया जायेगा ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या सरकार हमारे राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की तुलना लन्दन के सरकारी अभिलेख कार्यालय और न्यूयार्क की ऐसी संस्था द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से करने के बाद ही इस सम्बन्ध में कोई निश्चित सिद्धान्त तय करेगी ?

डा० एम० एम० दास : अन्य देशों में अभिलेखों तक प्रवेश पाने के नियमों के सम्बन्ध में हमारे पास कुछ तथ्य हैं । उदाहरणार्थ, रूस तथा प्रश्या में १८८८ तक के अभिलेख गवेषणा कार्य के लिये उपलब्ध थे; डेनमार्क में १८८० तक के अभिलेख गवेषणा कार्य के लिये उपलब्ध थे; इटली में, विदेशी, राजनैतिक तथा सामान्य प्रशासन सम्बन्धी केवल १८६७ तक के अभिलेख गवेषणा के लिये उपलब्ध थे । वाशिंगटन के राष्ट्रीय अभिलेखागार में केवल ५० वर्ष तक के पुराने अभिलेख गवेषणा के लिये उपलब्ध हैं । हम ने अपने देश में गवेषणा छात्रों के लिये केवल ४० वर्ष पुराने अभिलेख खोल दिये हैं ।

श्री एस० एन० मुकर्जी : क्या यह सच है कि गवेषणा छात्रों द्वारा ली जाने वाली "निर्बाध प्रवेश" अभिलेखों के उद्धरणों की प्रतिलिपियों को उन्हें किन्हीं सरकारी पदाधिकारियों के पास छानबीन के लिये भेजना पड़ता है जो कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो ऐसी संस्थाओं में अन्यत्र कहीं भी नहीं है ।

डा० एम० एम० दास : मैं यह नहीं जानता कि अन्यत्र ऐसी प्रक्रिया है या नहीं; पर बात यह है कि अभिलेख दो भागों में विभाजित हैं, गोपनीय और अगोपनीय । इस नये नियम के पूर्व गोपनीय अभिलेखों के उद्धरणों का परीक्षण सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा किया जाता था जब कि अगोपनीय उद्धरणों का परीक्षण अभिलेखागार निदेशक द्वारा किया जाता था ।

सोना

*२७१३. **श्री संगण्णा :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री २९ मार्च, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या १३८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्योंझर ज़िला (उड़ीसा) में सोने की खान का पता लगाने के लिये खोज के काम में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : खानों की भारतीय संस्था द्वारा किये गये काम से पता लगता है कि इस क्षेत्र की अग्रेतर विस्तृत खोज के लिये खुदाई का काम इस बात का अनुमान जताने के लिये परम आवश्यक है कि क्या कुछ क्षेत्रों में खुदाई का काम करना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक सिद्ध होगा ।

श्री संगण्णा : क्या अभी तक कुछ सोना निकाला गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं, कुछ क्षेत्रों में केवल सर्वेक्षण हो रहे हैं । खोज के दौरान खुदाई से जो कुछ भी निकला है, उस से पता लगता है कि हम प्रतिटन २ ग्रेन (दाने) की दर से सोना पा सकते हैं ।

श्री संगण्णा : वास्तविक कार्य कब पूरे ज़ोर शोर से शुरू किया जायेगा ?

श्री के० डी० मालवीय : अभी खोज हो रही है और इस के पूर्ण होने में अभी कुछ और समय लगेगा ।

आभूषणों का तस्कर व्यापार

*२७१५. **डा० रामा राव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान को चुरा कर भेजने के प्रयत्न के सम्बन्ध में एक बैंक से चार करोड़ रुपये के मूल्य के आभूषण कब्ज़ाकृत किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस के विक्रय के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) भारत सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

डा० रामा राव : क्या सरकार को ज्ञात है कि इस विषय पर उत्तर प्रदेश विधान मण्डल में प्रश्न उठाया गया था परन्तु यह कह कर कि इस का सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है वाद-विवाद की अनुमति नहीं दी गई थी ।

श्री दातार : मुझे याद है कि इस प्रकार का विषय उत्तर प्रदेश विधान सभा में उठाया गया था ।

डा० रामा राव : क्या सरकार को यह जानकारी प्राप्त हुई है कि संभवतः उत्तर प्रदेश के एक नवाब के द्वारा ५० लाख रुपये के मूल्य के आभूषण चोरी छुपे भारत से पाकिस्तान ले जाये गये थे और उत्तर प्रदेश विधान मण्डल में इस विषय पर इसलिये वाद-विवाद नहीं होने दिया गया था कि इस विषय का सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है ?

श्री दातार : समाचार पत्रों में ऐसा एक संवाद प्रकाशित हुआ था । सरकार ने जांच की थी और उसे पता चला था कि किसी वस्तु के चोरी-छुपे ले जाये जाने का कोई प्रश्न नहीं था ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या रक्षित बैंक प्रत्येक अनुसूचित तथा अननुसूचित बैंक से सिल्लियों तथा आभूषणों के रूप में उन के द्वारा रखे गये स्वर्ण का कोई द्वैमासिक या साप्ताहिक हिसाब मंगाता है ?

श्री दातार : यह प्रश्न माननीय सदस्य को वित्त मंत्री से पूछना चाहिये ।

श्री जोकीम आल्वा : प्रश्न का उत्तर तो आप दे रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । प्रश्न आभूषणों के सम्बन्ध में है । अब हम अगला प्रश्न लेते हैं ।

सेना-भर्ती नियम

*२७१८. **चौधरी मुहम्मद शफ़ी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना-भर्ती नियमों में शब्द "डोगराज" की जो परिभाषा दी गई है उस के अन्तर्गत वह हरिजन नहीं आते हैं जो डोगरी-भाषी क्षेत्रों में विशेषतः जम्मू तथा काश्मीर राज्य में बहुत अधिक संख्या में निवास करते हैं;

(ख) क्या हरिजनों के प्रति किये जा रहे इस भेद भाव के हटाये जाने के सम्बन्ध में सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उस के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) नहीं ।

(ख) नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

चौधरी मुहम्मद शफ़ी : क्या ग्रानरेबिल मिनिस्टर बतायेंगे कि महावीर त्यागी जी जब जम्मू में गये तो उन के पास इस सिलसिले में श्री ग्रोम प्रकाश शराफ़, मास्टर राम रक्खा मल व महाशय नाहर सिंह ने एक मेमोरेंडम पेश किया था ?

सरदार मजीठिया : मंत्रालय को इस सम्बन्ध में कुछ भी पता नहीं है ।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा अधिकारी

*२७२२. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में भाग 'क' राज्यों में के केन्द्रीय सचिवालय सेवा ग्रधिकारियों के प्रशिक्षण की एक योजना चालू की जाने वाली है;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य विशेषतायें क्या हैं; ग्रौर

(ग) प्रतिवर्ष कितने ग्रधिकारी यह प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) ग्रौर (ख). केन्द्रीय सचिवालय सेवा (पुनर्संगठन तथा पुनः प्रवर्त्तन) योजना में इस बात का उपबन्ध किया गया है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रधिकारी ज़िला प्रशासन के वास्तविक सम्पर्क से ग्रपना दृष्टिकोण विशाल बनाने के लिये, कम से कम दो वर्ष की ग्रवधि के लिये, राज्य सरकारों के ग्रधीनस्थ पदों पर कार्यपालिका प्रशिक्षण प्राप्त करें । यह योजना १९५२ से लागू है । इस की मुख्य विशेषतायें यह हैं :

(१) ज़िला तथा परगना कार्यालयों की सभी शाखाग्रों में कार्य मजिस्ट्रेट के रूप में शक्तियों के उपयोग सहित ।

(२) राज्य सचिवालय के विभिन्न विभागों में प्रशिक्षण ।

(३) राज्य सरकार की ग्रोर से ली जाने वाली विभागीय परीक्षाग्रों में बठना जिस से कि ज्ञात हो कि ग्रधिकारियों ने दिये गये प्रशिक्षण को कहां तक ग्रहण किया है ।

(ग) यह प्रस्थापित किया गया है कि एक बार में २४ अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाये । गत तीन वर्षों में भेजे गये ग्रधिकारियों की संख्यायें इस प्रकार हैं ;

१९५२	१
१९५३	२
१९५४	१६

श्री के० सी० सोधिया : क्या यह योजना केवल २४ ग्रधिकारियों के लिये बनाई गई है या प्रतिवर्ष २४ ग्रधिकारी प्रतिनियुक्त किये जायेंगे ?

श्री दातार : यह ग्रधिकारी दो वर्ष के लिये प्रतिनियुक्ति पर भेजे जायेंगे ग्रौर ज़िलों में एक बार में २४ ग्रधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे ।

श्री के० सी० सोधिया : इस समय कितने ग्रधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

श्री दातार : मैं ग्रांकड़े दे चुका हूं-- इस समय एक, दो तथा सोलह ग्रधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ।

अनुसूचित जातियां तथा आदिम जातियां

*२७२३. **श्री संगण्णा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की सरकार ने १९५५–५६ के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की कोई नई योजनायें भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो वे किस प्रकार की हैं; और

(ग) इन योजनाओं की लागत कितनी है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). अभी तक भारत सरकार को १९५५–५६ के लिये उड़ीसा सरकार की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण से सम्बन्धित विकास योजनायें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

श्री संगण्णा : क्या उड़ीसा सरकार से प्राप्त कोई योजना अभी तक भारत सरकार के विचाराधीन है ?

श्री दातार : संभवतः माननीय सदस्य गत वर्ष से सम्बन्धित योजनाओं का निर्देश कर रहे हैं । १९५४–५५ में उन को विकास योजनाओं के लिये ३३ लाख रुपया दिया गया था ।

श्री संगण्णा : क्या इन योजनाओं के भेजने के लिये उड़ीसा सरकार के पास केन्द्र द्वारा कोई निदेश भेजा जाता है या उड़ीसा सरकार स्वयं ही उन को भेज देती है ?

श्री दातार : प्रत्येक वर्ष जनवरी या फरवरी के आरम्भ में हम सभी राज्य सरकारों को एक विस्तृत पत्र भेज कर उन आंकड़ों को बताते हैं जिन को कि उक्त सरकारें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों, तथा अनुसूचित क्षेत्रों के लिये अनुदानों के रूप में निश्चित कराने के हक़दार हैं साथ ही यह भी लिख दिया जाता है कि इस वर्ष मार्च के अन्त तक उत्तर प्राप्त हो जाने चाहिये । *कुछ राज्यों के उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं और हम उन को अनुस्मार पत्र भेजने जा रहे हैं ।

श्री तिम्मय्या : क्या यह सच नहीं है कि विभिन्न राज्यों को अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के कार्य के सम्बन्ध में राशियां आवंटित करने में बहुत विलम्ब किया जाता है जिस के कारण राज्यों द्वारा आरम्भ किये गये कार्यों की प्रगति में बाधा पड़ती है ?

श्री दातार : वास्तव में योजनायें हमारे पास समय पर आती ही नहीं हैं । योजनाओं के यहां प्राप्त होते ही हम जल्दी से जल्दी उन की जांच कराते हैं और उन को राशियां दे देते हैं ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : जिन राज्यों ने प्रस्थापनायें नहीं भेजी हैं उन के नाम क्या हैं ?

श्री दातार : उन के नाम मेरे पास नहीं हैं उन की संख्या आठ या नौ होगी ।

श्री वीरस्वामी : क्या किसी अन्य राज्य ने अनुसूचित जातियों के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिये केन्द्रीय सरकार के पास इस प्रकार की कोई योजनायें भेजी हैं, यदि हां तो वे राज्य कौन से हैं ?

श्री दातार : बहुत से राज्यों ने अपनी योजनायें पहले ही भेज दी हैं। उन की जांच की जा रही है । जो योजनायें मंजूर हो चुकी हैं उन के सम्बन्ध में हम उन को कम से कम आधी राशि देने का विचार कर रहे हैं ।

श्रीमती खोंगमेन : जितनी राशि का उल्लेख उपमंत्री ने किया क्या वह सब की सब

---

*बाद को श्री दातार ने इस की शुद्धि की, देखिये स्तम्भ ३४४५-४६ ।

केन्द्र द्वारा दी गई थी या उस में राज्यों के अंशदान भी सम्मिलित थे ?

श्री दातार : जहां तक अनुसूचित आदिम जातियों तथा अनुसूचित क्षेत्रों का सम्बन्ध है, अनुदान संविधान के अनुच्छेद २७५ के आधीन दिये जाते हैं। परन्तु इस राशि के अतिरिक्त राज्य सरकारें भी बहुत सा रुपया व्यय करती हैं ।

पादर की नीलम की खानें

*२७२४. **चौधरी मुहम्मद शफ़ी :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू तथा काश्मीर राज्य में स्थित पादर की नीलम की खानों को अपने अधिकार में ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो कब और किन शर्तों पर; और

(ग) कितने सर्वेक्षण दलों ने इन खानों का सर्वेक्षण किया है तथा उसका क्या परिणाम निकला है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख). जी नहीं ।

(ग) ज्यौलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया ने इन खानों में कोई भी काम नहीं किया है।

आदिम जाति मंत्रणा परिषदें

*२७२५. **श्री संगण्णा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान की पंचम अनसूची की कण्डिका ४ के उपबन्धों के अन्तर्गत १९५४ में अननुसूचित क्षेत्रों में कोई अदिम जाति मंत्रणा परिषद स्थापित की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां यह स्थापित की गई हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। ऐसी एक परिषद् पश्चिम बंगाल ने १९५३ में स्थापित की है ।

श्री सुबोध हासदा : क्या यह सच है कि आदिम जाति कल्याण कार्य करने वाले विशेष अधिकारी राज्यों की आदिम जाति मंत्रणा परिषदों के सदस्य नहीं हैं ?

श्री दातार : यह जानकारी मेरे पास नहीं है ।

श्री संगण्णा : क्या आंध्र सरकार ने मद्रास राज्य से अलग होने के पश्चात, इस सम्बन्ध में एक प्रस्थापना भेजी है ?

श्री दातार : मैं इस की जांच करूंगा ।

श्री जोकीम आल्वा : गृह-कार्य मंत्रालय ने एक आदिम जातीय कल्याण सम्मेलन अंक परिचालित किया है जिस में आदिम जाति के कल्याण सम्बन्धी बहुत से छोटे और बड़े सुझाव प्रकाशित किये गये हैं। क्या कम से कम इस किताब के छोटे छोटे सुझावों को लागू करने की ओर गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया गया है ?

श्री दातार : सरकार सभी छोटे और बड़े सुझावों पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देती रही है और उस ने सभी राज्य सरकारों को संकल्पों सहित प्रतिवेदन की एक प्रति यथासंभव अधिक से अधिक लागू किये जाने के लिये भेज दी है ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम उन सदस्यों के प्रश्न लेंगे जो उस समय अनुपस्थित थे जब कि उन के प्रश्न लिये जा रहे थे ।

निर्वाचन व्यय

*२७०९. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **विधि** मंत्री इन बातों को दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) १९५४–५५ में निर्वाचन व्यय के निमित्त विभिन्न राज्यों (भाग 'क' तथा 'ख') को दिये गये अंशदान की राशि; और

(ख) वह सिद्धान्त जिन के आधार पर यह अंशदान दिये गये हैं ?

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पाटस्कर): (क) और (ख) . एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या २]

श्री के० सी० सोधिया : विवरण से ज्ञात होता है कि व्यय दो प्रकार के हैं : एक निर्वाचन-सूचियां तैयार करने के हैं तथा दूसरे निर्वाचनों के संचालन के हैं । विवरण में विभिन्न राज्यों को निर्वाचन प्रभार के निमित्त दिये गये अंशदान प्रत्येक राज्य के सामने इकट्ठे दे दिये गये हैं । क्या इन में निर्वाचन सूचियां तैयार करने और निर्वाचनों के संचालन दोनों के खर्च सम्मिलित हैं ?

श्री पाटस्कर : हां ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या हम अलग अलग आंकड़े जान सकते हैं जिस से पता चल सके कि किन राज्यों में निर्वाचन हुए और किन में पुनर्निर्वाचन हुए ?

श्री पाटस्कर : सामान्यतः सर्वप्रथम यह खर्च तत्सम्बन्धी राज्य द्वारा किये जाते हैं और उस के बाद हिसाब तैय्यार किया जाता है और जो खर्च होता है उस को ५० : ५० के आधार पर बांट लिया जाता है । मैं समझता हूं कि जैसा माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है पृथक् पृथक् आंकड़ों से कोई लाभ नहीं होगा ।

डा० रामा राव : यह आंकड़े १९५४-५५ के हैं जब कि आंध्र में सामान्य निर्वाचन हुए थे । विभिन्न राज्यों को दी गई राशियां हैं : आन्ध्र लगभग १५ लाख रुपये, बम्बई १७ लाख रुपये, मद्रास लगभग २५ लाख रुपये । परन्तु १९५४–५५ में आन्ध्र में सामान्य निर्वाचन हुए थे । आन्ध्र के सामने जो राशि दी गई है क्या उस में हाल में वहां हुए सामान्य निर्वाचन का खर्च भी सम्मिलित है ?

श्री पाटस्कर : मैं समझता हूं प्रश्न जिस की सूचना दी गई थी वह इस प्रकार था : १९५४–५५ में निर्वाचन प्रभार के निमित्त विभिन्न राज्यों को दिये गये अंशदान । इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है ।

कताई

*२७१०. **श्री भक्त दर्शन :(श्री हेम राज की ओर से) :** क्या शिक्षा मंत्री सभा पटल पर इस बात को दिखाने वाला एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन के बेसिक स्कूलों में कताई सिखाने के लिये १९५४–५५ में सहायता दी गई है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या ३]

श्री भक्त दर्शन : इस विवरण को देखने से यह ज्ञात होता है कि केवल चार राज्यों को यह सहायता दी गई है अर्थात् आसाम, उड़ीसा, पंजाब और सौराष्ट्र । क्या मैं जान सकता हूं कि इन में से प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता दी गई है ?

डा० एम० एम० दास : केन्द्रीय अनुदान आसाम के लिये २३,४१३ रुपये ; उड़ीसा के लिये ५१,५७९ रुपये ; पंजाब के लिये ७,०७४ रुपये; और सौराष्ट्र के लिये १८,७५० रुपये हैं ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि इन चार राज्यों के सिवाय अन्य राज्यों ने भी कोई योजनायें भेजी थीं और यदि हां तो उन के विषय में क्या विचार किया गया ?

डा० एम० एम० दास : इन स्कूलों में शिल्पविद्यालयों का प्रारम्भ करना "देश में बुनियादी शिक्षा का प्रसार" नामक एक बड़ी योजना का एक अंश है । इस बड़ी योजना में सात उपयोजनायें हैं । इन में से दो उप-

योजनायें स्कूलों में शिल्प विद्या के सम्बन्ध में हैं । अन्य राज्य सरकारों उपयोजनाओं के अन्तर्गत अनुदान के लिये आवेदन किया है और उन्हें उन्हीं उपयोजनाओं के अन्तर्गत, जो उन्होंने केन्द्रीय सरकार को भेजी हैं, अनुदान दिया गया है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या इस सहायता को दते राज्य सरकारों पर यह शर्त भी लगाई जाती है कि वे अपने अध्यापकों को ऊंचे वेतन स्तर दें, क्योंकि यह आम शिकायत है कि बेसिक स्कूलों के अध्यापकों को पूरा वेतन नहीं मिलता ?

डा० एम० एम० दास : ये अनुदान तुलनात्मक क्रम से दिये जाते हैं अर्थात् कुछ प्रतिशत तो केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है और शेष धन राज्य सरकार से आता है । जहां तक इन स्कूलों के वर्तमान अध्यापकों के वेतन का प्रश्न है, वे राज्य सरकार द्वारा दिये जाते हैं ।

श्री वी० मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या प्राथमिक और माध्यमिक दोनों प्रकार के स्कूलों में प्रशिक्षण दिया जाता है अथवा केवल एक ही प्रकार के स्कूलों में ?

डा० एम० एम० दास : मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि जहां तक इन स्कूलों में किसी शिल्प विशेष के संवरण का प्रश्न है दायित्व राज्य सरकार का होता है, केन्द्रीय सरकार का नहीं । देश के किसी भाग विशेष में पाई जाने वाली विशेष परिस्थितियों के अनुसार राज्य सरकार इन स्कूलों में चालू किये जाने के लिये विशेष शिल्प को छांटती है ।

तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि

गृह-काय उपमंत्री (श्री दातार) : क्या मैं प्रश्न संख्या २७२३ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में कुछ शुद्धि कर सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : हां ।

श्री दातार : * मैंने कहा था कि कुछ राज्यों से योजनायें प्राप्त नहीं हुई थीं । किन्तु आज सवेरे मैंने देखा कि जहां तक उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आर्थिक विकास का सम्बन्ध है, हमारे पास योजना विषयक प्रस्ताव आये हैं ।

राज्य द्वारा दिये गये आंकड़े इस प्रकार हैं :—

कृषि तथा वन	७·४० लाख रुपये
सहकारिता	१·८४ लाख रुपये
उद्योग	·१९ लाख रुपये
छोटी सड़कें	५२,००० रुपये
कुल रकम	९,९५,००० रुपये

है ।

पूना में कार्यालय

***२७११. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूना तथा उसके समीप कितने कार्यालय तथा रक्षा संस्थापन हैं ;

(ख) क्या इन में से कुछ कार्यालयों को किन्हीं अन्य स्थानों पर ले जाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस विषय में कोई निर्णय किया गया है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) लगभग १००

(ख) नहीं श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि अन्य स्थानों की तुलना में पूना और उसके समीप कार्यालयों की संख्या सबसे अधिक है ?

---

*देखिये स्तम्भ ३४३९-४०

सरदार मजीठिया : इस प्रश्न के लिय मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी । परन्तु मैं समझता हूं कि उनकी संख्या काफ़ी है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार द्वारा इन कार्यालयों को अन्य स्थानों पर ले जाने के लिये क्या कार्यवाही की जायगी ?

सरदार मजीठिया : वहां उपलब्ध आवास स्थान को ध्यान में रखते हुए मेरे विचार से अभी वहां से किसी भी कार्यालय का हटाना आवश्यक नहीं होगा ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या एक क्षेत्र में और एक ही स्थान पर इतने कार्यालयों का एकत्र कर देना ख़तरनाक नहीं है ?

सरदार मजीठिया : नहीं श्रीमान् । इसे कदापि खतरनाक नहीं समझा जाता है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

उच्चतर ग्राम शिक्षा समिति

*२७०२. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या शिक्षा मंत्री १७ नवम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या १३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम्य क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा के हेतु की किसी समुचित प्रणाली के विषय में सरकार द्वारा नियुक्त उच्चतर ग्राम शिक्षा समिति ने डाक्टर पीटर मनीषे के सुझावों पर विचार किया है?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : हां, श्रीमान् ।

विकास ऋण

*२७०४. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य ने सम्बद्ध राक्ष्य के लिये निर्धारित अपने ८० प्रतिशत के लक्ष्य से अतिरिक्त अल्प बचत द्वारा एकत्रित किये गये चन्दे से विकास कार्यों के हेतु ऋण प्राप्त करने के लिये अर्ह सिद्ध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो अभी तक उन राज्यों को दिये गये ऋणों के राज्यवार आंकड़े क्या हैं ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) १९५४-५५ के संचयन के अन्तिम आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हैं, किन्तु फरवरी १९५५ के अन्त तक प्राप्त की गई शुद्ध रकम के आधार पर निम्नांकित राज्यों ने १९५४–५५ के अपने ८० प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक धन प्राप्त किया है :—

आसाम, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, पेप्सू, सौराष्ट्र, राजस्थान, अजमेर, भोपाल, कच्छ, हिमाचल प्रदेश, विंध्य प्रदेश, बम्बई, मद्रास, पश्चिमी बंगाल, हैदराबाद, मैसूर और दिल्ली ।

(ख) १९५४-५५ में किये गये संचयन के अन्तिम आंकड़े प्राप्त होने पर चालू वर्ष में ऋण दे दिये जायेंगे ।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (नेशनल बुक ट्रस्ट)

*२७०५. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में एक राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की स्थापना करने का है ;

(ख) न्यास का स्वरूप क्या होगा तथा उसके कितने सदस्य होंगे ;

(ग) उस पर अनुमानतः वार्षिक व्यय क्या होगा ; और

(घ) उसकी स्थापना कब होगी ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) से (घ)। प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

विदेशी राष्ट्रजनों का निर्वासन

*२७०७. **श्रीमती इला पाल चौधरी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५३ और १९५४ में से प्रत्येक वर्ष में विदेशी राष्ट्रों के किन्हीं राष्ट्रजनों को भारत से निर्वासित किया गया था;

(ख) यदि हां तो उन की कुल संख्या कितनी थी और जिन देशों के वे थे उन के नाम क्या थे; और

(ग) वे भारत से किन कारणों से निर्वासित किये गये ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग)। जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या ४]

खेलों के स्टेडियम

*२७०८. **श्री विश्वनाथ रेड्डी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में खेलों के स्टेडियमों की देखरेख के लिये सरकार द्वारा सहायता के रूप में कुल कितनी रकम दी गई है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : कुछ नहीं।

कटेरी का बिजली घर

*२७१४. **श्री एन० एम० लिंगम :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कटेरी का बिजली घर, जो अरावनकाडू के युद्ध सामग्री कारखाना को विद्युत शक्ति दे रहा था, बन्द किया जाने को है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) इस के कारण ये हैं :—

(१) कटेरी की झीलों में जिन से बिजलीघर में पानी आता था, जल का अभाव;

(२) कार्यकरण का अधिक खर्च;

(३) पाईकारा से सस्ती और अच्छी विद्युत शक्ति की प्राप्ति ।

रहीम खान खाना का मक़बरा

*२७२०. **श्री एस० एन० दास :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुमायूं के मकबरे के पास स्थित रहीम खान खाना के मक़बरे की हालत में सुधार करने के लिय अभी हाल में कोई विशेष कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो उस कार्यवाही का ब्योरा क्या है; और

(ग) उस पर कितना धन व्यय होने की सम्भावना है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां ।

(ख) दीवारों के सुराखों और दरारों में चूना भरना जैसी इमारती मरम्मत की गई है और दक्षिणी बाहरी भागों में मरम्मत की गई है । मरम्मत का कार्य जारी है ।

(ग) ५०,००० रुपया ।

भौगोलिक नाम

*२७२१. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भौगोलिक नामों की हिज्जों में एकरूपता लाने की कोई प्रस्थापना सरकार के समक्ष है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई निश्चय किया है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) मांगी गई सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या ५]

राज्यों की राजधानियां

***२७२६. डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री सभा पटल पर इन बातों को दिखाने वाला एक विवरण रखने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इस वर्ष कुछ राज्य सरकारों ने अपनी राजधानियों के निर्माण कार्यक्रम के लिये केन्द्रीय सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं;

(ग) कितनी रकम मांगी गई है; और

(घ) इस प्रयोजन के लिये अगस्त १९४७ से अभी तक विभिन्न राज्यों को कितनी रकम दी गई है ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) से (घ). एक विवरण पटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या ६]

राज्य समाज कल्याण मंत्रणा बोर्ड, मैसूर

११५४. श्री वोडयार : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर के राज्य समाज कल्याण मंत्रणा बोर्ड की अवधि कितनी है; और

(ख) बोर्ड द्वारा अभी तक क्या प्रगति की गई है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) पहली बार राज्य बोर्ड की अवधि एक वर्ष की है। मैसूर-बोर्ड २१ अक्तूबर, १९५४ को बनाया गया था ।

(ख) राज्य बोर्ड ने पहले ही राज्य में पांच कल्याण विस्तार परियोजनायें प्रारम्भ कर दी हैं । दो अन्य परियोजनाओं को भी शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जायगा । राज्य बोर्ड की सिफारिशों पर केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने ३१ ऐच्छिक कल्याणकारी संगठनों को कुल १,१२,३०० रुपये स्वीकृत किये हैं ।

वित्तीय सहायता

११५५. चौधरी मुहम्मद शफ़ी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४८ से भारत को संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन और रूस से क्रमशः कुल कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है; और

(ख) उक्त अवधि में मित्र देशों द्वारा भारत को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) संयुक्त राज्य अमरीका और ब्रिटेन से १९४८ से १९५४–५५ (पुनरीक्षित आंकड़े) तक भारत को अनुदान के रूप में क्रमशः कुल ४०·४८ करोड़ रुपये और ६·२ लाख रुपये प्राप्त हुए हैं । रूस से अभी तक वास्तव में कोई सहायता नहीं मिली है ।

(ख) २१३ ७३ लाख रुपये ।

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

***११५६. चौधरी मुहम्मद शफ़ी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और काश्मीर राज्य के भूतपूर्व सैनिकों को बसाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) भारत सरकार ने जम्मू और काश्मीर सरकार से कहा है कि पुलिस, उतपाद, वन तथा ऐसे अन्य विभागों में जिन कि में सैनिक प्रशिक्षण एक विशेष योग्यता है भूतपूर्व सनिकों को नौकरी में वरीयता दी जाय । भूतपूर्व सैनिकों की भूमि उपनिवेशों में बसाने के लिये भूमि प्राप्त करने के प्रयतन भी किये जा रहे हैं ।

(ख) नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सेना की शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकतायें

११५७. श्री रामानन्द दास : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना मुख्य-कार्यालय (एम टी ५) सेना की शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिये पुस्तकें खरीदता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ए० ई० सी० केन्द्र तथा स्कूल पंच मढ़ी इन पुस्तकों की समीक्षा करता है और समीक्षा प्रतिवेदन विभाग को भेजता है;

(ग) क्या यह सच है कि ए० ई० सी० केन्द्र तथा स्कूल की राय की समान्यत: उपेक्षा कर दी जाती है तथा इस सम्बन्ध में विभाग की कोई मान्य नीति नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इस विषय में सरकार क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां ।

(ख) प्रकाशकों तथा सार्थों से प्राप्त पुस्तकों की उन की सेना के शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण के लिये उपयुक्तता की जांच, यथा-संभव, सेना मुख्य कार्यालय द्वारा की जाती है । ये पुस्तकें ए० ई० सी० केन्द्र तथा स्कूल तथा एककों, टकड़ियों तथा अन्य संस्थापनों में नियुक्त शिक्षा पदाधिकारी को जांचने तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये भेजी जाती हैं ।

(ग) ए० ई० सी० केन्द्र तथा स्कूल और अन्य संस्थापनों की राय, जिन की सम्मति मांगी जाती है, सामान्यत: सेना मुख्यकार्यालय द्वारा स्वीकार कर ली जाती है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सेना की शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकतायें

११५८. श्री रामानन्द दास : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना मुख्य-कार्यालय (एम टी ५) ने १९५३–५४ में कुछ हिन्दी पुस्तकें (पाठ टिप्पणियां) प्रकाशित कराई थीं;

(ख) क्या यह सच है कि मैसर्स चौधरी बलवन्त राय एण्ड सन्स, दिल्ली को लगभग एक लाख रुपये के आर्डर, बिना टेंडर मंगाये, जैसा करना नियमों द्वारा अपेक्षित है, दिये गये थे;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त सार्थ को दी गई दरें सरकारी अनुसूचित दरों से कहीं अधिक थीं; और

(घ) इस विषय में सरकार क्या करने का विचार करती है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). जी हां । मैसर्स चौधरी बलवन्त राय एण्ड कम्पनी, दिल्ली को बिना टेंडर मंगाये ही आर्डर दे दिया गया था । धनराशि एक लाख से बहुत कम थी, तथा भुगतान अनुसूचित दरों पर ही किया जा रहा है ।

(घ) मामले की पूर्णतया जांच हो जाने के पश्चात् उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी

भूतपूर्व सैनिकों की युद्धोत्तर पुनर्निर्माण निधि

११५९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **रक्षा** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में निम्नलिखित बातें दिखाई गई हों :

(क) वित्तीय वर्ष १९५४–५५ में उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों की युद्धोत्तर पुनर्निर्माण निधि में से कितना धन व्यय किया गया है;

(ख) किन किन मदों पर व्यय किया गया;

(ग) वर्ष के अन्त में इस निधि में कितनी राशि शेष रही; और

(घ) १९५५–५६ के वित्तीय वर्ष में किन किन मदों पर कितना कितना धन व्यय करने का अनुमान लगाया गया है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

खनिज तेल का सर्वेक्षण

११६०. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कालटैक्स तथा बी० ओ० सी० द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई एक कम्पनी पश्चिम बंगाल में स्टैन्डर्ड वैकुम आयल कम्पनी द्वारा सर्वेक्षित किये जा रहे १०,००० वर्ग मील के क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र में खनिज तेल का सर्वेक्षण करने की प्रस्थापना करती है;

(ख) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण कार्य किन ज़िलों में किया जायेगा; और

(ग) यह कम्पनी किन शर्तों के अनुसार कार्य करेगी ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) कुछ दिन पूर्व कालटैक्स ने सरकार को यह सूचना दी थी कि इस प्रकार का एक प्रस्ताव उस के विचाराधीन था, परन्तु सरकार को अब यह ज्ञात नहीं है कि इस का परिणाम क्या निकला ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

प्राणकीय वैज्ञानिकों का सम्मेलन

११६२. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ५ अप्रैल, १९५५ को नई दिल्ली में समवेत हुए प्राणकीय वैज्ञानिकों के सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : वास्तव में कोई निर्णय नहीं किये गये । सम्मेलन में दिये गये सुझाव सरकार के विचाराधीन हैं ।

स्मारकों का परिरक्षण

११६३. **श्री एस० एन० दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से केन्द्रीय पुरातत्व मंत्रणा समिति ने इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें की हैं किन किन राज्यों ने स्थानीय महत्व के स्मारकों का परिरक्षण करने के सम्बन्ध में सक्रिय रूप से कार्य किया है तथा उत्साह दिखाया है; और

(ख) कितने राज्यों ने इस कार्य के लिये अलग विभाग बनाये हैं तथा इस कार्य के लिये निधियों का नियतन किया है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) और (ख). एक विवरण संबद्ध है । [**देखिये** परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या ७]

राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल

११६४. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री बासप्पा :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल की योजना के अन्तर्गत १९५५–५६ में कुल कितने कैम्प संगठित करने का विचार है; और

(ख) वे किन किन स्थानों पर लगाये जायेंगे ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) २०० ।

(ख) एक सूची जिस में १९५ कैम्पों के स्थान दिखाये गये हैं, सभा के पटल पर रखी जाती है । [**देखिये** परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या ८] । शेष ५ कैम्पों के स्थान अभी निश्चित नहीं किये गये ।

अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

११६५. **श्री इब्राहीम :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४–५५ में छात्रवृत्तियों के लिये भारत सरकार को बिहार राज्य के अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : ४४१ ।

स्वर्ण का पकड़ा जाना

११६६. **श्री इब्राहीम :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर १९५४ से मार्च १९५५ तक की अवधि में भारत में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा कितना स्वर्ण पकड़ा गया ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : अक्तूबर १९५४ से मार्च १९५५ तक की अवधि में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा भारत में पकड़ा गया स्वर्ण १८,८४२ तोले था ।

विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतन-क्रम

११६७. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री २४ फरवरी, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली विश्वविद्यालय के उप-कुलपति से कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुआ है जिस में यह प्रार्थना की गई है कि वेतन तथा भत्तों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अध्यापकों तथा कालिजों द्वारा नियुक्त अध्यापकों के मध्य कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई अब तक निर्णय किया है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने यह निर्णय किया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंगभूत कालिजों का दायित्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर होगा ।

उत्पादन शुल्क

११६८. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस प्रकार के वनस्पतिक उत्पादनों पर उत्पादन-शुल्क लगाया जाता है; और

(ख) क्या १९४७ से इस प्रकार की किसी वस्तु पर शुल्क में छूट दी गई है ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की प्रथम अनुसूची की मद ११ के अधीन किसी भी वनस्पति तेल अथवा चर्बी पर, जिसे, मूलरूप में अथवा किसी अन्य किसी वस्तु के साथ उस का मिश्रण कर के, उद्जनन के द्वारा अथवा किसी

अन्य प्रक्रिया से मानव उपभोग के लिये कठोर बना दिया गया है, "वनास्पतिक उत्पाद" के रूप में उत्पादन-शुल्क लगेगा ।

(ख) औद्योगिक कार्यों के लिये व्यवहारित वनास्पतिक उत्पादों को उत्पादन-शुल्क से छूट दे दी गई है । इस प्रकार की छूट दिसम्बर १९४८ से दी गई है ।

पुलिस के विशेषज्ञों का सम्मेलन

११६९. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च १९५५ के अन्तिम सप्ताह में लखनऊ में भारत के विभिन्न राज्यों तथा केन्द्रीय पुलिस के विशेषज्ञों का एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था ; और

(ग) इस सम्मेलन में अपराधों की जांच के किन नये तरीकों पर चर्चा की गई थी तथा उन्हें स्वीकार किया गया था ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) २२ मार्च से २६ मार्च, १९५५ तक लखनऊ में पहिचान विशेषज्ञों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था । इस सम्मेलन में भाग लेने वाले उंगलियों के निशानों के विषय पर कार्य करने वाले व्यक्ति अधिकतर पुलिस के अधिकारी थे ।

(ख) यह सम्मेलन, उंगलियों के निशान, हस्तलेखन पहिचान, आग्नेयास्त्र, आस्त्रक्षेतिकी जैसे विषयों पर चर्चा करने के लिये बुलाया गया था ।

(ग) सम्मेलन का संक्षिप्त विवरण अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

घोषित पद (मनीपुर)

११७०. **श्री रिशाँग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर के एकीकरण के बाद से अब तक मनीपुर में कितने घोषित पद बनाये गये हैं और जिनके लिये इन्टरव्यू हो चुका है ; और

(ख) क्या इन नियुक्तियों में स्थानीय आदिम जाति के उम्मेदवारों को कुछ रियायत दी जानी है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) एकीकरण के पूर्व जितने पद थे उनके अतिरिक्त इक्तीस घोषित पद और बनाये गये हैं । तीन पदों पर भर्ती के लिये एक स्थानीय समिति द्वारा इन्टरव्यू किये गये थे तथा पांच पदों के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किये गये थे ।

(ख) अपेक्षित कार्यपटुता का विचार करते हुए स्थानीय आदिम जाति के उम्मेदवारों के आवेदन पत्रों पर समुचित विचार किया गया है । मनीपुर राज्य में प्रत्यक्ष भर्ती के द्वारा भरे जाने वाले रिक्त स्थानों में अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों के लिये सुरक्षित की जाने वाली प्रतिशतता विचाराधीन है ।

किसी पद अथवा सेवा में नियुक्ति के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा, तीन वर्ष बढ़ा दी गई है तथा इस को पांच वर्ष करके अग्रेतर रियायत देने का विचार किया जा रहा है । प्रतियोगी परीक्षा द्वारा चुने जाने के किये निर्धारित प्रवेश शुल्क को एक चौथाई कर दिया गया है ।

सह अधीक्षक

११७१. **श्री रामानन्द दास** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक (असि-

स्टैंटों) की सह अधीक्षक के ग्रेड में पदोन्नति करने के लिये मई १९५५ में होने वाली प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा कितने उम्मेदवारों को चुनने का विचार है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : बीस इनमें से पांच अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों के सदस्यों में से चुनने का विचार है ।

खुदाई कार्य

११७२. **{श्री एस० सी० सामन्त : श्री एन० बी० चौधरी :}**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि मिदनापुर (पश्चिम बंगाल) ज़िले में तामलूक (पुराना ताम्रलिप्त) में पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब प्रारम्भ हुआ था तथा इस समय इसमें कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं ;

(ग) किस प्रकार की वस्तुयें मिली हैं ; और

(घ) क्या यह सच है कि गैर सरकारी खुदाई भी की गई थी तथा कई अमूल्य वस्तुयें कलकत्ते के आशुतोष कालेज के संग्रहालय में रख दी गई थीं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास०) : (क) जी हां ।

(ख) कार्य मार्च १९५५ में प्रारम्भ हुआ था । इस समय वहां कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं यह सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है ।

(ग) मिट्टी के बर्तन तथा नक्काशीदार बर्तन शुंग तथा मौर्य काल की मिट्टी की बनी मूर्तियां, छेद वाली मुद्राओं की रूपरेखा को बताने वाले टुकड़े तथा पाषाण काल के औजार

(घ) सरकार को कोई सूचना नहीं है ।

शिक्षा पर व्यय

११७३. **श्री इब्राहीम** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्य सरकारों को अपने शिक्षा सम्बन्धी व्यय को धीरे धीरे बढ़ा कर कुल आय व्ययक के नियतन का २५ प्रतिशत कर देने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों का क्या प्रत्युत्तर है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

गृह-कार्य मंत्रालय का पुनर्गठन

११७४. **श्री इब्राहीम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गृह-कार्य मंत्रालय का पुनर्गठन करने का निश्चय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्तावित पुनर्गठन किस प्रकार का तथा किस सीमा तक होगा ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

केन्द्रीय विधियां

११७५. **श्री हेम राज** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन केन्द्रीय विधियों की कोई आधुनिकतम सूची तैयार की गयी है जो संविधान के अनुच्छेद १३ (१) के परिणामस्वरूप संघ के विभिन्न राज्यों में अप्रचलित हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायगी ?

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पाटस्कर): (क) नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

लाल किला

११७६. **श्री जी० एल० चौधरी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में कितने दर्शकों ने दिल्ली का लाल किला देखा ;

(ख) उस वर्ष में कुल कितनी प्रवेश फीस वहां इकट्ठी की गयी ; और

(ग) उसी अवधि में दर्शकों को कितने निशुल्क पास दिये गये ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) ४,५५,२३५।

(ख) ५६,१४९ रुपये।

(ग) कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

प्राचीन मन्दिरों के भग्नावशेष

११७७. **श्री जी० एल० चौधरी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि अभी हाल में उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले में प्राचीन मन्दिरों के कुछ भग्नावशेष पाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वहां किस प्रकार की वस्तुएं पायी गयी हैं ?

शिक्षा मंत्री क सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) एक मंदिर और मूर्त्तियों के भग्नावशेष और नवीं शताब्दी का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है।

राष्ट्रीय अभिलेखागार

११७८ **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा प्रकाशित "हमारे पड़ोसी", "सामग्री-उद्गम" आदि लोकप्रिय पुस्तिकाओं की अशुद्धियों की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही किये जाने की प्रस्थापना है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) और (ख). सरकार का ध्यान केवल एक अशुद्धि की ओर आकर्षित किया गया है, उसे पुस्तिका के द्वितीय संस्करण में शुद्ध कर दिया जायगा।

पुस्तकें

११७९. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्षों में जिन पुस्तकों को पुरस्कृत किया गया था, उन को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाहियां की गयी हैं ;

(ख) उस के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ; और

(ग) क्या ऐसी सभी पुस्तकें अन्य प्रादेशिक भाषाओं में अनुवादित और प्रकाशित की जा चुकी हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) निम्न कार्यवाहियां की गयी थीं :

(१) प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गयी थीं जिनमें पुरस्कृत पुस्तकों के नाम दिये गये थे।

(२) नवसाक्षर व्यक्तियों के लिये कुछ श्रेष्ठ पुस्तकों का अनुवाद अन्य

प्रादेशिक भाषाओं में करने का निश्चय किया गया था।

(३) राज्य सरकारों से उन पुस्तकों का प्रचार करने और पुस्तकालय आदि को प्रतियां भेजने की प्रार्थना की गयी थी।

(ख) केवल पुस्तकों के प्रचार के लिये कोई निश्चित धनराशि आवंटित नहीं की गयी है।

(ग) कुछ पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और शेष पुस्तकों का अनुवाद और अथवा प्रकाशन किया जा रहा है।

भूतपूर्व सैनिकों के लिये औद्योगिक केन्द्र

११८०. **श्री बूबराघस्वामी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सैनिकों के प्रशिक्षण के लिये मद्रास राज्य में सरकार ने कितने औद्योगिक केन्द्र खोले हैं ;

(ख) उन में से कितने केन्द्र बाद को बन्द कर दिये गये ;

(ग) बन्द किये जाने के कारण क्या हैं ;

(घ) मद्रास राज्य में कुंभकोनम् स्थान पर सहकारी विभाग द्वारा चलाया गया सरकारी सहायता प्राप्त औद्योगिक कारखाना कब से चल रहा है ; और

(ङ) इस केन्द्र में कितने भूतपूर्व सैनिक काम कर रहे हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) से (ङ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

विमान बल चालकों की भर्ती

११८१. **श्रीमती इला पाल चौधरी**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमान बल चालकों की भर्ती के लिये सामान्य प्रक्रिया क्या है ;

(ख) चालकों के लिये क्या न्यूनतम योग्यतायें निर्धारित की गयी हैं ; और

(ग) उन की सेवा की शर्तें क्या हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये** परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या ९]

शिक्षा पर व्यय

११८२. **श्री संगण्णा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ३० दिसम्बर, १९५४ को पटना में हुए अखिल भारतीय शैक्षणिक सम्मेलन द्वारा पारित संकल्प की, जिस में यह मांग की गयी है कि केन्द्रीय सरकार की कुल आय का १० प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिये, एक प्रति प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार उस विषय में क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) उपलब्ध वित्तीय साधनों के अन्तर्गत शिक्षा पर व्यय बढ़ाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

एकाध्यापकीय पाठशालायें

११८३. **श्री ए० एम० थामस** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९५५ तक एकाध्यापकीय पाठशालाओं की योजना के लिये कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है ; और

(ख) अब तक प्रत्येक राज्य में इस योजना के अधीन कितने अध्यापक नियुक्त किये गये हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) ऐसी कोई योजना नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

खानें (जम्मू और काश्मीर)

११८४. **चौधरी मुहम्मद शफ़ी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और काश्मीर राज्य में अब तक कितनी खानें सरकार द्वारा ले ली गई हैं;

(ख) क्या उन में विकास की कुछ योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ग) यदि हां, तो वे योजनायें किस प्रकार की हैं और इस सम्बन्ध में कुल कितनी धन-राशि खर्च की जायगी ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग). कोई नहीं, श्रीमान् ।

स्वतंत्रता आन्दोलन

११८५. **सरदार अकरपुरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि १८५७ से भारत में स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेने वाले स्वातंत्र्य-सेनानियों के विरुद्ध गुप्तचरों के द्वारा किये गये प्रतिवेदनों के वास्तविक अभिलेख भारत सरकार के पास हैं;

(ख) यदि हां, तो वे कहां और किस प्रकार रखे जा रहे हैं;

(ग) क्या इतिहास और गवेषणा छात्रों को उन्हें पढ़ने और उन से संक्षिप्त लेख तैयार करने की अनुमति है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण है; और

(ङ) यदि भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो उन्हें कौन सी सुविधायें दी जा रही हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) १९४६ में अंतरिम सरकार बनने के पहले ऐसे अभिलेख विस्तृत रूप से नष्ट कर दिये गये थे ।

(ख) से (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

तटीय सर्वेक्षण

११८६. **श्री संगण्णा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि भारतीय नौसेना भारत के तट का, विशेषकर छोटे और बड़ पत्तनों का पूर्ण सर्वेक्षण कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य अब किस स्थिति में है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) हां ।

(ख) १९४८ से भारतीय नौ सेना ने यह सर्वेक्षण किये हैं :

१९४८—सैक्रामेन्टो शोल

१९४९—कांडला क्रीक, मटकल, मंगलौर

१९५०—कांडला, हंसल और नवलक्खी के प्रवेश मार्ग

१९५१-५२—मांडवी, रनवाड़ा और लुशिंगटन शोल्स

१९५२-५३—गोडिया क्रीक, पोर्ट ब्लेअर, महानदी, कारन्जी द्वीप (बंबई) और कालपेनी तट के प्रवेश मार्ग

१९५३-५४—कोरी क्रीक, एलफिन्स्टन हार्बर, ननकौरी हार्बर और रोंगट खाड़ी, बम्बई बन्दरगाह, मद्रास और तेतीकोरन का सर्वेक्ष अभी चल रहा है ।

लन्दन, छात्रों का छात्रावास

११८७. **श्री एस० वी० रामस्वामी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन में छात्रों के लिये लन्दन स्थित भारतीय प्रधान प्रदेष्टा के कार्यालय द्वारा कोई छात्रावास चलाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उस में कितने छात्र रखे गये हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एस० एम० दास) : (क) हां। गिल्डफोर्ड स्ट्रीट इंडियन स्टूडेन्ट्स होस्टेल, लन्दन ।

(ख) लगभग ६० छात्र

GIPD—HNS—123—L.S.D.—11-3-56—240.

खण्ड ४—अंक ५२

२९ अप्रैल, १९५५ (शुक्रवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

(खण्ड ४ में अंक ४६ से अंक ५८ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली।

६ आने (देश में)

२ शिलिंग (विदेश में)

134 LSD

विषय-सूची

	स्तम्भ
राज्य-सभा से सन्देश	५१८७
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना . .	५१८७-८८
सभा का कार्य—	५१८९, ५१९८—५२०२
हिन्दू विवाह विधेयक, राज्य-सभा से पारित रूप में—विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . .	५१८९—९८, ५२०२
श्री एन० सी० चटर्जी . .	५१८९—९८
पंडित के० सी० शर्मा . .	५२०२—०७
श्री खर्डेकर	५२०७—११
श्री डाभी	५२११—१४
श्री आर० के० चौधरी . . .	५२१४—१६
श्रीमती शिवराजवती नेहरू . . .	५२१६—३०
गर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—सत्ताईसवां तथा उनतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . .	५२३०-३१
भारतीय बाल दत्तक-ग्रहण विधेयक—पुरःस्थापित . .	५२३१
जातिभेद उन्मूलन विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . .	५२३१—४४
श्री दातार . . .	५२३२—४२
श्री डाभी	५२४३-४४
अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—वापस लिया गया . .	५२४५—६५
श्री सी० आर० नरसिंहन् .	५२४५—५०, ५२६२—६५
श्री एस० वी० रामस्वामी . . .	५२५०—५२
डा० सुरेश चंद्र	५२५२-५३
श्री बी० आर० भगत	५२५३—६२
दंड प्रक्रिया संहिता—	
(संशोधन) विधेयक (धारा ४३५) का संशोधन विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . .	५२६५—८०
श्री रघुनाथ सिंह	५२६५—७६
श्री टेक चन्द	५२७७—८०

	स्तम्भ
पटल पर रखे गये पत्र—	
मद्रास मनोरंजन कर आन्ध्र (संशोधन) अधिनियम, १९५५	४५९१
आन्ध्र भवन अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, १९५५	४५९१
आन्ध्र सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, १९५५	४५९२
भारतीय विमान नियम, १९३७ में संशोधन, एक व्याख्यात्मक टिप्पण	४५९२
सहित—चाय नियम, १९५४ में संशोधन	४५९२
सम्पदा शुल्क नियम, १९५३, में संशोधन	४५९२–४५९३
विदेशी व्यक्तियों का पंजीयन अधिनियम, १९३९ के अन्तर्गत विमुक्ति की घोषणा—	४५९३–४५९४
१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगें (रेलवे) के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उत्तर	४५९४
राज्य सभा से सन्देश	४५९४
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सत्ताईसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४५९४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
किरकी में सेना के वर्कशाप के व्यक्तियों द्वारा हड़ताल	४५९५–९७
सभा का कार्य	४५९७
वित्त-विधेयक	४५९७–४६०९
अनुसूचियां तथा खंड १	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव स्वीकृत	४६०९–४६३०
प्रधान सेनापति (पद नाम में परिवर्तन) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत	४६३०–४६३४
खंड १ से ३ तथा अनुसूची	४६३२–४६३३
भारत में राज्य बैंक विधेयक—	४६३४
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	४६३५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संम्बधी समिति—	
अट्ठाईसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	४६३६
बाहों तथा नापों के बारे में संकल्प—संशोधित रूप में पारित	४६३६–४६५५
केन्द्रीय कृषिवित्त निगम के बारे में संकल्प—असमाप्त	४६५५–४६८४
अंक ४७— शनिवार, २३ अप्रैल, १९५५	
भारत का राज्य विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	४६८५–४७७०
सभा का कार्य	४७७०
संख्या ४८—सोमवार, २५ अप्रैल, १९५५	
स्थगन प्रस्ताव—	
पुर्तगाली प्राधिकारियों द्वारा कतिपय सत्याग्रहियों का निर्वासन	४७७१–४७७२
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति —	

	स्तम्भ
समितियों के लिये निर्वाचन—	
भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति	४७७२–४७७३
प्राक्कलन समिति	४७७३
लोक-लेखा समिति	४७७३
राज्य सभा के सदस्यों को लोक-लेखा समिति में रखने के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत	४७७४
अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग विधेयक—पुरःस्थापित—	४७७४
भारत का राज्य बैंक विधेयक—	
विचार के लिये प्रस्ताव—स्वीकृत	४७७४–४८७८
राज्य सभा से सन्देश—	४८७८
अंक ४९—मंगलवार, २६ अप्रैल, १९५५	
पटल पर रखे गये पत्र—	
अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम के अधीन अधिसूचना	४८७९
भारत में प्रथम साधारण निर्वाचन सम्बन्धी प्रतिवेदन, १९५१–५२—खंड १ (साधारण)	४८७९
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें	४८७९–४८८०
बीमा (संशोधन) विधेयक—	४८८०–४८८७
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४८८०–४८८२
श्री बी० आर० भगत	४८८२–४८८४
श्री के०के० बसु	४८८४–४८८५
श्री मात्तन	४८८७
खण्ड १ और २	४८८७
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	
भारत का रक्षित बैंक श्री बी० आर० भगत (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४८८७–४९१६
खण्ड १ से ११	४९१६–४९२०
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४९२०
भारतीय रेलें (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४९२०–४९२२
खण्ड १ और २	४९२२
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४९२२
हिंदू विवाह विधेयक—	४९२२–४९८४
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	४९२४
राज्य सभा से संदेश	४९८२
अंक ५०—बुधवार, २७ अप्रैल, १९५५	
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
उनतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४९८५
तारांकित प्रश्न संख्या २२८२ के उत्तर में शुद्धि	४९८५–४९८६
अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४९८६–५०६०

अंक ५१—गुरुवार, २८ अप्रैल, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—

१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगें (रेलवे) के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उत्तर . . ५०७९

राज्य सभा से संदेश . . ५०७९

सभा का कार्य . . ५०८०–५०८१,५१८६

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक

खंड ३ से १७ और अनुसूची . . . .

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . ५०८१–५१८०

हैदराबाद निर्यात शुल्क (मान्यीकरण) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . ५१८०–५१८४

खण्ड १ और २ ५१८५

पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . ५१८५–५१८६

अंक ५२—शुक्रवार, २९ अप्रल, १९५५

राज्य सभा से सन्देश . . ५१८७

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना ५१८७–५१८८

सभा का कार्य— ५१८९–५१९८,५२०२

हिन्दू विवाह विधेयक, राज्य सभा से पारित रूप में—

विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . ५१८९,५१९८,५२०२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सत्ताईसवां तथा उनतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . ५२३०–५२३१

भारतीय बाल दत्तक-ग्रहण विधेयक—पुरःस्थापित . . . ५२३१

जाति भेद उन्मूलक विधेयक .

विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . ५२३१–५२४४

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव—वापस लिया गया . . . ५२४५–५२६५

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४३५ का संशोधन)

विचार करने का प्रस्ताव—अ समाप्त ५२६५–५२८०

अंक ५३—शनिवार, ३० अप्रैल, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—

एयर इण्डिया इण्टरनेशनल कारपोरेशन का प्रथम प्रतिवेदन . . ५२८१

संचार मंत्रालय अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ५८९, दिनांक १२-३-५५ . . . . ५२८१

सभा की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—नवां प्रतिवेदन —उपस्थापित . ५२८२

	स्तम्भ
प्राक्कलन समिति—	
कार्यवाही उपस्थापित	५२८२
बांडुंग में हूए अफ्रेशियाई सम्मेलन के बारे में वक्तव्य . . .	५२८२–५२९५
भारत का राज्य बैंक विधेयक—	
खंडों पर विचार—समाप्त . .	५२९५–५४५८
खंड २ से ५३ और १ . . .	५२९५–५४३०
अनुसूची एक से चार	५४३०–५४५८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत .	५४५८–५४७२
सरकारी मकानादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—	
प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय—बढ़ाया जाना .	५४७२–५४७४

अंक ५४—सोमवार, २ मई, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—	
कानपुर में श्रम स्थिति .	५४७५–५४७७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	५४७७
राज्य-सभा से सन्देश	५४७८
पटल पर रखे गये पत्र—	
दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार, १९५३–५४ के संतुलन पत्र और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन आदि	५४७८
दिल्ली राज्य विद्युत बोर्ड का १९५४–५५ का पुनरीक्षित प्राक्कलन और १९५५–५६ का आयव्ययक प्राक्कलन . .	५४७९
याचिका समिति—	
पंचम प्रतिवेदन—उपस्थापित	५४७९
अनुपस्थिति की अनुमति . . .	५४७९
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हिन्दी का प्रयोग	५४८०–५४८२
नागरिकता विधेयक —पुरःस्थापित . .	५४८२
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	५४८३
हिन्दू विवाह विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत .	५४८३–५५६८
समवाय विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित	५५६८
सभा का कार्य	५६१४

अंक ५५—मंगलवार, ३ मई, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—	
लोक-ऋण (प्रतिकर बंध) नियम, १९५४	५६१५–५६१६
लोक-ऋण (वार्षिकी पत्र) नियम, १९५४	५६१५–५६१६

	स्तम्भ
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति . . .	५६१६
तृतीय प्रतिवेदन—उपस्थापित	५६१६
समितियों के लिये निर्वाचन—	
भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति . .	५६२२
टेकनिकल शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् . . .	
ब्रिटेन से आने वाले सूती वस्त्र पर आयात शुल्क में कमी के बारे में वक्तव्य	५६१६–५६१७
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
कोसी परियोजना के काम के सम्बन्ध में आरोप	५६१७–५६२२
हिन्दू विवाह विधेयक—	
खंडों पर विचार—असमाप्त	५६२३–५७५२
खंड २ से १२ .	५६२३–५७५२

अंक ५६—बुधवार, ४ मई, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—	
पुर्तगाली प्राधिकारियों द्वारा कुछ सत्याग्रहियों का निर्वासन .	५७५३–५७५८
कानपुर में श्रम स्थिति	५७५८–५७६२
पटल पर रखे गये पत्र—	
प्रशुल्क और व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार का पुनर्विलोकन . .	५७६२
सरकार द्वारा आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही के विवरण .	५७६२–५७६३
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के आयुक्त का ३१ दिसम्बर, १९५४ को समाप्त होने वाली अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन.	५७६४
समवाय विधेयक पर साक्ष्य .	५८४८
राज्य सभा से सन्देश . .	५७६४–५७६८
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में पटल पर रखा गया .	५७६८
हिन्दू विवाह विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में खंडों पर विचार—	
असमाप्त	५७६८–५८४७, ५८४८–५९१६
खंड ९ से १२ . .	५७६८–५७७९
खंड १३ से १८ . .	५७७९–५८४७
खंड १९ से २३ . .	५८७२–५८९२
खंड २४ से २८ . .	५८९२–५९१६

अंक ५७—गुरुवार, ५ मई, १९५५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
हिन्दी आयोग की नियुक्ति . .	५९१७–५९१९
राज्य सभा से सन्देश	५९१९

	स्तम्भ
आश्वासनों सम्बन्धी समिति—	
दूसरा प्रतिवेदन—उपस्थापित . . .	५९१९
तारांकित प्रश्न संख्या २४३५ के उत्तर में शुद्धि .	५९१९
हिन्दू विवाह विधेयक—	
खंडों पर विचार—समाप्त	५९२०
खंड २४ से ३० और १ . .	५९२०–५९४१
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	५९४१–५९८०
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—	
संयुक्त समिति के बारे मे प्रस्ताव—असमाप्त .	५९८१–६०६८

अंक ५८—शनिवार, ७ मई, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—	
१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगों (रेलवे) के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों क उत्तर	६०६९
सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं पर आय-व्ययक वाद-विवाद में उठाई गई बातों के बारे में ज्ञापन	६०६९–६०७०
हीराकुड बांध परियोजना में अनियमितताओं पर की गई कार्यवाही की प्रगति के बारे में वक्तव्य	६०७०
तारांकित प्रश्न संख्या १७५० के उत्तर में शुद्धि	६०७०–६०७१
पांडिचेरी की वस्त्र मिलों के बारे में वक्तव्य .	६०७१–६०७३
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग में बेकारी . . .	६०७३–६०७५
लोक-प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—वापस लिया गया	६०६५–६०७६
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	६०७६
भारतीय टंकन (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	६०७६–६०७७
भूमि सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	६०७७
सभा का कार्य	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन	६०७७–६०७८
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—	
संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त	६०७८–६१८७
श्री चिनारिया का निधन—	६१८७–६१८८

लोक सभा

शुक्रवार, २९ अप्रैल, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

११.२७ म० पु०

राज्य सभा से संदेश

सचिव : मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि लोक-सभा द्वारा १८ अप्रैल १९५५ को पारित समुद्र सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक, १९५५ को राज्य सभा ने बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

विश्वविद्यालय अनुदान अयोग विधेयक

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय बढ़ाया जाना

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : गाडगील की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "विश्वविद्यालयों में स्तरों के समन्वय और निर्धारण करने वाले तथा उस प्रयोजन के लिये एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापित करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये नियत समय ३० जुलाई १९५५ तक बढ़ा दिया जाय ।"

श्री टी० बी० विट्ठल राव (खवम्मम): समय बढ़ाने की प्रार्थना करने के लिये क्या आधार है ?

डा० एम० एम० दास : मैं निवेदन करता हूं कि वह समिति २२ मार्च, १९५५ को नियुक्त की गयी थी । समिति का प्रतिवेदन ३० अप्रैल, १९५५ तक मांगा गया था । अब तक कुछ चार बैठकें हुई हैं । सभापति को अपना कार्य अब तक समाप्त करना संभव नहीं हुआ है क्योंकि सभा में बहुत महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हो रही थी और सदस्यगण महत्वपूर्ण विधेयकों और आय-व्ययक सम्बन्धी चर्चा में भी भाग लेना चाहते थे । अतः समिति अपना कार्य समाप्त न कर सकी । अतः मैं समिति के अध्यक्ष की ओर से सभा से प्रार्थना करता हूं कि समय बढ़ा दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "विश्वविद्यालयों में स्तरों के समन्वय और निर्धारण करने वाले तथा उस प्रयोजन के लिये एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापित करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये नियत समय ३० जुलाई, १९५५ तक बढ़ा दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभा का कार्य

अध्यक्ष महोदय : अब सभा हिन्दू विवाह विधेयक पर चर्चा करेगी ।

डा० रामा राव (काकिनाडा) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सत्र की अवधि बढ़ाई जायेगी, और यदि हां, तो कब तक ।

अध्यक्ष महोदय : सभा के समक्ष बहुत अधिक वैधानिक कार्य हैं और स्वयं माननीय सदस्य भी अधिक समय चाहते हैं । मुझे विश्वास है कि संसद कार्य मंत्री इस सम्बन्ध में कोई वक्तव्य देंगे ।

हिन्दू विवाह विधेयक—(जारी)

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : इस क्रान्तिकारी प्रकार के समाजिक विधान के सम्बन्ध में यदि हम प्रजातंत्रीय सिद्धान्तों को अपनाना चाहते हैं तो हमें इस प्रकार के व्यापक विधान पारित करने से पूर्व जनता से निश्चित अनुज्ञा प्राप्त करनी चाहिये । जिस प्रकार से सरकार कार्य कर रही है वह प्रजातंत्र के सिद्धान्तों के विरुद्ध है । अतः मेरा निवेदन है कि प्रजातंत्र के पृष्ठपोषक इस विषय को आगामी चुनाव का आधार बनायें । और यदि उनको जनता का समर्थन प्राप्त हो जाये तब इस प्रकार का विधान बनाना ठीक होगा ।

इस विधान के सम्बन्ध में देश में तीव्र मतभेद है । अतः इस प्रकार का व्यापक विधान प्रस्तुत करने से पूर्व इस के सम्बन्ध में जनता का मत ज्ञात किया जाना चाहिये, उसकी अनुज्ञा प्राप्त की जानी चाहिये ।

मैं एक प्रश्न पूछता हूं । क्या इस प्रकार का साम्प्रदायिक विधान हमारे संविधान की भावना के प्रतिकूल नहीं है? क्या यह उन निदेशक तत्वों के अनुकूल है जिन को हम ने अपने संविधान का आधार बनाया है ? क्या आप संविधान निर्माताओं की भावनाओं का हनन नहीं कर रहे हैं ?

हमारे संविधान निर्माताओं की यह धारणा थी कि विभिन्न व्यवहार संहितायें नहीं होनी चाहियें तथा उन का यह प्रयत्न था कि समूचे भारतवर्ष के लिये कोई एक समान व्यवहार संहिता बनाई जाये जिस में साम्प्रदायिकता का लेश भी न हो ।

माननीय प्रधान मंत्री ने समय समय पर निदेशक तत्त्वों के महत्व की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है । संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक पर चर्चा के समय उन्होंने संविधान के भाग ४ के अनुच्छेद ३७ की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था । उन्होंने निदेशयक तत्त्वों के अतिशय महत्व पर आग्रह किया था । उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि यदि निदेशक तत्त्वों और मूल भूत अधिकारों में परस्पर संघर्ष होने की अवस्था में निदेशक तत्त्वों को मान्यता दी जानी चाहिये ।

क्या आप मान्यता दे रहे हैं ? आशय केवल यही था कि विभिन्न सम्प्रदायों के लिये पृथक पृथक व्यक्तिगत विधियां नहीं होनी चाहियें । आप कहते हैं कि हमारा राज्य धर्म निरपेक्ष है और हमारा संविधान भी धर्म निरपेक्ष है तो फिर आप निदेशक तत्त्वों का अतिक्रमण क्यों करते हैं ? हिन्दू विवाह विधि या हिन्दू तलाक विधि की तुक क्या है ।

मेरा विश्वास है कि देश के प्रवासन में निदेशक तत्त्वों को अधिमान दिया जाना चाहिये और उन सिद्धान्तों को कानून बनाते समय ध्यान में रखा जाना चाहिये । तो फिर आप उन सिद्धान्तों का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं । समूचे देश के लिये कोई एक समान विधि

बनाने का आप प्रयत्न क्यों नहीं करते हैं ? संविधान के निदेशक तत्त्वों का अतिक्रमण किये जाने के लिये कोई सारभूत कारण होने चाहियें ।

क्या इस विधान के द्वारा आप समता अधिकार के विषय में दी गई प्रतिभूति का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं ? श्री इन्द्र विद्या-वाचस्पति ने अपनी विमति टिप्पणी में कहा है कि यह विधान भारत के संविधान में निर्धारित मूलभूत अधिकारों के प्रतिकूल है क्योंकि यह एक धर्म विशेष के प्रति विभेद करता है । यदि आप समझते हैं कि बहुपत्नित्व प्रथा का उन्मूलन किया जाये और एकपत्नित्व को प्रश्रय दिया जाये तो बेचारी मुस्लिम महिलाओं को इस वरदान से क्यों वंचित करते हैं ? किसी जाति या समुदाय विशेष के लिए कानून बनाने का आपको क्या अधिकार है ? यही बात श्री इन्द्र विद्या-वाचस्पति ने भी कही है । यदि आप समझते हैं कि बहुपत्नित्व एक श्राप है तो इस से न केवल हिन्दू महिलाओं को अपितु मुस्लिम महिलाओं को भी बचाया जाना चाहिये ।

परन्तु आप में इतना साहस नहीं है आप संविधान का केवल मौखिक समर्थन ही करते हैं और जब भी कार्य करने का अवसर आता है तो उसके प्रतिकूल कार्य-वाही करते हैं । ऐसा करना उचित नहीं हैं । आप अपने निर्मम बहुमत से इसे लागू करना चाहते हैं । आप स्वयं अपने मूलभूत अधिकारों का हनन कर रहे हैं। आप अपने संविधान का स्वयं ही उल्लंघन और अतिक्रमण कर रहे हैं । आपका संविधान कहता है कि कानून की दृष्टि में इस देश के प्रत्येक नागरिक की स्थिति समान होगी । क्या यही समानता है जिसका कि आप गुणगान करते हैं ? क्या आप विभिन्न समुदायों में नागरिक नागरिक में भेदभाव नहीं कर रहे हैं ? क्या ऐसा करना उचित है ।

केवल वैधानिक दृष्टिकोण से देखने का कोई लाभ नहीं । आपको संविधान की भावना को ध्यान में रखना चाहिए ।

मेरी राय में इस विधेयक की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं। आप एक अधिनियम पारित कर चुके हैं, जिसे विशेष विवाह अधिनियम कहा जाता है । यह अधिनियम न केवल उन व्यक्तियों पर जिन्होंने अपने विवाह १८७२ के विशेष विवाह अधिनियम के अधीन रजिस्टर कराये थे, बल्कि उन हिन्दुओं पर भी लागू होगा जिन्होंने सांस्कारिक विवाह किये हैं और यह भूतलक्षी प्रभाव से लागू हो सकेगा । ये लोग निर्धारित शर्तों के अधीन विवाह-विच्छेद के उपबन्ध का भी लाभ उठा सकेंगे । इस बात को ध्यान में रखते हुये मैं प्रधान मंत्री और माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इस विधेयक में विवाह-विच्छेद का उपबन्ध रखने की क्या आवश्यकता है ? जब विशेष विवाह अधिनियम में यह उपबन्ध है तो इस तरह इस विधेयक के द्वारा सांस्कारिक विवाहों में हस्तक्षेप करके देश के लाखों लोगों की धार्मिक भावनाओं को धक्का क्यों पहुंचाया जाये ? यदि कोई स्त्री या पुरुष किन्हीं उचित आधारों पर तलाक लेना चाहते हैं तो वे विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत आसानी से ले सकता ह । इस चीज को यहां क्यों रक्खा जाये और दोहरी व्यवस्था क्यों की जाये ? मैं आप का ध्यान उस सुझाव की ओर आकर्षित करता हूं जो बनारस विश्व-विद्यालय के प्राधयापक श्री देशपांडे ने दिया है । उन्होंने कहा है कि यदि कोई स्त्री या

[श्री एन० सी० चटर्जी]

पुरुष विशेष विवाह अधिनियम में कोई त्रुटि बतलाये और कोई स्त्री, देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये यह समझती है कि उसे एक पार्श्विक घोषणा के द्वारा विशेष विवाह अधिनियम के उपबन्धों से लाभ उठाना चाहिये तो हम उन शर्तों पर जिनके अधीन ऐसा किया जा सकता है विचार करने के लिए तैयार हैं। अतः सब प्रतिबन्ध हटाये जा सकते हैं और सब युक्तियुक्त संरक्षण लगाये जा सकते हैं विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत हिन्दू पत्नी और पति दोनों तलाक ले सकते हैं। किन्तु यदि आप समझते हैं कि कुछ कठिन मामलों में किसी हिन्दू पत्नी को विवाह रजिस्टर कराने का एक पार्श्विक अधिकार मिलना चाहिये, तो इस मामले पर विचार किया जा सकता है। प्रो० देशपांडे ने इस सम्बन्ध में एक नोट परिचालित किया है। इस में उन्होंने यह बताया है कि पश्चिमी देशों में बढ़ते हुए तलाक के कारण पारिवारिक जीवन का किस तरह सत्यानाश हो रहा है। अब वे तलाक को अधिक कठिन बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। किन्तु हम यहां उनका अनुसरण करना चाहते हैं।

माननीय मंत्री जब यह कहते हैं कि हिन्दू विवाह को, हिन्दु धर्म शास्त्रों के अनुसार कभी सांस्कारिक नहीं माना गया तो मेरे विचार में वह सारे देश को धोखा देते हैं। मुझे यह सुन कर अत्यधिक आश्चर्य हुआ है। मेन ने जो कि इस देश में हिन्दू विधि के विषय में सब से बड़े प्रमाण पुरुष हैं, अपनी पुस्तक 'हिन्दू विधि और प्रथा' में लिखा है कि विवाह सब हिन्दुओं के लिए एक आवश्यक संस्कार है। सर गुरूदास बैनर्जी ने भी जो इस विषय के सबसे बड़े प्रमाण पुरुष हैं, अपनी पुस्तक "विवाह की हिन्दू विधि और स्त्री धन" में कहा है कि विवाह १० संस्कारों में से एक है। किन्तु श्री पाटस्कर इस बात को नहीं मानते और उनका कहना है कि संस्कार का उद्भव हाल ही में हुआ है। डा० पंढ़ारी नाथ प्रभू ने भी जो कि वकील नहीं बल्कि एक विख्यात समाज शास्त्री हैं, कहा है कि यह एक संस्कार है जो कि ऋगवेद के जमाने से प्रचलित है।

महामहोपाध्याय कानें की प्रख्यात पुस्तक "धर्म-शास्त्र का इतिहास" का पहला वाक्य यह है कि हिन्दू विवाह एक संस्कार है। सब धर्म शास्त्रों, श्रुतिकारों और ऋषियों ने जिनमें मनु और याज्ञवलक्य भी सम्मिलित हैं इसे संस्कार माना है और प्रत्येक ने कहा है कि यह हाल के उद्भव का नहीं है। मैं नहीं जानता कि पाटस्कर इसे ऐसा क्यों नहीं समझते।

मुल्ला की हिन्दू विधि के अन्तिम संस्करण में जिसका सम्पादन भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधिपति ने किया है, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हिन्दू विधि के अनुसार विवाह एक पवित्र संस्कार है और संविदा नहीं है। यह संस्कार मानव के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने के लिए है और इसमें लज्जा की कोई बात नहीं, बल्कि गर्व करने की बात है।

डा० राधाकृष्णन ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो कमला भाषण दिये थे, उन में उन्होंने इस सिद्धान्त की प्रशंसा की है।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

उन्होंने कहा है कि जन्म जन्मांतर का सहयोग हिन्दू सांस्कारिक विवाह का

मुख्य सिद्धान्त है। उन्होंने लिखा है कि विवाह केवल एक संविदा नहीं है। यह व्यक्ति के विकास और जीवन को सम्पन्न बनाने क लिए है। इसके बिना व्यक्ति वा समाज के लिए कोई सुख नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि इस पुरानी विचार धारा का अब भी भारतीयों पर बहुत प्रभाव है, जिनमें संभवतः अन्य देशों की तुलना में स्थिर विवाहों की संख्या अधिक होती है और पारिवारिक प्रेम भी अधिक होता है।

निवेदिता बहन ने जो कि एक आयरिश स्त्री थीं और विवेकानन्द की चेली थीं और जिन्होंने अपना सारा जीवन भारत के लिए अर्पण कर दिया था, लिखा है कि पवित्रता का सबसे ऊंचा आदर्श भारतीय हिन्दू नारी है। मैं कहता हूं कि हिन्दू जीवन की पवित्रता विवाह की सांस्कारिक प्रणाली से उत्पन्न हुई है। आप इसे भंग करने की चेष्टा न करें।

मुझे बहुत खेद है कि श्री पाटस्कर ने डा० राधा विनोद पाल पर भी जो कि विश्व भर में विख्यात वकील और न्यायाधीश हैं, आक्षेप किये हैं। उन्होंने कहा है कि हिन्दू कोड विधेयक के सम्बन्ध में हाल में जो सम्मेलन हुआ था उस के बुलाने वालों ने डा० राधा विनोद पाल को कुछ बातें करने के लिए बाध्य किया था। यह सत्य नहीं है और मैं इस आरोप का खंडन करता हूं। उन्होंने अपना भाषण देने से पहले किसी से परामर्श नहीं लिया था और वह ऐसे आदमी नहीं हैं जो दूसरों के कहे पर चलें।

उन्होंने कोई अनुचित बात नहीं कही है। उन्होंने केवल इतना ही कहा है कि आप को पुरानी रीतियों और प्रथाओं को शीघ्रता मेंतोड़ते समय विशेष सतर्कता से काम लेना चाहिये। आप इसे धमकी क्यों समझते हैं; यह तो चेतावनी है अनुरोध है, उदबोधन है! डा० राधा विनोद पाल के बारे में, जिन्हें अन्तर्राष्ट्री संगठनों में अन्तर्राष्ट्रीय विधि संहिता तैयार करने के लिये बुलाया गया है, यह कहना कि संसद का अल्प संख्यक दल उनसे अपने पक्ष की बात कहला लेगा कहा तक युक्ति-संगत है? श्री पाटस्कर को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये थी। डा० पाल ने कहा है कि जिन उपकरणों को प्रयोग में लाया जा रहा है, वही कुछ समय के पश्चात समारे विरोधी सिद्ध होंगे।

बम्बई और मद्रास में एक पत्नीत्व विधियों से यह अनुभव प्राप्त हुआ है कि ये विधियां पुरुषों के लिये लाभदायक और स्त्रियों के लिये हानिकारक सिद्ध हुई हैं, क्योंकि पुरुषों को कुछ समय पश्चात सुन्दर और युवती पत्नी रखने का अवसर मिल जाता है और यहीं से उनकी अपनी पत्नियों का दुर्भाग्य आरंभ हो जाता है। इन विधियों के अधीन पुरुषों को अपनी पुरानी पत्नियों से छुटकारा पाने का सरल उपाय मिल जाता है।

संविधान में दिये गये निदेशक सिद्धांतों में साम्प्रदायिकता नष्ट करने और धर्म निरपेक्ष समाज बनाने का उपबंध किया गया है। फिर आप केवल हिन्दुओं के लिये यह विधि बनाकर समानता और मूलभूत अधिकारों का क्यों अतिक्रमण कर रहे हैं? यदि आप में साहस और बुद्धिमत्ता है तो आप सब व्यक्तियों के लिये एक रूप व्यवहार संहिता का निर्माण कीजिये। इस प्रकार

[श्री एंन० सी० चटर्जी]

एक समय एक पत्नी और एक पति का उपबन्ध करने से क्या बहुविवाह की प्रथा समाप्त हो जाएगी ? यह एकपत्नीत्व इसका योग्य उपाय नहीं है ।

श्री पाटस्कर ने मनुस्मृति के अध्याय ९ के श्लोक ४६ का उल्लेख किया है । यह श्लोक श्री पाटस्कर के तर्क से बिल्कुल विपरीत है । इस का यह अर्थ है कि यदि कोई अपनी स्त्री को बेच भी दे और उसका परित्याग भी कर दे तो भी उनका वैवाहिक बंधन अक्षुण्ण रहता है । परन्तु श्री पाटस्कर ने इस श्लोक का गलत अर्थ लगाया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को बेच सकता है और छोड़ सकता है और उसके लिये औपचारिक विवाह विच्छेद करना अनिवार्य नहीं है । मनु जी के सामने राम और हरिश्चन्द्र जैसे महान पुरुषों का आदर्श था, जिन्होंने परिस्थिति वश अपनी पत्नियों को छोड़ दिया और बेच दिया परन्तु अपना विवाह-संबंध अक्षुण्ण रखा ।

मनु ने हिन्दू विवाह को संस्कार और कभी न टूटने वाला तथा सदा सर्वदा रहने वाला साहचर्य बतलाया है । इस लिये मैं सभा के सब वर्गों से अनुरोध करता हूं कि हिन्दू विवाह की पवित्रता को नष्ट न किया जाए और हिन्दु विवाह विच्छेद का उपबन्ध न जोड़ा जाय । पहले जो विधि पारित की जा चुकी है, उसके होते हुए यहां विवाह विच्छेद का उपबन्ध करन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसे विवाह विच्छेद करना होगा, वह उस विधि के अधीन कर सकेगा । अतः मेरा निवेदन है कि इस लोकतंत्र विरोधी और असंवैधानिक विधि उपबन्ध नहीं करना चाहिये ।

हजारों वर्षों से हिन्दु समाज चला आ रहा है जिसे कितने करोड़ व्यक्ति अपनाते हैं, उसका आधार नष्ट करने वाल ऐसे विधेयक को पारित नहीं करना चाहिये ।

हिन्दु स्त्रियों के लिये यही वैदिक पवित्रता है, और विवाह की पवित्र प्रणाली ने उनके जीवन को इतना महान और पवित्र बनाया है कि इसी से हमारी संस्कृति और संभ्यता हजारों वर्षों से जीवित रही है । उस आधार को भ्रष्ट करने वाली किसी विधि को भी संविधि-पुस्त में स्थान नहीं मिलना चाहिये ।

सभा का कार्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं इस सभा को उपलब्ध समय के बारे में वक्तव्य देना चाहता था । परन्तु मैं ने सोचा है कि जब अध्यक्ष महोदय उपस्थित होंगे तो मैं वक्तव्य दूंगा, क्योंकि कई बातों में उनका मत जानने की आवश्यकता है ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

कुछ समय पूर्व कार्य मंत्रणा समिति ने समय निर्धारित किया था । उसके बाद नये मामलों के कारण जिन पर विचार हो रहा है कुछ परिवर्तन किये गये हैं । अब मैं और सरकार इस बात के लिये उत्सुक हैं कि वर्तमान विधेयक के अतिरिक्त, जिस पर विचार हो रहा है, इस सभा को इस सत्र के स्थगित होने से पूर्व हिन्दु उत्तराधिकार विधेयक के लिये एक संयुक्त समिति बनाने के बारे में राज्य-सभा के प्रस्ताव पर विचार करना चाहिये ।

समय सीमित है, तो भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जो काम आरंभ कर रखा है, उसके साथ साथ हमें इस महत्वपुर्ण काम को भी निभाना चाहिये। मैं आप से और सभा से निवेदन करुंगा कि हमारे लिये जल्दी और बाद में और आवश्यक हो तो दोनों प्रकार बैठना वांछनीय है, ताकि हम उस काम को पुरा कर सकें। हम १० बजे से ६ बजे सायं तक बैठ सकत हैं।

अध्यक्ष महोदय : सभा को जो बात स्वीकार है वह मुझे भी स्वीकार है।

कुछ माननीय सदस्य : हां, हां।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : मैं इस सुझाव का विरोध करता हूं।

डा० रामाराव : जल्दी बैठने और देरी से उठने की बजाए स्तर को बढ़ा देना अच्छा है, क्योंकि अधिक काम करने से हम इस विषय पर अच्छी तरह विचार नहीं कर सकेंगे।

श्री वी० जी० देशपांडे : ये दोनों विधेयक आवश्यक हैं, और इस पर इतनी शीघ्रता में विचार करना वांछनीय नहीं है। अतः मेरा निवेदन है कि हमें १० बजे से ६ बजे तक बैठने को बाध्य नहीं किया जाना चाहिये।

श्री दामोदर मेनन : (कोजीकोड) : मैं सत्र को ७ तारीख से आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं सत्र की अवधि बढ़ाने का सुझाव नहीं दे रहा था। मैं कहता हूं कि ७ मई अन्तिम तिथि है। वास्तव में बुद्ध जयंती के कारण ६ तारीख को छुट्टी है और हम ७ मई को भी बैठ सकते हैं।

तथापि, यह विवादापद मामला नहीं है। मैं यह नहीं कहत कि सभी सदस्यों को लगातार १० बजे से ६ बजे तक बैठना चाहिये। साधारणतया, बहुत सी अन्य संसदों में, बहुत देर तक बैठकें होती रहती हैं। यह कोई असाधारण बात नहीं है

अध्यक्ष महोदय : सरकार इस विशिष्ट विधेयक को महत्वपूर्ण समझती है। किन्तु कठिनाई यह है कि भारतीय वायुमंडल के अन्दर आजकल लगातार दस घण्टे बैठने के साथ हम इस विषय पर अच्छी तरह विचार नहीं कर सकेंगे। कार्य मंत्रणा समिति ने प्राथमिकता निश्चित नहीं की, इसी कारण यह कठिनाई उत्पन्न हुई है। मैं सदस्यों को लगातार दस घंटे बैठने के लिये बाध्य नहीं करना चाहता, परन्तु यदि सभा इस बात को स्वीकार करती है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा यह सूझाव है कि सभा में इस पर वाद-विवाद करने कीई अपेक्षा कुछ सदस्यों की एक छोटी प्रतिनिधि बैठक हो और तब कोई नियम बनाया जा सकता है।

श्री एन० सी० चटर्जी : कार्य मंत्रणा समिति को बुलाकर अभी निश्चय किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : काम अधिक होने के कारण ही हमने ५ घंटे के स्थान पर ६ घंटे की बैठकों की हैं। क्योंकि कार्य मंत्रणा समिति समय सत्र की अवधि नहीं बढ़ा सकती इसलिये यह ठीक होगा कि इस सभा के कुछ प्रतिनिधि व्यक्ति इस पर विचार करलें, ताकि सब विभिन्न दृष्टिकोण और विचार समझे जा सकें।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : (नई दिल्ली) : यह बात ठीक है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती (बसिहाट): सब महिला सदस्य चाहती हैं कि सभा स्थगित होने से पूर्व यह विधेयक संयुक्त समिति को भेजा जाए, अतः हमें अधिक समय तक बैठना चाहिये, ताकि इस में विलम्ब न हो जाए।

अध्यक्ष महोदय: अध्यक्ष को सभी सदस्यों का ध्यान रखना पड़ता है। यदि सभा को मेरा सुझाव स्वीकार नहीं है, तो सभा को अपना निर्णय कर लेना चाहिये।

श्री आर० के० चौधरी: हमें देर तक बैठने में आपत्ति नहीं है, परन्तु बीच में मध्यान्ह भोजन का समय मिलाना चाहिये और प्रधान मंत्री को उस समय नहीं बोलना चाहिये।

श्री जवाहरलाल नेहरू: हम १० बजे से ६ बजे के बीच आध घंटे का मध्यान्ह भोजन का समय रख सकते हैं।

श्री एम० एस० गुरूपाक्स्वामी: इस विधेयक को हम इसी सत्र म पारित नहीं कर रहे हैं, इसलिये इस विधेयक को आगामी सूत्र के आरंभ में लिया जा सकता है और संयुक्त समिति को भेजा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय: हमें चर्चा के अन्दर आवश्यकता बातों को छौड़ देना चाहिये, ताकि काम अधिक शीघ्र समाप्त हो सक। सभा की बैठक आगामी सोमवार से १०-३० बजे से ६ बज तक लगातार होगी।

श्री जवाहरलाल नेहरू: मैं चाहता हूं, यदि आप की अनुमति हो, कि कल सभा में बांडुंग सम्मेलन के बारे में संक्षिप्त वक्तव्य दं।

अध्यक्ष महोदय: कल ग्यारह बजे प्रधान मंत्री बांडुंग सम्मेलन पर वक्तव्य देंगे और उसके पश्चात् राज्य बैंक विधेयक पर चर्चा आरम्भ की जायेंगी और के समाप्त होने तक सभा बैठेगी। अब हिन्दू विवाह विधेयक पर आगे चर्चा की जायेगी।

हिन्द विवाह विधेयक—जारी

पंडित क० सी० शर्मा (जिला मेरठ-दक्षिण): [मैं ने श्री चैटर्जी के लम्बे भाषण को ध्यान से सुना और विधि के प्रमाण पुरुषों का परामर्श प्राप्त किया। मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि इस में कोई अत्युक्ति नहीं कि हमारी सभ्यता विश्व की सब से महान सभ्यताओं में से एक थी।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

परन्तु आप इस तथ्य से इन्कार नहीं कर सकते कि इसमें गिरावट आ चुकी है। केवल अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को प्रशंसा करने स ही हमारा सम्मान नहीं बढ़ सकता।

विश्व की प्रत्येक संस्कृति वर्ग भेद से आरम्भ हुई और हिन्दू संस्कृति भी तब तक जीवित थी जब तक वर्गभेद जाति भेद में परिवर्तित नहीं हुआ था। जातिभेद आने से इसका अन्त हो गया और अब इसकी प्रशंसा करना एक शव को गल लगाने के समान है।

विवाह संस्था एक सामाजिक समस्या है और इसका धर्म सै कोई सम्बन्ध नहीं है। विवाह वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके किया जाता है या किसी अन्य प्रकार से इसका अधिक महत्व नहीं है। पति पत्नी अच्छी प्रकार रहते हैं, समाज के लोगों से अच्छा बर्ताव करतें हैं तो इसका धर्म से क्या सम्बन्ध है। ईश्वर की ज्योति तो प्रत्येक प्राणी के प्रति अपना

कर्तव्य पूरा करने के पश्चात दिखाई देती है ।

मूल प्रश्न तो यह है कि वर्तमान हिन्दू विधि को वास्तव में विधि नहीं कहा जा सकता । हिन्दू विधि न्यायिक निर्णयों पर आधारित नहीं है । वस्तुतः विधि सम्बन्धी प्रतिवेदनों में इसकी महत्वपूर्ण बातें मिलती हैं । क्या प्रिवी कौंसिल के निर्णयों पर हिन्दू विधि के प्रशासन को आधारित रखना चाहते हैं । मेरा निवेदन है कि राष्ट्र के स्वाभिमान के लिये हमें ऐसी विधि अवश्य बनानी चाहिये और यदि ऐसी विधि आवश्यक है तो वह अवश्य संहिताबद्ध और नवीन होनी चाहिये जिससे आपके लोगों की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके ।

वह विधि अपने समय में अच्छी थी । मनु ने जब इस विधि का निर्माण किया तब सभ्यता का आधार शारीरिक बल था परन्तु अब वह युग बीत चुका है, विचार धारा बदल चुकी है और मनुष्य बदल चुका है । मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि मनुष्य सात वर्ष में बदल जाता है तो क्या आप लाखों वर्ष में भी नहीं बदल सकते ? इस विधि को संतोषजनक विधि नहीं कहा जा सकता । हिन्दू विधि पर कोई भी पुस्तक पढ़कर देख लें उसके प्रारम्भ में ही आप जाति भेद का वर्णन देखेंगे जिसकी अब कोई उपयोगिता नहीं रही है और ऐसी विधि को अच्छा नहीं समझा जा सकता जो लोगों को विभिन्न वर्गों अथवा जातियों में बांट दे ।

एक ओर तो आप अस्पृश्यता का अन्त करने का संकल्प करते हैं और इसकी घोर निंदा करते हैं दूसरी ओर आप उस विधि की प्रशंसा करते हैं जो जातिभेद की समर्थक है । दोनों बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं ।

श्री एन० सी० चटर्जी ने विवाह विच्छेद के बारे में कहा है । मैंने भी विवाह सम्बन्धी वर्तमान विधि का अध्ययन किया है । सामान्य हिन्दू विधि में विवाह विच्छेद का कहीं उल्लेख नहीं है । इसका यह कारण है कि हिन्दू दृष्टिकोण से विवाह का बन्धन अटूट है । पति पत्नी में से कोई व्यभिचारी हो, पत्नी पति को छोड़कर वेश्या हो जाये तब भी विवाह विच्छेद स्वीकार्य नहीं है । क्या ऐसी हालत में इस विधि को अच्छा कहा जा सकता है ? उस विधि को अच्छा कहा जा सकता है जो सभ्य समाज को पसन्द हो । मनु ने भी इस बात का समर्थन किया है । दयानन्द ने भी कहा है कि व्यवहार क्रम में विवेक होना चाहिये और अच्छी विधि की परीक्षा विवेक की कसोटी पर ही की जा सकती है । क्या कोई सभ्य व्यक्ति उस स्त्री को पुनः अपनी पत्नी के रूप में अपना सकता है जो वेश्या बन चुकी हो ? अतः इस विधि पर पुनः विचार करना चाहिये ।

मैं ऋषियों का बड़ा सम्मान करता हूं । मैं स्वयं ब्राह्मण हूं और इसमें गर्व अनुभव करता हू । और इन सूक्ष्म भावनाओं और इस परम्परागत बन्धन के होते हुए भी मैं कहता हूं कि परिस्थितियां ऐसी हो चुकी हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिये और अपनी विधि को संहिताबद्ध करना चाहिये ।

पवित्र ग्रन्थों पर आधारित कोई हिन्दू विधि नहीं है । वर्तमान विधि केवल प्रिवी कौंसिल के निर्णय हैं और स्वतंत्र सर्व प्रभुत्व सम्पन्न लोगों के लिये जो

[पंडित के० सी० शर्मा]

महान सभ्यता का दावा करत हैं यह कोई सम्मान की बात नहीं कि वे न्याय प्रशासन के लिये इन निर्णयों को आधार बनायें।

वर्तमान निर्णयों से एक उचित विधि का निर्माण नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद १४ के अन्तर्गत एकरूप विधि बनाई जानी चाहिए नहीं तो श्री चटर्जी और श्री वी० जी० देशपांडे ने जो अर्थ निकाला है उसके अनुसार लोगों को यह अधिकार देना होगा कि चाहे किसी को बीमारी हो या न हो उसे हस्पताल में जाकर उपचार करवाना होगा। यहां प्रश्न हिन्दू विधि का है। इसे संहिताबद्ध करना चाहिए और एकरूप विधान बनाना चाहिए और यह विधेयक हमें इस उद्देश्य की ओर ले जायेगा।

विशेष विवाह अधिनियम पहले ही बनाया जा चुका है। श्री चटर्जी ने इसमें एक संशोधन का सुझाव दिया कि एक पक्ष के कहने पर भी हिन्दुओं के विवाह को विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया जा सके। पर मेरा विचार है कि दोनों पक्ष इस पर सहमत होने चाहियें। अतः यह संशोधन ठीक नहीं है क्योंकि विशेष विवाह अधिनियम में विवाह के संविदा सम्बन्धी पहलू पर अधिक जोर दिया गया है प्रत्येक धर्म और समाज में जो विवाह होते हैं उनमें पवित्रता और संविदा के तत्व निहित होते हैं। पवित्रता इस लिये कि एक का जीवन दूसरे से मिल जाता है और संविदा इस लिये कि पुरुष धन कमाता है, स्त्री की रक्षा करता हैं और स्त्री घर की देखभाल और प्रबन्ध करती है। अपने पति के पुरुषत्व का फल प्राप्त करने के लिये उसे अपना शरीर अर्पण करना पड़ता है और पति की आज्ञा का पालन करना पड़ता है, हिन्दू ग्रंथों में से श्लोक या मन्त्र पढ़कर या कुरान की आयत पढ़ कर विवाह करने से केवल भाषा में ही अन्तर रहता है उनका सारांश एक ही होता है, हिन्दू विवाह में भी पवित्रता और संविदा के तत्व विद्यमान हैं। विशेष विवाह अधिनियम में जब वह अध्याय बढ़ाया गया जो पवित्र विवाह के पंजीयन की व्यवस्था करता है तो मैंने उस पर आपत्ति की थी क्योंकि हिन्दू विवाह में पवित्रता को अधिक महत्व दिया गया है और इसे संविदा में बदलते समय दोनों पक्षों का सहमत होना आवश्यक है।

इस विधेयक में दो त्रुटियां हैं। इस विधेयक में विवाह के दायित्व निर्धारित किये जाने चाहिएं। वे दायित्व यह हैं कि स्त्री को निर्वाह व्यय का अधिकार प्राप्त हो और पुरुष को स्त्री के शरीर पर अधिकार हो।

स्त्री से निर्वाह व्यय प्राप्त करने के बारे में जो उपबन्ध हैं वह भी निकाल दिये जाने चाहिएं क्योंकि साधारणतः यह आशा नहीं की जा सकती कि स्त्री पुरुष के पोषण के लिए धन कमाये।

कुछ माननीय सदस्य हिन्दू विधि और विवाह की पवित्रता को बनाये रखने के पक्ष में ह। में उनसे सहमत हूं परन्तु विवाह विच्छेद की व्यवस्था किये बिना भी नहीं रहा जा सकता। साथ ही यह प्रबन्ध किया जा सकता है कि विवाह विच्छेद सरलता से न किया जा सके

परन्तु विवाह विच्छेद की व्यवस्था अवश्य करनी होगी ।

श्री खर्डेकर (कोल्हापुर व सतारा) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और इसका समर्थन करता हूं । श्री एन० सी० चटर्जी ने कुछ बातें कहीं है । उनकी उपस्थिति में अथवा विधेयक पर खंडशः विचार करते समय मैं उनकी बातों का उत्तर दूंगा ।

आशा है कि मुझे पर्याप्त समय दिया जायेगा क्योंकि मैंने हिन्दू विवाह पर काफी विचार किया है ।

सरदार हुक्म सिंह : अभी आपका विवाह नहीं हुआ है ?

श्री खर्डेकर : अविवाहित होते हुए ही मैं विवाह के बारे में निपेक्ष, वस्तुपरक और दार्शनिक दृष्टिकोण से बोल सकता हूं ।

जिनका विवाहित जीवन सुखी है वे अवश्य विवाह विच्छेद का विरोध करेंगे और वे दूसरों के कष्ट को अनुभव नहीं कर सकते ।

विवाह के बारे में दो दृष्टिकोण बड़े खतरनाक हैं । एक तो आधुनिकतम अमरीकनों का और दूसरा श्री एन० सी० चटर्जी और देशपांडे का प्राचीन प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण ।

जीवन, विवाह और विवाह विच्छेद के सम्बन्ध में अमरीकनों के दृष्टिकोण को देखें, उनके दैनिक जीवन को आप देखें । प्रातःकाल घर से निकल कर एक अमरीकन सारा दिन बड़ी मेहनत करके रात को थका मांदा जब घर लौटता है तो उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा करने के पश्चात् घर से जा चकी होती है और उनकी अगली मुलाकात विवाह विच्छेद न्यायालय में ही होती है, पिता अपने बच्चोंको रविवार को ही मिलता है । हमें अपनी संयुक्त परिवार प्रणाली में गर्व अनुभव करना चाहिए । परन्तु इसके विरोध में भी मुझे कई बातें सुनने का अवसर मिला है ।

इस विधेयक के शीर्षक में से "विवाह-विच्छेद" शब्द निकाल दिया गया है । यह बड़े हर्ष की बात है, क्योंकि विवाह और विवाह विच्छेद--ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं ।

परन्तु अमरीका में तो शीघ्र ही विवाह होते हैं और शीघ्र ही विवाह-विच्छेद हो जाते हैं । आज की वैज्ञानिक प्रगति के युग में मानव पक्षी के समान वायु में उड़ सकता है और मछली के समान पानी में तैर सकता है, परन्तु एक मानव के समान धरती पर रहना वह नहीं जानता ।

अमरीकन लोग धन और शक्ति के पीछे अपने पारिवारिक जीवन की बलि चढ़ा रहे हैं । वे वैज्ञानिक प्रगति के नाम पर प्राकृतिक पारिवारिक प्रक्रिया को त्याग कर कृत्रिम ढंग से बच्चे उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रहे हैं । इसका इतना भयंकर परिणाम होगा कि कुछ ही वर्षों के उपरान्त मानव एक कृत्रिम मानव बन जाएगा जिस अपने माता पिता का नाम भी ज्ञात न होगा ।

और दूसरी ओर एक और अतिवादी विचारधारा है जिसमें हिन्दू महासभा, जन संघ और इसी प्रकार की अन्य संस्थाएं विश्वास रखती हैं । श्री एन० सी० चटर्जी के अनुसार विवाह एक संस्कार है । मैं भी उनके इस कथन से

[श्री खर्डेकर]

सहमत हूं कि विवाह एक संस्कार है, परन्तु मैं इसे उस रूप में संस्कार नहीं मानता जिस रूप में श्री एन० सी० चटर्जी मानते हैं।

आज प्रातः काल मैंने एक स्वप्न देखा, और कहते हैं कि प्रातः का स्वप्न प्रायः सत्य होता है।

आपको ज्ञात है कि श्री एन० सी० चटर्जी ने संविधान संशोधन विधेयक का बड़े जोर से विरोध करते हुए यह कहा था कि ऐसे विधेयक निर्धन व्यक्तियों के लिए अहितकर है। देश की ९० प्रतिशत जनता इन का विरोध करती है। इस प्रकार से १$^{१}/_{२}$ वर्ष उपरान्त जो साधारण निर्वाचन हो रहे हैं उसमें कांग्रेस हार जाएगी और महासभा की विजय होगी।

तो मैंने स्वप्न में देखा कि राज्य-सत्ता रूपी एक सुन्दर मीठा फल श्री एन० सी० चटर्जी की गोदी में गिरता है और वह प्रधान मंत्री बन जाते हैं। उस राम राज्य में प्रधान मंत्री केवल १०० रु० मासिक प्राप्त करेंगे और ५ या ६ घंटे उच्चतम न्यायालय में रहेंगे। अत्यन्त निपुण विधिवक्ता श्री यू० एम० त्रिवेदी देश के विधि मंत्री बने हैं और श्री श्याम प्रसाद मुकर्जी की रक्षा के लिए काश्मीर जाते हैं।

श्री देशपांडे युद्ध मंत्री बने हैं, उन्हें सर सेनापति जी कहते हैं। इस प्रकार से यह सरकार हिन्दू रीति रिवाजों की रक्षा करने का प्रयत्न करती है। प्रधान मंत्री ने संविधान का संशोधन करके दो नये मौलिक अधिकार जोड़ दिए हैं। एक तो यह कि सभी हिन्दू नारियों को अपने पतियों के साथ चिता में जल मरने का अधिकार है। और दूसरा यह कि गाए को एक दिव्य प्राणी समझा जाएगा। सभी मुसलमानों, ईसाइयों को बाध्य किया जाएगा कि वे गाए की पूजा करें। परन्तु गाए को कोई घास चारा आदि नहीं दिया जाएगा क्योंकि वह तो दिव्य प्राणी है न दिव्य प्राणी तो घास चारा नहीं खाते हैं। इससे गऊएं भूखी मर जाएंगी। और श्री देश पाण्डे की विदेश नीति यह होगी कि 'शत्रु के शत्रु को अपना मित्र समझो'। युद्ध के नगाड़े बज उठेंगे और इसके परिणामस्वरूप भारत और संसार में सभी कुछ नष्ट हो जाएगा।

सभापति महोदय : आपने पर्याप्त समय ले लिया है। अब अपने भाषण को समाप्त कीजिए।

श्री खर्डेकर : तो अब मैं अपने भाषण के गंभीर भाग की ओर आता हूं। श्री एन० सी० चटर्जी के इस कथन से मैं सहमत हूं कि विवाह और विशेषतः हिन्दू विवाह एक संस्कार है। परन्तु इस 'संस्कार' शब्द पर अच्छी प्रकार से विचार करने की आवश्यकता है। संस्कार दो प्रकार के होते हैं—आन्तरिक और बाह्य। परन्तु आपको मेरे इस कथन से सहमत होना पड़ेगा कि बाह्य संस्कारों की अपेक्षा आन्तरिक संस्कारों का अधिक महत्व है। उदाहरणार्थ यदि एक लोभी पिता अपनी युवा पुत्री को पैसे के लोभ में आकर किसी धनी बूढ़े व्यक्ति को दे देता है और वह लड़की उस बूढ़े से विवाह नहीं करना चाहती, तो क्या यह आवश्यक है कि वह इस विवाह को संस्कार मानकर उसी बूढ़े के साथ ही रो रो कर सारा जीवन व्यतीत करती रहे?

श्री एन० सी० चटर्जी का यह कथन है कि यदि एक बार विवाह हो गया तो वह छूट नहीं सकता । उस नर या नारी को उसी अवस्था में ही सारा जीवन व्यतीत करना पड़ेगा । मैं यह मानने के लिए कदापि तैयार नहीं कि विवाहों की व्यवस्था भी ईश्वर करता है । इस प्रकार से धर्म और ईश्वर के नाम पर भोली भाली जनता को दुःखो में फंसाए रखने वाले व्यक्ति समाज के सब से बड़े शत्रु हैं । इसी अन्ध विश्वास के कारण हिन्दू समाज को कितनी हानि सहनी पड़ी है ।

श्री डाभी (कैरा-उत्तर) : मैं समझ नहीं सका कि श्री एन० सी० चटर्जी तथा अन्य सनातनी मित्रों ने पहले किस कारण से ऐसी उत्सुकता प्रकट की थी कि सारे देश के लिए एक एकीकृत संहिता लागू की जाए । एक ओर तो वे वर्ण व्यवस्था की रक्षा करना चाहते हैं और दूसरी ओर वे यह भी चाहते हैं कि विवाह सम्बंधी एक संहिता तैयार की जाए । ये दोनो विरोधी बातें एक साथ कसे हो सकती हैं ?

दूसरी बात यह कि श्री एन० सी० चटर्जी का यह कथन है कि यदि हिन्दू कोड विधेयक पर देश के लोगों से मत संग्रहीत किया जाए तो इस पर कांग्रेस को हार होगी । परन्तु उन्होंने एक पुस्तिका प्रकाशित की है जिसमें लिखा है कि भारत में लगभग ८० प्रतिशत व्यक्ति ऐसे हैं जो कि रूढ़िगत रीतियों के अनुसार विवाह करते हैं और उन्हीं रीतियों के अनसार विवाह विच्छेद करते हैं । तो मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे ८० प्रतिशत लोग फिर हिन्दू कोड विधेयक का विरोध क्यों करेंगे ।

श्री चटर्जी का कथन है कि हिन्दू शास्त्र इस विवाह विच्छेद के विरुद्ध है । मेरे मतानुसार तो विवाह संस्कार भी है और संविदा भी । यह सत्य है कि हिन्दू शास्त्र विवाह को नर नारी के लिए जीवन भर का अटूट सम्बन्ध मानते हैं । परन्तु फिर भी उन में लिखा है कि विशेष विशेष परिस्थितियों में नही केवल पुरुष अपितु नारी भी पुर्नविवाह कर सकती है ।

इस विधेयक पर बोलते हुए श्री पाटस्कर ने पाराशर स्मृति में से एक श्लोक प्रस्तुत किया था जो स्पष्टतया बताता है कि नारी को भी पुर्नविवाह करने का अधिकार है । श्री एन० सी० चटर्जी आदि का ऐसा कथन है कि इस श्लोक का सम्बन्ध विवाह सें पूर्व नारी के जीवन से है । परन्तु उनका कथन निराधार है ।

इसी प्रकार नारद स्मृति में भी लिखा है कि यदि किसी नारी का पति कहीं खो जाता है और उस नारी की सन्तान है तो वह आठ वर्ष तक प्रतीक्षा करने के उपरान्त नया विवाह कर सकती है । और उस नारी को जो निःसन्तान है, केवल चार वर्ष तक ही प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ।

अतः यह सभी तथ्य बताते हैं कि नारी को भी विवाह-विच्छेद और पुर्नविवाह करने की अनुमति है ।

मैं तो यहां तक कहूंगा कि यदि हमारे शास्त्र इस बात की अनुमति न भी देते तो भी आज के समय की मांग के अनुसार हमें ऐसा करना ही पड़ता । अतः मैं सनातनी मित्रों को इस बात के लिए आह्वान करता हूं कि वे सिद्ध करें कि

[श्री डाभी]

शास्त्रों में विशेष परिस्थितियों में विवाह विच्छेद की अनुमति नहीं दी गयी है ।

इसके अतिरिक्त मेरे सनातनी भाइयों का यह कथन है कि यदि विवाह-विच्छेद की अनुमति दी गयी तो न्यायालय हजारों नर और नारियों से भर जाएंगे । आप को ज्ञात है कि बम्बई में हिन्दू विवाह-विच्छेद अधिनियम कार्यान्वित हो रहा है, परन्तु फिर भी ऐसे मामलों की संख्या अधिक नहीं है ।

इसके अतिरिक्त भारत में पहले से ही रूढ़िगत रीति के अनुसार छोटी जातियों को भारत की लगभग ८० प्रतिशत जनसंख्या को विवाह-विच्छेद की अनुमति है, तथापि जनता पर कोई विशेष आपत्ति नहीं आई है, तो यदि आज इसे सारे समाज के लिए लागू कर दें तो भी मुझे विश्वास है कि कोई विशेष आपत्ति नहीं टूट पड़ेगी । अतः इस विवाह-विच्छेद अधिनियम से किसी भी प्रकार से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं ।

हमारे सनातनी मित्रों ने अपनी पुस्तिका में लिखा है कि बम्बई में इस विवाह-विच्छेद अधिनियम के द्वारा नारियों के प्रति अन्याय किया जा रहा है । उन्हें विवाह-विच्छेद के लिए बाध्य किया जा रहा है परन्तु वास्तव में ऐसी स्थिति नहीं है यह तो उन नारियों के लिए वरदान स्वरूप है जो कि अपने अत्याचारी पतियों क हाथों अन्याय सह रही हैं । यदि कोई पुरुष एक नारी के होते हुए भी अन्य विवाह कर लेता है तो क्या प्रथम नारी को कोई अधिकार नहीं कि वह उस नर पशु से अपने आप को मुक्त करा सके ? क्या कोई नारी सपत्नी का अपने घर में रहना सहन कर सकती है ? अतः यह विधेयक हर दृष्टि से हितकर है ।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : यूं तो मैं भी नारी समाज का प्रशंसक हूं परन्तु श्रीमती सुभद्रा जोशी जैसी भद्र महिलाओं का भाषण सुनने पर मुझे 'नारी समाज से धृणा करने वाला' कहलाने की इच्छा होने लगती है ।

न जाने हिन्दू विवाह विधेयक से इतनी उत्तेजना क्यों हुई कि कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि हिन्दू विवाहों की प्रथाएं वेश्यावृत्ति मात्र हैं और कुछ ने कहा कि नारी का शरीर पुरुष के लिए है । जहां तक न्यायशास्त्र को मैं समझता हूं विधान इसलिए बनाया जाता है कि अपराधों को रोका जा सके और अपराधियों को दण्ड दिया जा सके । मैं माननीय मंत्री से पूछता हूं कि इस प्रकार का विधान बनाने की क्या आवश्यकता थी । उन्होंने स्वयं कहा है कि हिन्दू समाज में बहु विवाह की प्रथा प्रायः समाप्त है और एक विवाह का सिद्धान्त प्रभावी रूप से विद्यामान है । यदि ऐसा है तो इस विधान की क्या आवश्यकता थी ? माननीय मंत्री ने केवल यह कहा है कि आज की परिस्थिति में इस की आवश्यकता है । किन्तु वे परिस्थितियां आखिर क्या हैं ? आज के युवक ऐसी किन परिस्थतियों से असंतुष्ट हैं ? क्या यह विधान राष्ट्र का कलंक मिटाने के लिये है । क्या भारत के राष्ट्र से उनका अभिप्राय केवल हिन्दुओं से है अथवा सारे भारतीयों से ? आप इस विधि का लाभ मुसलमानों और आदिम जातियों को क्यों नहीं दे रहे ।

आज समाज की ऐसी अवस्था है कि लोगो को अपनी आर्थिक स्थिति का इतना अधिक ध्यान रहता है कि वे विवाह नहीं करते यद्यपि वे अनुभव करते हैं कि इसकी आवश्यकता है । शिक्षित वर्ग की तो ऐसी ही स्थिति है । तब आप क्यों केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए यह विधान बना रहे हैं । मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि हमारे प्रधान मंत्री ने इस विधेयक का समर्थन न किया होता तो सदस्यों का बहुमत इस के विरुद्ध होता । क्या उन में से किसी ने भी निर्वाचन के समय देशवासियों से यह कहा था कि वे हिन्दू संहिता का समर्थन करेंगे ? क्या आप समझते हैं कि मतदाता आपके पक्ष में हैं । मेरा यह निवेदन है कि लोग इस विधान के पक्ष में नहीं हैं । क्या सिवाय पश्चिमी शिक्षा में शिक्षित कुछ महिलाओं के सिवाय देश की महिलायें इस विधान को चाहती हैं ? यदि महिलाओं का प्रगतिशील वर्ग इसे चाहता है तो क्या उनकी आवश्यकताएं विशेष विवाह अधिनियम द्वारा पूरी नहीं हो जाती ? आपको हिन्दू कहलाते हुए तो लज्जा आती है तब अब हिन्दू विवाह विधयक पारित कर के क्यों श्रेय प्राप्त करना चाहते हैं ?

इस विधि में हिन्दुत्व की कोई भावना नहीं है । फिर आप इसे हिन्दू नाम क्यों देना चाहते हैं ? इसे आप विशेष विवाह अधिनियम कह दीजिये केवल विवाह अधिनियम कह दीजिये परन्तु इसे हिन्दू जाति का नाम क्यों दिया जा रहा है ?

यदि शिक्षित महिलाएं ऐसा चाहती हैं तो मुझे आपत्ति नहीं कि विशेष विवाह अधिनियम के अधीन जब चाहें विवाह-विच्छेद कर सकती हैं । प्रगतिशील लोगों को जब ये विशेषाधिकार प्राप्त हैं तो केवल हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करनें के लिए यह विधान क्यों बनाया जा रहा है । इस सामाजिक विधान का सिवाय इस के और कुछ प्रभाव नहीं होगा कि कुछ लोगों को सरकार के विरुद्ध कहने की उत्तेजना मिल जायेगी ।

आप इसे विवाह-विच्छेद विधेयक क्यों नहीं कह देते हैं । भारत की सामान्य जनता विवाह-विच्छेद के विरुद्ध है इसी से आपने इसे हिन्दू विवाह विधेयक नाम दिया है, जब कि यह वस्तुतः विवाह-विच्छेद विधेयक ही है ।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री को अपने उत्तर में अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर मिलेगा ।

श्री पाटस्कर : मैं नहीं चाहता कि कोई प्रतिकूल प्रभाव या विचार उत्पन्न हो जब कि ऐसा आरोप लगाया जाता है कि एक समय मैं हिन्दू संहिता का विरोधी था । इसे इसी अवस्था पर ठीक किया जाना अधिक श्रेयस्कर है, क्यों कि यह वक्तव्य गलत है ।

श्रीमती शिवराज वती नेहरू (जिला लखनऊ–मध्य) : आज मैं बड़े हर्ष के साथ इस बिल का स्वागत करती हूं ; और आशा करती हूं कि हिन्दू कोड बिल के सभी उद्देश्य इन विभिन्न बिलों द्वारा पूरे हो जायेंगे ।

यह आश्चर्य की बात है कि आज हमारे कुछ भाई अपन देश में राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में तो सुधार करने के विचार से सहमत हैं, लेकिन जब किसी सामाजिक संस्था में या किसी पुरानी रीति में कोई अन्तर करने का

[श्रीमती शिवराज वती नेहरू]

सवाल आता है तो वह उस में कोई अन्तर करना नहीं चाहो । सामाजिक मामलों में पुराने रास्ते पर ही चलना चाहते हैं । हम समाज के सारे अंगों में एक साथ उन्नति देखना चाहते हैं । यही हम लोगों का ध्येय है और इसी कारण हमारे योग्य मंत्री जी ने अपने देश के दोनों अंग, स्त्री पुरुषों के कल्याण के लिए यह बिल यहां प्रस्तुत किया है ।

इस बूढ़े समाज में बहुत सुधार की आवश्यकता है और यह आवश्यकता बहुत दिनों से है । इस से किसी को इन्कार नहीं है । यदि हम पुरानी रूढ़ियों को नहीं हटायेंगे और समाज में आवश्यक परिवर्तन नहीं करेंगे तो हमारा समाज पिछड़ जायेगा ।

हिन्दू धर्म के नाम पर इस बिल का विरोध करना जनता को भ्रम में डालना है । इस बात में मुझे कोई सन्देह नहीं है कि यह जो कानूनी सुधार अब होने जा रहे हैं इनका हमारे वास्तविक हिन्दू धर्म में कोई विरोध नहीं है । हमारा धर्म किसी हितकारी नियम को निषिद्ध नहीं बतलाता है । संसार में बड़े बड़े अन्याय धर्म के नाम पर हुए हैं, और इस बिल का विरोध भी इसी भावना का एक उदाहरण है ।

सबसे अच्छी चीज जो मुझे इस बिल में मालूम पड़ती है वह विवाह की रजिस्ट्री की व्यवस्था है । यह चीज़ हमारे देश के लिए निहायत आवश्यक है । आज विवाह करने में धन का इतना अधिक व्यय होता है, इतनी तकलीफ होती है अगर हिन्दू धर्म के अनुसार विवाह किया जाय । इस प्रकार का जो भार समाज पर पड़ा हुआ है वह इस व्यवस्था से हलका हो जायगा । इस से समाज को नजात मिलेगी । आज जो हिन्दू लड़की की शादी करना चाहते हैं उनको शादी से तीन महीने पहले से परेशानी शुरू हो जाती है, उन्हें एक बुखार सा चढ़ जाता है, हजारों तरह का सामान इकट्ठा करना पड़ता है, तरह तरह की कोशिश करनी पड़ती है, बहुत से लोगों की खुशामद करनी पड़ती हैं और बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । आजकल मकानों की समस्या है, नौकरों की समस्या है । इस वजह से लोगों को बहुत तकलीफें उठानी पड़ती हैं । इन सब चीजों से इस कानून की वजह से समाज की नजात मिल जायगी । इस से हिन्दू मां बाप को बहुत ज़्यादा रिलीफ होगा । इस में जो यह रजिस्ट्री की व्यवस्था रख दी गई है इस से मां बाप को लड़की की शादी करने में बहुत सुविधा हो जायगी । अगर किसी के पास पैसा नहीं है और वह लोगों को दावतें नहीं खिला सकता है तो उसको अपनी लड़की की शादी में दिक्कत नहीं होगी ।

श्री नंदलाल शर्मा (सीकर) : मेरे विचार में इस विधान में पंजीयन द्वारा विवाह का कोई उपबन्ध नहीं है ।

सभापति महोदय : जब आप को अवसर मिलेगा आप अपनी राय कह लें ।

श्री नंदलाल शर्मा : क्या इस विधेयक में पंजीयन द्वारा विवाह का कोई उपबन्ध है ?

श्री त्यागी : माननीय मित्र विवाह-विच्छेद के लिए तो आतुर प्रतीत होते हैं ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य भाषण आरंभ करें ।

श्रीमती शिवराज वती नेहरू : मैं समझती हूं कि इस बिल का कोई विरोध न होता अगर इस में तलाक की बात न होती । मैं देखती हूं कि जो लोग पुरानी संस्कृति को ठीक ठीक समझने वाले हैं वे इस तलाक की प्रथा को समयानुकूल सुधार समझ कर इस के पक्ष में हैं । लेकिन श्री देशपांडे, इस से बहुत नाखुश हैं । उनका कहना है कि जब प्राचीन समय में हमारे भारतवर्ष में यह तलाक की प्रथा नहीं थी तो अब इस को रखने की क्या आवश्यकता हुई और उन्होंने मंत्री जी से सवाल किया है कि उन्होंनें व्याख्यान में यह नहीं बतलाया कि अगर इस तलाक की व्यवस्था को इस बिल में न रखा जाता तो क्या हानि होती ? मैं श्री पांडे जी से कहना चाहती हूं कि हिन्दू क्रोड में यह मसला आया था और इस पर सन् ५२ से विचार हो रहा है । क्या वह आजतक यह नहीं जानते कि इस कानून में तलाक को रखने की कितनी आवश्यकता है और अगर उस को इस में नहीं रखा जायगा तो क्या हानि होगी । इस मसले पर तो बहुत गरमा-गरम बहस और वाद-विवाद हो चुका है ।

फिर भी यदि आप नहीं जान पाए तो मैं आप को यह बताना चाहती हूं कि हमारे देश में वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है ।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : सुखमय है ।

श्रीमती शिवराज वती नेहरू : उस में बड़ा रंज है, उस में स्त्रियों के आंसू हैं और उनकी आहें हैं....

श्री टेक चन्द (अम्बाला-शिमला) : अब आदमियों के होंगे ।

श्रीमती शिवराज वती नेहरू : हां तो मैं आपको बतला रही थी कि अधिकतर परिवारों में स्त्री पुरुष जो हैं वे सुखी जीवन नहीं बिता रहे हैं । घर घर मटियाले चूल्हे हैं और कारण उस का यह है कि पुरुष आज भी स्त्री को अपने पैर की जूती के समान समझता है कि जब चाहा उतार कर फेंक दी और नई पहन ली । अपनी स्त्री को जब चाहे पैर की जूती के समान बदल सकता है । हमारे संविधान में स्त्रियों को समानता का अधिकार होते हुए भी समाज उस पर नहीं चल रहा है । स्त्रियों को समानता का अधिकार हांलाकि हमारे विधान से मिल गया है लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा है और उसका कारण वह भावना है जो हिन्दू समाज के अन्दर बैठी हुई है कि स्त्री के लिए केवल त्याग है, सेवा है, और सतीत्व धर्म का पालन करना और कर्तव्य का बन्धन व भार है....

श्री आर० के० चौधरी : इसका आप को अफसोस है ?

श्रीमती शिवराज वती नेहरू : स्त्री के लिए भी सब कुछ है लेकिन पुरुष के लिए क्या है ? पुरुष के लिए है अधिकार, शक्ति, अभिमान, दर्प, धन, अत्याचार और अपने हर काम करने के लिए स्वतंत्रता । पुरुष हिन्दू समाज में पूर्ण स्वतंत्र है, जो चाहे सो करे ।

[श्रीमती शिवराज वती नेहरू]

श्री देशपांडे जी कहते हैं कि पुरुष तलाक की प्रथा को पसन्द नहीं करते हैं लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि आखिर पुरुष किस लिए तलाक पसन्द नहीं करते । अगर एक स्त्री के रहते हुए ही वह अनेकों विवाह कर सकता है, दूसरी दूसरी स्त्रियां ला सकता है और अपनी पुरानी स्त्री को हमेशा के लिए सदैव के लिए मैके भेज सकता है, भले ही वह घुल घुल कर और तड़प तड़प कर मर जाय, उसको कोई पर्वाह नहीं, वह अपनी दूसरी स्त्री को लेकर खुशी से अपना जीवन बिताता है और अपनी उस पहली दुखिया स्त्री को गुजारे का हक ही नहीं देता और उलटे उस को यह व्याख्यान दिया जाता है, यह उपदेश दिया जाता है कि वह अपना पतिव्रत धर्म का पालन करे और आदर्श स्त्री महिलाओं के उनको व्याख्यान सुनाये जाते हैं । वही मसल है कि :

जबरदस्त मारे रोने न दे

इन्हीं पत्नियों की हमारे देशपांडे साहब ने बड़ी तारीफ की जो जीवन भर मशाल की तरह जलती रहीं और जो अपने पतियों के मर जाने पर पतंगा बन कर पति के साथ जल जायें । मेरे कहने का जब मैं कहती हूं कि स्त्री जाति दुःखी है इस का यह अभिप्राय न समझा जाय कि सारे पुरुष अन्यायी होते हैं अथवा सारे दम्पति जितने हैं वह सुखी नहीं है, यह बात नहीं है । एक भी दम्पति सुखी नहीं है, ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं है । किसी ने कहा है ! "न हर जन जन-स्तौ, न हर मर्द मर्द, खुदा पंज अंगुश्त 'यकसां न कर्द' सब दुनिया में ऐसा नहीं है, यह ठीक है कि यह सब में लागू नहीं होता लेकिन अधिकतर समाज में ऐसे स्त्री, पुरुष हैं जो, उस प्राचीन विवाह की रस्म से जकड़े हुए हैं, विवाह की श्रंखलाओं में जकड़े हुए हैं और दुखमय जीवन बिता रहे हैं, ऐसे दुखी लोगों को उनके दुख और रंज से छुटकारा और राहत दिलाने के लिए इस किस्म के विधेयक की आवश्यकता थी और यह बड़े हर्ष का विषय है कि सरकार इस तरह का एक सामाजिक सुधार का बिल हाउस के सामने लाई है ।

श्री देशपांडे जी कहते हैं कि पुरुष तो बहुविवाह केवल एक दया के ख्याल से, उदारता के ख्याल से या तो विशेष परिस्थितयों के वश में पड़ कर दूसरा विवाह करते हैं, जैसे पहली स्त्री अगर पागल होगई या कोढ़ी होगई, तो उस अवस्था में वह दूसरा विवाह कर लेते हैं, लेकिन बेचारी पहली स्त्रियों को दया करके उनको खाना भी देते हैं और दूसरा विवाह करके अपना जीवन भी सुखमय बना लेते हैं । लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि क्या हमारे हिन्दू समाज में ऐसे पुरुष नहीं हैं जो अपनी पहली स्त्रियों के रहते हुए भी दूसरी स्त्रियों से प्रेम नहीं करते ? हमने देखा है कि चार २ और पांच पांच बच्चों की माताओं को अधेड़ अवस्था में बेसहारा छोड़ कर युवतियों से दूसरा विवाह कर लेते हैं....

श्री वी० जी० देशपांडे : तलाक की प्रथा रखने से ऐसा ही होगा ।

श्रीमती शिवराज वती नेहरू : वास्तव में स्त्री को अपने घर से इतना प्रेम होता है और वह इतना उस से

बंधी हुई होती है कि कभी वह अपने घर और बाल बच्चों को छोड़ना नहीं चाहती है जब तक कि उसको बहुत ही अधिक क्लेश और कष्ट न हो और उसका जीवन दूभर न हो जाये तब तक स्त्री कभी अपने घर को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन हमारे देशपांडे जी का यह विचार है कि यह बिल पास होते ही सब स्त्रियां तलाक देने के वास्ते तैयार हैं और वे फौरन अपने मर्दों को तलाक दे देंगी..

श्री वी० जी० देशपांडे : सब नहीं कोई कोई ।

श्रीमती शिवराज वती नेहरू : आपने बम्बई की एक अभिनेत्री की मिसाल दी थी कि जिसने एक सेठ से शादी की....

श्री वी० जी० देशपांडे : सेठ नहीं मुसलमान से शादी की ।

श्रीमती शिवराज वती नेहरू : शादी के ढाई महीने बाद पन्द्रह दिन का नोटिस देकर बिला कह हुए ही वह उन को छोड़ कर चली गई ।

श्री वी० जी० देशपांडे : वह चली नहीं गई बल्कि तलाक दे दिया । युनिलेट्रल तलाक मुसलमानों में है ।

श्रीमती शिवराज वती नेहरू : हिन्दू, मुसलमान की बात इस में कैसे आई ।

सभापति महोदय : अब आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी खत्म कीजिये ।

श्रीमती शिवराज वती नेहरू : मेहरबानी कर के मुझे थोड़ा टाईम और दिया जाये ।

सभापति महोदय : दो मिनट में आप खत्म कर दीजिये ।

श्रीमती शिवराज वती नेहरू : मैं कहती हूं कि कहां हमारी घर गृहस्थी की शरीफ बेटियां और कहां उसमें सिनेमा की एक अभिनेत्री की बात आपने रख दी । हमारे देशपांडे जी को तस्वीर का एक ही रुख दिखाई देता है । आपने यह नहीं देखा कि वह सेठ जी ने अपने घर की लक्ष्मी का तिरस्कार किया होगा और उसको रोता छोड़ कर के बम्बई की एक अभिनेत्री से शादी कर ली होगी ।

मेरी राय में वह सेठ जी इसी योग्य थे ।

श्री वी० जी० देशपांडे : मुझे एक माननीय बहन की इस प्रकार की हल्की अभिव्यक्ति पर बड़ी आपत्ति है । मैं समझता हूं वह अपने उत्तरदायित्व को समझ कर और आयु का विचार करके अपना वक्तव्य वापस लेंगी ।

सभापति महोदय : मादनीय सदस्य कृपया भाषण जारी रखें ।

श्रीमती शिवराज वती नेहरू : आज के हिन्दू समाज में स्त्री की बड़ी दयनीय अवस्था है, स्त्रियों को इंसान नहीं समझा जाता है, न यह समझा जाता है कि उसके पास कोई दिमाग है या दिल है या कोई भावना है, या उसको कोई साथी की जरूरत है और न उसको प्रेम की जरूरत है । पुरुष कहते हैं कि हम इनको अपने घर में रक्खे हैं, खाना कपड़ा दे देते हैं और इनको क्या चाहिए--

आह दई कैसी भई कि अनचाहत का संग
दीपक के भांवे नहीं जल जल मरत पतंग

[श्रीमती शिवराज वती नेहरू]

जब हमारा दिल चाहता तब हम किसी दूसरी स्त्री से शादी कर लेते हैं, प्रेम कर लेते हैं, घर में जो औरत है उसकी हकीकत एक जानवर से ज्यादा नहीं समझत, जैसे जानवर के आगे घास पानी डाल दिया जाता है उसी तरह उसको भी खाना कपड़ा दे दिया, इससे ज्यादा उसको क्या जरूरत है स्त्री की हैसियत हिन्दू समाज में जानवर से अधिक नहीं है, इस तरह की हमारे पुरुष समाज की भावना रही है ।

चटर्जी साहब ने कल जब अपना व्याख्यान दिया तब उन्होंने यह कहा था कि हमारी सीता, सावित्री हमारे भारतीय समाज में आदर्श महिलाएं थीं, उनका बड़ा ऊंचा आदर्श था और दोनों को आज सारा भारतवर्ष पूज्य मानता है और अकेले भारतवर्ष के लोग ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी हैरान और चकित हैं कि हमारे देश में ऐसे ऐसे ऊंचे और महान् आदर्शों को लेकर स्त्रियां पैदा हुईं, मैं मानती हूं कि वह बिलकुल सच कहते हैं लेकिन हमारे देश में दूसरे प्रकार की भी स्त्रियां हैं और उनकी भी स्त्रियां हैं और उनकी भी उतनी ही महानता पाई जाती है, जैसे अहिल्या है, द्रोपदी है और तारा है ।

हमारे यहां लिखा है कि उन्होंने कई कई शादियां की थीं । महाभारत में लिखा है :

"अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती,
मन्दोदरी तथा ।
पंचकन्या स्मरेन्नित्यम् महापातक
नाशनम् ॥

लेकिन जब यहां पर बात की जाती है तो तस्वीर का एक ही रुख देखा जाता है, दूसरा रुख नहीं देखा जाता है।

जो यह कहा जाता है कि शादी जो है वह एक सैक्रामेन्ट है और उसकी बातें ऐसी हैं जो कभी टूट ही नहीं सकती हैं, वह भी एक अजीब चीज है । पत्नी को मारने वाले के साथ जो बांध ही दिया जाता है, जन्म जन्मान्तर तक उस को उस पति से नजात नहीं मिलती । हम बाज आये ऐसे धर्म से कि जिन्दगी भर की गुलामी से कभी स्वतंत्रता ही नहीं मिलती । पुराने समय में स्त्रियां अपनी पसन्द से शादी करती थीं, स्वयम्वर होता था । लेकिन आज क्या होता है ? भारतवर्ष में माता पिता स्वेच्छा से पलान्ड मेरेज करते हैं, बल्कि सच पूछा जाये तो यह होता है कि मां, बाप अपना भार हल्का करने के लिये लड़की की शादी खाने कपड़े के लिये करते हैं, लड़के के घर भेजने के लिये करते हैं । हमारे तुलसीदास जी ने कहा है ।

'फूले फूले फिरते हो, होत हमारो ब्याह,
तुलसी गाय बजाय के देते काठ में पांव।"

उस बेचारी को जिन्दगी भर के के लिये बन्धन में जकड़ दिया जाता है खाली इसी जन्म के बन्धन में नहीं, बल्कि जन्म जन्मान्तर के लिये उस को बन्धन में बांध दिया जाता है, उस से कभी नजात मिल ही नहीं सकती । ऐसी अवस्था में भला बताइय कि स्त्रियां क्या पुराने आदर्श को ले कर स्वतंत्र हो सकती हैं ? यदि जितनी घृणित और दुःखदायी चीजें हैं वह सब अनुकरणीय हैं और उत्तम हैं, यदि सभी प्राचीन चीजें उत्तम हैं तो प्राचीन काल में ब्राह्मण का क्या कर्तव्य था, ? ब्राह्मण का रुपया हाथ में लेना पाप था, वह पैसा कमाने नहीं जाता था । ब्राह्मण का काम त्याग और

तपस्या, पूजा करना कराना, वेद का पढ़ना और पढ़ाना था। यदि आज सारे प्राचीन आदर्श हमारे साथ होते और वही सारी बातें होती तो श्री चैटर्जी आज उस तरह के नहीं दिखाई देते जैसे कि वह आज हैं। वह भी वहीं किसी जंगल में या किसी आश्रम में हवन करते होते। अरे साहब, पिछले जमाने में एक कवि ने कहा था :

"कहां थे बुरा जर को सखुनसंज पुराने, उन लोगों के हमराह गये उन के जमाने, वह फलसफाओ, इल्मो अदब अब हैं फसाने, बदला है नया रंग जमाने की हवा ने हम लोग जिधर दौलत दुनियां है। उधर है अल्लाह के बन्दे नहीं बस बन्दये जर हैं।"

आज हम लोगों की हालत यह है कि शायद सब प्राचीन बातों को हम ने भुला दिया हो, लेकिन सभ्यता और स्त्रियों के सम्बन्ध में सारी प्राचीन बातें ली जाती हैं।

एक बात मैं श्री देशपांडे जी से पूछना चाहती हूं कि आखिर वह मुसलमानों के इतने हमदर्द क्यों बनते हैं? उन का यह कहना है कि मुसलमानों को इस कानून से क्यों वंचित कर दिया गया कानून सब के लिये बनाना चाहिये था और उन में मुसलमानों को भी लेना चाहिये था। मैं भाई साहब से यह कहना चाहती हूं कि आखिर क्या जरूरत है कि उन के लिये कानून बनाया जाय? उन के यहां तो आलरेडी डाइवोर्स मौजूद है और लड़की का बाप की सम्पत्ति में हिस्सा भी है। क्या जरूरत है कि मुसलमानों को इस में रक्खा जाये? क्या यह कोई एलेक्शन की तैयारी है? मगर शायद वह इस का जवाब नहीं देंगे। उन के लिये तो यही कहा जा सकता है :

"यह फितना आदमी की खाना बरबादी को क्या कम है, हुए तुम दोस्त जिसके दुशमन उस का आसमां क्यों हो?"

अन्त में मैं माननीय मंत्री जी को इस बिल को लाने के लिये बहुत बहुत बधाई देती हूं। साथ ही साथ एक बात और कहना चाहती हूं कि बहुत से ऐसे भी हमारे भाई हैं जिन का यह विचार है कि यदि तलाक की प्रथा रहे तो जिस तरह से गुजारे का हक पुरुष स्त्री को देता है उसी तरह से स्त्री को को भी पुरुष के लिये गुजारे का हक चाहिये। यह बड़ी लज्जाजनक बात है। पहली बात तो यह है कि स्त्री बेचारी के पास धन कहां से आयेगा जो कि वह पुरुषों को दे? दूसरी बात यह है कि पुरुषों का कोई बहुत त्यागी जीवन नहीं जो कि उस स्त्री के नाक पर बैठा रहे। वह किसी न किसी दूसरी स्त्री से अपना सम्बन्ध स्थापित कर लेगा?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : मैं ने तो मेन्टेनेन्स देने का कोई सवाल उठाया नहीं और मेरी तो स्त्री भी नहीं है, मुझे इस मामले में क्यों घसीटा जाता है?

श्रीमती शिवराजवती नेहरू : यानी अगर पुरुष को तलाक दिया जायेगा तो उस को भी इस बिल के अन्दर यह हक दिया गया है कि वह स्त्री से गुजारा पा सके। मैं कहती हूं यह गलत है। कोई भी पुरुष इस तरह से गुजारे का हक पा सकता है। इस लिये मैं

[श्रीमती शिवराज वती नेहरू]

मंत्री जी से कहूंगी कि वह अपने बिल की बात पर जोर न दें और जो मर्दों की बुराई थी उस को मानें।

श्री बी० सी० दास (गंजम दक्षिण): इस विधान के सम्बन्ध में कहा गया है कि यह एक क्रांतिकारी विधान है जबकि इस सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी सामाजिक विधानों की तरह इसमें भीरूता के अंश पाये जाते हैं।

यह विधान जनता के सामने अकस्मात् नहीं आया है। एक समिति ने सारे भारत में जाकर लोक-मत संग्रह किया था, और गत निर्वाचन के समय भी यह ही मुख्य था। सौभाग्यवश जो लोग यहां प्रतिक्रियावादी विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं उनका बहुत अल्पमत है, अतएव यह बात सुगमता से कही जा सकती है कि भारत के मतदाता उनके पक्ष में नहीं हैं।

यदि श्री आर० के० चौधरी की यह बात सच है कि केवल नेहरू के समर्थन के कारण यह विधेयक पारित हो सकेगा तो कांग्रेस सदस्यों के लिए यह लज्जा का विषय है।

वस्तुतः यह आश्चर्य की बात है कि इस सामान्य विधान का भी देश के रूढ़िवादी लोग विरोध कर रहे हैं। वे यह कहते हैं कि इस विधान से स्वर्ग ही धराशायी हो जायेगा और यह भूल रहे हैं कि बम्बई, मद्रास, सौराष्ट्र और अन्य भागों में यह विधान पहले से ही है। उन राज्यों में विवाह विच्छेद के मामले बहुत अधिक नहीं हैं। वे लोग हिन्दू धर्म के प्रति अन्याय कर रहे हैं।

सभापति महोदय: २-३० म० प० हो गया है। अब माननीय सदस्य अपना भाषण अगले अवसर पर जारी रखेंगे और अब गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य आरम्भ किया जायेगा।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

उनतीसवां प्रतिवेदन।

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा): मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि यह सभा २७ अप्रैल, १९५५ को सभा में उपस्थित किये गये गर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के उनतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है"।

मैं अनुरोध करता हूं कि सभा इस प्रस्ताव को स्वीकार करे।

सभापति महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

सत्ताईसवां प्रतिवेदन

श्री आल्तेकर: मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि यह सभा २७ अप्रैल, को सभा में उपस्थित किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के सत्ताईसवें प्रतिवेदन से सहमत है"।

अग्रवाल समिति के प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए समिति के इस प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि एक विधेयक को सभा में पुरःस्थापित करने की अनुमति न दी जाये। मैं इस की सिफारिश करता हूं कि सभा इस प्रतिवेदन को स्वीकार करे।

सभापति महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ ।

भारतीय बाल दत्तक ग्रहण विधेयक

श्रीमती जयश्री (बम्बई–उपनगर) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि दत्तक बालकों के हितों और नैसर्गिक तथा गोद लेने वाले माता पिता के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिये गोद लेने की प्रक्रिया की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दत्तक बालकों के हितों और नैसर्गिक तथा गोद लेने वाले माता पिता के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिये गोद लेने की प्रक्रिया का उपबंध करने वाले विधेयकों को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्रीमती जयश्री : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं ।

जातिभेद उन्मूलन विधेयक

सभापति महोदय : सभा श्री डाभी के निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी :

"कि हिन्दूओं में जातिभेद की सरकारी मान्यता को खत्म करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जायें ।"

इस पर चर्चा के लिए ३१ मिनट बाकी हैं और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री को उत्तर देने के लिए यह समय चाहिये ।

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री बातार) : यह विधान मनोरंजक है । जब पिछली बार इस पर विचार आरम्भ किया गया तो या तो इसके सर्वथा पक्ष में विचार व्यक्त किये गये थे या सर्वथा विपक्ष में ।

यद्यपि इस विधेयक में विदित उद्देश्यों को समझना संभव नहीं है फिर भी आप यह देखेंगे कि कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है । ये कठिनाइयां संविधान, इस विधेयक की व्यवहारिकता, जनता के पिछड़े होने और जनता की चिरसंचित आकांक्षाओं से सम्बन्धित हैं । इन्हीं तीन बातों के कारण हम इस विधेयक के परिचालन या इसे प्रवर समिति को सौंपने का विरोध करेंगे । इसके अतिरिक्त मैं यह भी बताने का प्रयत्न करूंगा कि इस विधेयक के उपबन्धों को तुरन्त कार्यान्वित करने का काम बहुत कठिन है क्योंकि यह कई मामलों में अस्पष्ट और बहुत ही विस्तृत प्रकार के हैं ।

यह विधेयक अब प्रस्तुत किया गया है पर कुछ वर्ष पहले यह प्रश्न उठाया गया था । अगस्त १९४८ में जब से विधान सभा का सत्र चल रहा था तो इसी प्रकार का एक संकल्प संविधान सभा के समक्ष था । श्री दिवाकर ने, जो उस समय संविधान सभा के सदस्य थे संविधान सभा के सामने एक संकल्प रखा था जो लगभग इस विधेयक के उपबन्धों के समान ही था उन्होंने इस संकल्प का प्रस्ताव अगस्त १९४८ को किया था ।

इस संकल्प के सम्बन्ध में ११ अगस्त १९४८ को चर्चा हुई थी । उस समय के भारत के गृह-मंत्री स्वर्गीय सरदार वल्लभभाई पटेल ने कहा था कि यद्यपि इस संकल्प के प्रस्तावक का उद्देश्य केवल

[श्री दातार]

स्पष्ट ही नहीं है वरन् श्लाघ्य भी है, पर परिस्थितियों, और विशेषतः पिछड़ी परिस्थितियों, और जहां तक जनता के हृदय में जातपाँत के लक्षण और भावनाओं के उन्मूलन के प्रभाव का प्रश्न है, उन को ध्यान में रख कर सम्पूर्ण प्रश्न की छानबीन करना आवश्यक है ।

उन्होंने संविधान सभा को यह भी बताया कि वे इस सम्बन्ध में विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त करेंगे कि उस उद्देश्य की कार्यान्विति के लिए, जो कि उस संकल्प के परिपोषक तथा संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों की दृष्टि में था, क्या कार्यवाही की जा सकती है ।

इस आश्वासन पर, श्री दिवाकर ने उस संकल्प को वापिस ले लिया । उसके बाद तुरन्त ही, भारत सरकार ने एक समिति नियुक्त की । उसमें इस सभा के अनेक माननीय सदस्य थे और स्वयं श्री दिवाकर उसके सभापति बनाये गये । उन्होंने इस प्रश्न पर सम्पूर्ण रूप से विचार किया । उन्होंने इस सम्बन्ध में विचार किया कि क्या इसके लिए उचित समय आ गया है, कि जाति भावना पूर्ण रूप से समाप्त की जा सके और विशेष रूप से किसी भी रूप में जातियों, उपजातियों अथवा धर्म का उल्लेख न किया जा सके । उन्होंने देखा कि इसमें कई कठिनाइयां हैं और यहीं उन्होंने वस्तुतः कहा । उन्होंने यह चाहा कि यह जाति भावना, जो कि स्वभावतः हमारे पिछड़े हुये होने का कारण है और हम जिसको भारत के विभाजन का कारण भी कह सकते हैं एक दिन अवश्य समाप्त होती है और ऐसा जितनी जल्दी हो जाय उतना ही अच्छा होगा । किन्तु, अन्ततः, उन्होंने यह स्वीकार किया कि जाति विभेद दूर करने के उपबन्धों की कार्यान्विति एकदम नहीं हो सकती । अतः उन्होंने कुछ ऐसी सिफारिशें की, जिनमें कई बातों का बचाव रखा गया था । मैं सभा के समक्ष उन सिफारिशों को पढ़ता हूं जिनमें वे यह स्वीकार करते हैं कि जाति विभेद दूर करने के लिए सरकारी स्तर पर अथवा कुछ हद तक सार्वजनिक स्तर पर कोशिश करने के बावजूद भी इस काम में बहुत सी कठिनाइयां हैं और बहुत से अन्य क्षेत्रों में भी यह काम यथाशीघ्र प्रारम्भ करना है अतः, सिफारिशों के दौरान में उन्होंने कहा :

> "समिति यह स्वीकार करती है कि सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक उन्नति के बिना जातीय तथा साम्प्रदायिक विभेद लुप्त नहीं हो सकते ।"

इसके पश्चात् उन्होंने कहा : "सरकार इस मामले में केवल सहायता दे सकती है ।" किन्तु वे यह अनुभव करते हैं कि सरकार को यह देखना चाहिए कि वह जातीय तथा साम्प्रदायिक भावना, जातीय तथा साम्प्रदायिक संगठनों और जातीय तथा साम्प्रदायिक झगड़ों का दूर करने के लिए क्या कर सकती है । इस सम्बंध में यह भी कहा जा सकता है कि डा० पी० एस० देशमुख भी इस समिति के सदस्य थे । वे समिति की इन विनम्र सिफारिशों से भी सहमत नहीं हुए और गलत या सही जो कुछ उन्होंने बताया, वस्तु रूप में समझना है क्योंकि अभाग्य से, डा० देशमुख ने अपने विमति टिप्पण में जो कुछ कहा है, वही तथ्य है :

> "हमारी जांच के दौरान में यह स्पष्ट हो गया है कि जाति का और

उससे भी बढ़ कर लोगों के धर्म का उल्लेख रोकने में कई कठिनाइयां हैं।"

इसके पश्चात् उन्होंने कई ऐसे अवसरों का उल्लेख किया है, जहां वर्तमान दशाओं का ध्यान रखते हुये जाति का उल्लेख करना आवश्यक है, भले ही ऐसा करना सही हो अथवा गलत। उदाहरणतः, सरकारी सेवाओं में भर्ती के मामले में यह देखा जाता है कि कुछ जातियां अत्यधिक पिछड़ी हुई हैं और संविधान का यह उद्देश्य है——इसका उल्लेख संविधान के कितने ही अनुच्छेदों में किया गया है——कि समाज के पिछड़े वर्गों को उठाया जाये। कभी कभी संविधान में उनकी 'कमजोर वर्ग' कह कर भी पुकारा जाता है। उनमें से कुछ अनुसूचित जातियां कही जाती हैं और कुछ अनुसूचित आदिम जातियां। संविधान के एक अनुच्छेद में 'पिछड़े वर्ग' शब्दों का प्रयोग किया गया है। 'वर्ग' एक सामान्य शब्द है। किन्तु दुर्भाग्य से भारत में 'वर्गों' का अभिप्राय अधिकांशतः जातियों से ही लिया जाता है। अतः सारी जातियों और समुदायों तथा विभिन्न सम्प्रदायों तथा समुदायों को समान स्तर पर लाने के लिए यह आवश्यक है कि जहां तक उन कतिपय उद्देश्यों का सम्बन्ध है जो कि सरकार की दृष्टि में हैं, जाति का उल्लेख करने की थोड़ी बहुत अनुमति देनी होगी अतः इस विमति टिप्पण में यह बात कही गयी है और मुख्य प्रतिवेदन में भी, जिसमें यह स्वीकार किया गया है कि कुछ अवसरों हर सरकार को व्यक्ति कि जाति का पता लगाना आवश्यक होगा, यह बात कही गई है। आप जानते हैं कि जाति एक संगठित एकक है। इसका कोई महत्त्व नहीं कि यह संगठन अच्छे कामों के लिए हुआ था या बुरे कामों के लिए। इस विधेयक के प्रस्तावक मेरे मित्र ने जाति की उत्पत्ति के बारे में बताया था। उसकी उत्पत्ति कुछ भी सही, किन्तु आपको एक तथ्य, एक अनिवार्य तथ्य के रूप में यह मानना पड़ेगा कि जाति एक संगठन होता था——और अब भी बहुत कुछ सीमा में ऐसा होता है और यह हमारा कर्तव्य है कि हम शीघ्रातिशीघ्र इस चीज को समाप्त कर दें।

अब प्रश्न यह है कि क्या यह काम आज किया जा सकता है और ऐसा करने में क्या हम उन संगठनों के व्यक्तियों के साथ कोई अन्याय करेंगे, जो कि इन जातियों अथवा कतिपय समूहों या विभागों के नाम पर चलते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है। अतः, जैसा मैंने कहा जैसा कि हमारा उद्देश्य रहा है, और जैसा कि संविधान के अनेक अनुच्छेदों में जिनमें अनुच्छेद १६ और ३३५ भी सम्मिलित हैं, कहा गया है, सब वर्गों के लोगों को समान स्तर पर लाना चाहिए, 'वर्गों' शब्द का प्रयोग निष्प्रयोजन नहीं किया गया है। किन्तु आपको और मुझे यह समझना है कि इस शब्द से जातियों का भी बोध हो जाता है जिसका तात्पर्य कतिपय संगठनों के सदस्यों तथा कतिपय सम्प्रदायों के सदस्यों से है। अनुच्छेद ३३५ में विशिष्ट रूप से अनुसूचित जातियों, और स्वभावतः अनुसूचित आदिम जातियों का उल्लेख किया गया है। अतः, यदि, संविधान निर्माताओं ने 'जाति' शब्द का उल्लेख यथार्थवादी दृष्टिकोण से किया, तो मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि ऐसी बहुत सी धारायें हैं जिनमें जातियों का उल्लेख किया गया है और जातियों का उल्लेख किया जाना है।

[श्री दातार]

हाथ में सत्ता होने पर स्वभावत ही, जैसा कि संविधान में उल्लेख किया गया है, हमें एक ऐसे समाज की स्थापना करनी थी, जिसमें सबको समान अवसर हों। किन्तु खेद की बात तो यह है कि हमारे देशवासी प्रगति की नहीं अपितु पिछड़ेपन की अनेक अवस्थायें हैं। अतः सभी पिछड़े लोगों का एक साथ लाना है।

सेवाओं के सम्बन्ध में, जैसा कि सभा को ज्ञात है, बहुधा कटु आलोचनायें की जाती हैं और काफी हद तक हमें यह मानना पड़ता है कि सेवाओं में उनकी संख्या कम है। अतः, संविधान में कहा गया है कि कार्यक्षमता के नये स्तर निर्धारित करने के साथ साथ सरकार को इस बात का ध्यान रखना है कि विभिन्न वर्गों के सदस्यों अर्थात्, जातियों तथा अन्य लोगों का सरकारी सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व हो। अतः, आप देखेंगे कि सेवाओं में भर्ती अथवा विभिन्न वर्गों के लोगों के उचित प्रतिनिधित्व का यह मामला ऐसा है, जिसमें सरकार को सम्बन्धित व्यक्तियों से जानकारी प्राप्त करनी होगी और वे भी, जैसा कि आप जानते हैं, इसी आधार पर उत्तर देते हैं कि वे किसी जाति अथवा वर्ग के हैं। जैसा कि सभा को मालूम है, हमने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सम्बन्ध में रक्षण किये हैं। अतः यह तथ्य निश्चित है।

अतः जहां तक संवैधानिक दायित्वों का सवाल है, कुछ सालों तक जातियों का उल्लेख और होगा। यदि हम आज ही जातीयता दूर करना चाहें तो कुछ हानिकारक परिणामों के निकलने की सम्भावना है, जिनका भी हमें ध्यान रखना है

इसके पश्चात्, हमारे समक्ष एक बात और है। भारत सरकार तीन श्रेणियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दे रही है। कुछ अनुसूचित जातियां हैं, कुछ अनुसूचित आदिम जातियां हैं और अन्य पिछड़े वर्ग के नाम से विख्यात हैं। 'पिछड़े वर्ग' एक ऐसा शब्द है, जिसको हमने रूढ़ियों में लिया है। वे शिक्षा मंत्रालय के पास कुछ सूचियां भेजते हैं और वे सूचियां स्वीकार कर ली गई हैं। इन तीन श्रेणियों के लड़के अथवा लड़कियों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। अतः आप देखेंगे कि इन शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। मैं नहीं समझता कि यह बताना आवश्यक है कि संविधान में और कहां कहां जातियों का निर्देशन किया गया है अथवा किया जाना है।

उदाहरण के तौर पर संसद तथा अनेक विधान मंडलों में हो स्थानों के रक्षण का सवाल लीजिए। अतः वर्तमान दशाओं में, जाति का उल्लेख करना कितना ही आवश्यक तथा जरूरी हो किन्तु जहां तक सरकारी और लोक जीवन का सवाल है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं रही है। हमें तो केवल इस पर विचार करना है कि हम कितनी शीघ्रता से प्रगति करते हैं।

अतः, इसके दौरान में डा० देशमुख ने बताया कि प्रतिवेदन में जिस मार्ग पर चलने का सुझाव दिया गया है, उसके लिये अभी उपयुक्त समय नहीं आया है और यह मामला सामाजिक तथा आर्थिक समस्या का, जो कि बड़ी कठिन तथा जटिल है, एक भाग है। इसके पश्चात उन्होंने बताया कि इस दिवाकर समिति ने जो विनय प्रस्थापनायें कीं, उनके विरोध में

केवल वे ही नहीं थे। उन्होंने बताया कि स्थिति की वास्तविकताओं को देखते हुये, स्वर्गीय ठक्कर बापा (श्री ए० वी० ठक्कर, संसद् सदस्य) जिन्होंने अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित आदिम जातियों के लिये बहुत कुछ किया, इसी मत के थे कि जब तक इन समुदायों की प्रगति नहीं हो जाती शीघ्रता से कोई काम करना कठिन होगा। वे कहते हैं कि इस सम्बन्ध में मुझे यह कहते हुये खुशी है कि श्री ए० वी० ठक्कर, एम० पी०, के विचार भी पूरी तरह से मेरे समान हैं। वे आगे कहते हैं कि जातीय भावना अस्थायी है, जो कि मूल पर कुठाराघात करने से अधिक आसानी से दूर हो सकती है, बजाय इसके कि व्यर्थ के उपाय किये जायें जिनमें स्थिति की वास्तविकताओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता ; इन करोड़ो पिछड़े तथा अनपढ़ लोगों को जाति की संघटित अवस्था में रखती है। दुर्भाग्य से यह तथ्य है। यह उनकी इच्छा नहीं है। किन्तु वस्तुतः होता यही है।

मैं अन्य अंशों का निर्देशन करके सभा को बताना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां हैं। जहां तक इस वर्तमान विधेयक का सम्बन्ध है, माननीय प्रस्तावक की क्या इच्छा है ? वे चाहते हैं कि सरकारी और लोक कार्यों के लिये जाति का कोई उल्लेख नहीं होना चाहिए। जैसा मैं ने अभी बताया, सरकारी, कामों के लिये हमें जाति के उल्लेख की आवश्यकता है। वस्तुतः, जब कि १९५१ का जनगणना कार्य निश्चित हुआ, तो सरकार ने यह चाहा कि जातियों से सम्बन्धित बहुत सी बातों की गणना न की जाये। किन्तु बाद में कुछ कठिनाइयां पैदा हुईं। जैसा कि संविधान में उपबन्धित था, अनसूचित जातियों का ध्यान रखना आवश्यक था, जिसके कारण जनगणना कुछ श्रेणियों के आधार पर हुई। एक श्रेणी अनुसूचित जातियों की थी और दूसरी अनुसूचित आदिम जातियों की ; और जहां तक तृतीय श्रेणी का सवाल था, सब पिछड़े वर्ग एक श्रेणी में रख दिये गये। यह पिछड़े वर्ग कौन से थे ?

जनगणना के संबंध में भारत सरकार को विभिन्न राज्यों की गणना या सिफारशों पर निर्भर होना पड़ा था। अतः हमने इन तीन श्रेणियों का उल्लेख कराया। उन में से एक श्रेणी अनुसूचित जातियां, दूसरी अनुसूचित आदिम जातियां और तीसरी पिछड़े हुई वर्ग हैं। इस तीसरी श्रेणी में भारत में पाई जाने वाली सभी पिछड़ी हुई जातियों या वर्गों का उल्लेख नहीं किया गया है।

इससे कुछ कठिनाइयां पैदा हो गई हैं क्योंकि १९५१ की जनगणना के पूर्व हमने यह सोचा था कि जाति भावना का अंत आवश्यक है और इसलिये 'पिछड़े हुए वर्ग' के अधीन हमने कई जातियों और वर्गों को एकत्र करने का प्रयत्न किया था। परन्तु पिछड़े हुए वर्गों में पिछड़ेपन के विभिन्न स्तर हैं और इसलिये पिछड़ेपन की किसी समान्य श्रेणी पर ही पूरी तौर से निर्भर करना उचित नहीं होगा। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए इन वर्गों की आवश्यकताओं को भली प्रकार समझने के लिये हमें इस बात का पता लगाना होगा कि वे कहां तक और कितने पिछड़े हुए हैं।

दो वर्ष पूर्व भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद ३४० के अधीन एक आयोग नियुक्त किया था। इस

[श्री दातार]

आयोग का काम विभिन्न पिछड़े हुए वर्गों की जनगणना करना और उनके पिछड़ेपन को दूर करने के उपायों की सिफारिश करना था। उस पिछड़े हुए वर्गों के आयोग का प्रतिवेदन भी प्राप्त हो गया है। अभी सरकार उस पर विचार कर रही है। बाद में इस सभा को उस आयोग की सिफारिशों पर विचार करना होगा। यह बहुत आवश्यक है कि इन जातियों का इस प्रकार उत्थान किया जाये ताकि वे अन्य जातियों के समानान्तर हो जायें : तभी जनतंत्र को परखा जा सकता है। अभी इस पिछड़ेपन के कारण हमारे सामने कुछ कठिनाइयां हैं। वस्तु स्थिति से मुंह मोड़ना एक भारी गलती होगी। परन्तु मेरे विचार से जाति-भावना एक गलत प्रकार की जागरूकता है।

भारत में जाति प्रथा का आरंभ कुछ वर्गों के कार्यों और कर्त्तव्यों को निश्चित करने के प्रयोजन से हुआ था। परन्तु अब समय बदल गया है। अब हम ऐसी अवस्था पर पहुंच गये हैं जब कि सभी लोगों को इस देश का समान नागरिक समझना है। अब लोगों में किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं किया जा सकता : जाति प्रथा का उद्गम चाहे जो कुछ भी रहा हो, अब हमें यह समझ लेना है कि जाति भावना के कारण सम्पूर्ण सार्वजनिक जीवन पर अत्यन्त हानिकारक प्रभाव पड़ा है। जहां तक सार्वजनिक जीवन और सरकारी कार्य का संबंध है। इसका उन्मूलन बहुत आवश्यक है। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो कि जातिहीन हो और जिसका धर्म से कोई संबंध न हो यदि हमारा विचार एक धर्म निरपेक्ष सरकार बनाने का है, तो हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जो समानता पर आधारित हो। इस सभा में हमारा जो कार्य है, वह सीमित प्रकार का है। कार्य करने का वास्तविक क्षेत्र इसके बाहर सार्वजनिक जीवन में है और वहीं हमें जागरूकता उत्पन्न करनी है। इसके लिये पहले हमें अपने आपको सुधारना होगा और इस बात को स्वीकार करना होगा कि इस जाति भावना ने भारत को बरबाद कर दिया है। यही भावना सदैव हमारे पतन और पराजय का कारण रही है। हमें इसको दूर करने के उपाय सोचने हैं और यह तय करना है कि हम किन सिद्धान्तों का पालन करें। इस दिशा में हमें समझ बूझ कर और धीरे धीरे काम करना है। यह विधेयक बहुत स्पष्ट नहीं है। प्रस्तावक महोदय ने जाति नाम को बिल्कुल निकाल देने की बात कही। माननीय सदस्य ने अत्यन्त अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग किया है और इसलिये हमें यह ध्यान रखना है कि उनका उद्देश्य कितना ही सराहनीय क्यों न हो, परन्तु अभी प्रगति की गति को बढ़ाना संभव नहीं है। मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करता हूं कि इस विधेयक पर मत विभाजन के लिये वह आग्रह न करें और न इसे प्रवर समिति को सौंपने या राय जानने के लिये उसे परिचालित करने के लिये कहें। इसका प्रारूप उचित रूप से तयार नहीं किया गया है इस संबंध में जिन सदस्यों ने संशोधन पेश किये हैं, उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि वह उनके लिये आग्रह न करें क्योंकि ऐसा करना उन्ही लोगों के हितों के विपरीत होगा जिनके हित और लाभ के लिये हम सब कार्य कर रहे हैं।

श्री डाभी (कैरा—उत्तर) : अनुसूचित जाति के कुछ सदस्यों ने इस सम्बन्ध में जो बातें कही हैं वे बहुत ही विचित्र हैं और यह बात समझ में नहीं आती कि वे ऐसे उपबन्ध का विरोध क्यों कर रहे हैं जो उनके लाभ के लिये ही बनाया जा रहा है। हो सकता है कि उन्हें इस बात का डर हो कि यदि यह विधेयक स्वीकार हो गया तो संविधान के आधार पर जो प्रत्याभूतियां मिली हैं वे समाप्त न हो जायें। किन्तु मैंने एक सुझाव दिया था कि जहां तक अनुसूचित जातियों अथवा आदिम जातियों के लिये संवैधानिक प्रत्याभूतियों की बात है अगर यह विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाता है तो अपवाद बनाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु माननीय उपगृहमंत्री के भाषण पर मझे बहुत आश्चर्य हुआ। सर्वप्रथम उन्होंने संविधान सभा में प्रस्तुत किये गये संकल्प का उल्लेख किया है। यही नहीं उन्होंने डा० पी० एस० देशमुख का नाम भी लिया है और कहा है कि उन्होंने भी उस समय यह नहीं सोचा कि जातियों के नाम नहीं रखने चाहिये।

श्री दातार : माननीय सदस्य को मैं यह बता देना चाहता हूं कि भारत सरकार ने दिवाकर समिति के प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही न करने का निश्चय किया था।

श्री डाभी : किन्तु आज समय बदल गया है। मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य और दुख है कि सरकार अभी तक ऐसा कोई समय निश्चित नहीं कर पाई जब जातियों के नाम समाप्त हो सकते हैं। और फिर इसके बावजूद भी हम जाति-हीन समाज तथा समाजवादी ढांचे की स्थापना करने की आशा करते हैं। मैं तो यह समझता हूं कि भविष्य में चाहे कुछ हो किन्तु वर्तमान में तो सरकार का रुख यही है कि जातियों के नाम रहें। मेरा निवेदन तो यह है कि सिद्धान्त के नाते सरकार की विचार-धारा को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। हालांकि मतविभाजन के लिये आग्रह तो नहीं करूंगा किन्तु विधेयक को वापस भी नहीं लूंगा।

सभापति महोदय : दो संशोधन बिल को परिचालित करने के लिये हैं। चूंकि दोनों से कोई सदस्य उपस्थित नहीं हैं अतः मैं उन्हें सभा के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। पहला श्री केशवैयंगार के नाम से है।

प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक पर ३१ जुलाई, १९५५ तक राय जानने के लिये उसे परिचालित किया जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : श्री साधन गुप्त क्या संशोधन निरर्थक हो जाता है। श्री सामंत के संशोधन के बारे में क्या विचार है ?

श्री० एस० सी० सामन्त (तामलुक) : मैं उसे वापस लेता हूं।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि हिन्दुओं में जातिभेद की सरकारी मान्यता को खत्म करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

———

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक

श्री सी० आर० नरसिंहन् (कृष्णगिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अधिकृत लेखापाल अधिनियम, १९४९, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में विधेयक के उद्देश्य दिये हुए हैं। जबसे संयुक्त स्कन्ध समवाय बने हैं तभी से लेखापालों की आवश्यकता पड़ी और प्रारम्भिक वर्षों में सरकार ने इस व्यवसाय पर नियंत्रण करना, इस व्यवसाय के लिये व्यक्तियों को उचित प्रशिक्षण देना और इन व्यक्तियों की सेवा के आधार पर औद्योगिक संस्थानों की सहायता करना आवश्यक समझा। ये लेखापाल उन समवायों के प्रबन्धकों से जो कभी कभी जनता के धन को हड़पने का प्रयत्न करते हैं अंशधारियों के हितों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार लेखापालों के व्यवसाय की उत्पत्ति हुई। प्रारम्भ में इस व्यवसाय की जो आवश्यकता थी उसकी अपेक्षा अब इसकी आवश्यकता और भी बढ़ गई। अब इस व्यवस्था की आवश्यकता बहुत सी बातों में जैसे परिसमापन में समवायों की प्रतिग्रहीता के लिये, आयकर लेखों में अधिक लाभ कर के मामलों में, समवायों के अंशों का मूल्यांकन करने में और अन्य मामलों मे पड़ने लगी है। जैसे जैसे औद्योगिक उपक्रमों की वृद्धि हो रही है वैसे वैसे ही इनकी सेवाओं की भी आवश्यकता बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे नये प्रकार के समवाय और निगम बन रहे हैं वैसे वैसे यह आवश्यक होता जा रहा है कि लेखापालों को अधिकाधिक प्रविधिक ज्ञान हो।

इन सब चीजों के परिणामस्वरूप इन लोगों ने अपना एक संगठन बनाया जो उनके हितों की रक्षा करने के लिये था। ये लोग बहुत दिनों से अपने लिये अलग एक ऐसे स्वायत्त शासी मंडल की मांग कर रहे थे जो इनके प्रशिक्षण और अनुशासन को विनियमित करे। स्वतन्त्रता से पूर्व इनकी इस मांग पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। १९४९ में इस व्यवसाय के प्रमुख सदस्यों की राय से पिछली संसद ने यह विधान बनाया जिसका बहुत स्वागत हुआ। मुझे इस बातकी प्रसन्नता है कि इस अधिनियम को उचित रूपसे क्रियान्वित किया गया है। उसके कार्य संचालन के विरुद्ध में शिकायत नहीं करना चाहता मैं तो उसे और अच्छा बनाना चाहता हूं।

[**श्रीमती सुषमा सेन** पीठासीन हुईं।]

१९४९ में जो अधिनियम बनाया गया था उसमें कुछ मामूली त्रुटियां हैं। यह अधिनियम जल्दी में पारित किया गया था इसीलिये इसमें कुछ त्रुटियां रह गई हैं।

इसी प्रकार से दो एक त्रुटियां हुई अथवा कुछ अन्याय हुए हैं। मेरा यह अभिप्राय है कि मैं आपका ध्यान इन त्रुटियों की ओर आकर्षित करूंगा। दो खण्डों के लिये जो संशोधन मैंने रखे हैं उनका सारांश यह है कि दो वर्गों के लोगों के बीच भेद भाव हट जाये।

पहला वर्ग उन विद्यार्थियों का है जो उन वर्षों में लेखा परीक्षा सम्बन्धी

परीक्षा में शामिल हुए थे और जिनके लिये अन्तर्कालीन व्यवस्था में कोई अच्छा प्रबंध नहीं किया गया था। १९१६ से लेखा-शास्त्र में सरकारी प्रमाण-पत्र प्रणाली चलती थी। उसके पश्चात् हम ने पंजीबद्ध लेखापाल प्रणाली लागू की। लेखा-शास्त्र में सरकारी प्रमाण-पत्र प्रणाली के अन्तर्गत लेखा-परीक्षकों के लिये यह संभव था कि वह किसी समय, उसके सिद्धान्त सम्बन्धी परीक्षा पास करने से पहले या पीछे, प्रयोगात्मक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। बाद में नयी प्रणाली आरम्भ की गई थी।

उन विद्यार्थियों को जो लेखा-शास्त्र में सरकारी प्रमाण-पत्र की प्राथमिक परीक्षा में बैठे थे परन्तु पास न हो सके, अन्तिम पंजीबद्ध लेखापाल से सम्बद्ध परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा दी गई थी। फिर जब उन्होंने वह परीक्षा पास की तो उनके साथ क्या किया गया, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं।

जिस व्यक्ति ने लेखा-शास्त्र में सरकारी प्रमाण-पत्र वाली परीक्षा पास की थी परन्तु प्रयोगात्मक परीक्षण की नियुक्ति कालावधि में पूरी नहीं की थी, उसको इस शर्त पर कि उसने दस साल तक किसी सयवाय का लेख परीक्षा सम्पूर्ण तौर पर संभाल रखा हो, संस्था का सदस्य बनाया जाता था। गलती से यह रियायत उस व्यक्ति को नहीं दी गई थी जो लेखा शास्त्र में सरकारी प्रमाण-पत्र वाली परीक्षा में पास न होने के कारण अन्तिम पंजीबद्ध लेखापाल परीक्षा में बैठे थे और पास हुए थे प्रस्तुत संशोधन द्वारा वह गलती ठीक करने का भी अभिप्राय है।

एक और खण्ड वेतन वाले कर्मचारियों के बारे में है। लेखापाल एक समवाय बना सकते हैं और वह थोड़े वेतन वाले कर्मचारी रख सकते हैं विधि के अनुसार ऐसा किया जा सकता है। परन्तु इस अधिनियम के अधीन जब नियम बनाये गये थे तो चार्टर्ड लेखापालों की संस्था ने सरकार की अनुमति से इन वेतन वाले कर्मचारियों के प्रशिक्षण वाले कलर्कों की संख्या कम करदी। अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार प्रशिक्षण वाले कलर्कों की संख्या कम नहीं की जा सकती है। मेरे विचार में ऐसा करना विधि द्वारा दिये गये अधिकारों को छीनना होगा। अतः यह उचित भी नहीं होगा। मैं इस विषय को इसलिये महत्वपूर्ण समझता हूं क्योंकि हमारे देश में इन लेखा समीक्षकों की अत्यधिक आवश्यकता है।

अधिनियम तथा विनियम के अन्तर्गत एक लेखा परीक्षक जितने आर्टिकिल व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिये रख सकता है उन की संख्या निश्चित कर दी गई है। कुछ लेखा परीक्षक दो या तीन रखते हैं और जो वरिष्ठ हैं वह सात तक रख सकते हैं किन्तु व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की मांग इतनी अधिक है कि जिन विद्यार्थियों ने सैद्धान्तिक शिक्षा प्राप्त कर ली है उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये उन के पास स्थान नहीं मिल पाता है। कभी कभी उनको अधिशुल्क (प्रिमीयम) तक देना होता है यदि इस स्थिति में सुधार न किया गया तो दुराचार फैलने की आशंका है। मैं नहीं चाहता कि ऐसी स्थिति आये। इसलिये मैंने यह विधेयक प्रस्तुत किया है जिसका उद्देश

[श्री सी० आर० नरसिंहन्]

यह है कि जो स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं उन को भी कुछ आर्टिकिल्ज क्लर्कों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने की सुविधायें समान रूप से प्राप्त होनी चाहिये। आर्टिकिल्ज क्लर्कों के मामलों में दोनों को एक समान समझा जाना चाहिये क्योंकि विनियम ने इसकी संख्या कम की है और सरकार ने ही ठीक करना उचित नहीं समझा है इसीलिये मैं ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है। मुझे तो यह आशा थी कि सरकार स्वयं अधिकृत लेखापाल संस्था से विनियम से संशोधन करके स्थिति को सुधारने का उचित प्रयत्न करने के लिये कहेगी, किन्तु न तो सरकार ने ही ऐसा किया और न संस्था ने। मैंने वैतनिक कर्मचारियों की संस्था के अन्य स्वतंत्र सदस्यों के समान स्तर पर रखे जाने पर आग्रह किया है। पर सरकार ने उफ नहीं किया है। सरकार तो एक मशीन बन गई है जिससे कोई मानवीय प्रेरणा नहीं होती।

मैंने असफल जी० डी० ए० विद्यार्थियों के सम्बन्ध में बताया था कि सरकार ने उन्हें दूसरी बार परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी थी जिसे माननीय मंत्री ने एक रियायत कह कर पुकारा है किन्तु इस में रियायत की क्या बात है ? प्रत्येक कल्याणकारी राज्य में जो भी छात्र परीक्षा में असफल हो जाते हैं उन्हें परीक्षाओं में दुबारा बैठने की अनुमति दी जाती है। कल्याणकारी राज्य का कार्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए व्यक्तियों को दंड देना नहीं है। मैं इस दृष्टिकोण की निन्दा करता हूं ऐसी बातें केवल "अहितकारी राज्य" में ही हो सकती हैं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य काफी समय ले रहे हैं।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : मैं अब समाप्त करने को हूं।

हां तो, मेरा अभिप्राय यह है कि इन लोगों के साथ न्याय किया जाना चाहिये। मुझे खुशी है कि प्रधान मंत्री भी सभा में उपस्थित हैं। संक्षेप में मैं उन्हें यह बता दूं कि अधिकृत लेखापाल अधिनियम १९४९ के अन्तर्गत जो छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे और जो परीक्षा में असफल हो गये थे उनको सरकार ने एक अवसर फिर दिया था परन्तु जिस में सफल हो जाने पर भी सरकार ने उनको वे अधिकार नहीं दिये हैं जो औरों को मिले हुए हैं। यह एक अन्याय है। प्रशिक्षण देना सरकार का कर्तव्य है। प्रशिक्षण के पश्चात उनको व्यवसाय करने का पूर्ण अधिकार-पत्र मिलना चाहिये।

अन्त में मैं एक बार पुनः सरकार से निवेदन करता हूं कि इस विषय पर सहानुभूति के साथ विचार किया जाय हम नहीं चाहते कि हमारे नवयुवक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी बेकार फिरते रहें। मैं आशा करता हूं कि सभा इस विधेयक पर उचित ध्यान देगी।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री एस० वी० रामस्वामी (सेलम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि इस विधेयक पर ८ अगस्त १९५५ तक राय जानने के लिये इसे परिचालित किया जाये।"

मेरे मित्र श्री नरसिंहन ने अपने भाषण में इस राज्य को "अहितकारी राज्य" तक बतलाया है इस

की विषय वस्तु बहुत कुछ प्रविधिक है। उदाहरण के लिये खंड ४ और ६ को लीजिये। इस अधिनियम के अधिनियमित होने से पूर्व एक व्यक्ति भी अपने समवाय को रामलाल एण्ड कम्पनी या कृष्णामूर्ति एण्ड कम्पनी जैसे नाम दे सकता था। अब उसे व्यक्तिगत नाम से, समवाय के नाम से वही काम करना होगा। मेरे विचार से श्री भगत इस विधेयक का विरोध करेंगे और कहेंगे कि यथनादवरउ प्रधिनियम का एक अनावश्यक संशोधन है।

मेरे मित्र यह बताना चाहते थे कि १९१६ से १९३४ तक उनको परीक्षा पास करनी होती थी और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होता था। यह प्रणाली १९३४ में समाप्त कर दी गई। अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को और तीन चार वर्षों तक परीक्षा देने की अनुमति दी गई थी। उनको उसी श्रेणी में नहीं रखा गया है। मेरे मित्र का सुझाव है कि उनको भी यह सुविधा दी जानी चाहिये।

यह विधेयक के खंड ३ के सम्बन्ध में है। इसके सम्बन्ध में खण्ड ३ (क) अधिक महत्वपूर्ण है और (ख) और (ग) इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं

खंड २ के सम्बन्ध में मेरे मित्र का आग्रह यह है कि विनियम को इस प्रकार पुनरीक्षित किया जाये जिससे कि और अधिक लेखा परीक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था और अधिक की जा सके। मुझे विश्वास है कि यदि श्री भगत इस बात का आश्वासन दे देंगे कि वह प्राधिकारियों से इस प्रश्न पर पत्र व्यवहार करेंगे तो कदाचित मेरे मित्र इस विधेयक पर आग्रह नहीं करेंगे और न मैं अपने संशोधन पर ही आग्रह करूंगा।

अधिकृत लेखापाल अधिनियम १९४९ के अन्तर्गत बनाया गया विनियम भारत की अधिकृत लेखापाल संस्था को आर्टिकिल्ज क्लर्कों को प्रशिक्षण देने की अनुमति दी थी। मेरी समझ में नहीं आता कि उन व्यक्तियों को जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करने की अधिक सुविधा क्यों नहीं दी जा सकती है। मुझे विश्वास है कि सरकार इस विषय पर ध्यान देगी।

संस्था का कोई सदस्य, जो किसी अधिकृत लेखापाल या अधिकृत लेखापालों की किसी संस्था का वैतनिक कर्मचारी हो, परिषद नामांकित किये जाने का अधिकारी नहीं है। वैतनिक और अवैतनिक व्यक्तियों के मध्य ऐसा भेद-भाव किया गया है और मेरे विचार से यह भेदभाव वैतनिक कर्मचारियों के लिये बहुत ही अपमानजनक है। मुझे विश्वास है कि सरकार इन बातों पर विचार करेगी और उस दशा में मेरे मित्र विधेयक पर आग्रह नहीं करेंगे।

खंड ५ में मेरे मित्र शब्द "अन्योन्यता के साथ के आधार पर" शब्द जोड़ देना चाहते हैं। इसलिये यह विधेयक एक बहुत ही सरल विधेयक है। यदि माननीय मंत्री आश्वासन दे दें तो मेरे मित्र अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करेंगे।

सभापति महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ।

डा० सुरेश चन्द्र (औरंगाबाद) : इस विधेयक के प्रस्तावक का भाषण सुन कर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ है। उन्होंने

[डा० सुरेश चन्द्र]

मामले को और भी उलझा दिया है। मेरी समझ में नहीं आता कि श्री नरसिंहन ने हमारी सरकार के प्रति इतने कठोर शब्दों का प्रयोग क्यों किया है। उन्होंने इस सरकार को "अहितकारी सरकार" बताया है। मुझे विश्वास है कि वह अपने शब्दों को वापस ले लेंगे।

इस विधेयक पर चर्चा करना सभा का समय नष्ट करना है। अधिकृत लेखापाल अधिनियम इस सम्बन्ध में नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। उन्होंने अस्थायी संसद पर यह आरोप भी लगाया है कि समय की कमी के कारण इस विधेयक को बिना किसी प्रकार की आलोचना के पारित कर दिया गया था। यह एक गंभीर आरोप है। अधिकृत लेखापाल अधिनियम का उद्देश्य कार्यकुशलता को बढ़ाना था घटाना नहीं था।

लेखापालन में सरकारी प्रमाण-पत्र रखने वालों के प्रति कुछ ढिलाई की गई थी, उनको उस समय उत्तीर्ण कर दिया गया था। परन्तु मेरे मित्र चाहते हैं कि जो व्यक्ति बाद को भी अनुत्तीर्ण हो गये थे उनको अधिकृत लेखापाल के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाये। सभा को ज्ञात है कि अधिकृत लेखापाल परीक्षा आज सरकार द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सर्वाधिक कुशल है। यह परीक्षा अन्य देशों में होने वाली परीक्षाओं से कहीं अधिक उत्तम है। इस कारण मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत): सरकार की ओर से, मैं खेद प्रकट करता हूं कि मैं इस विधेयक को नहीं कर सकता। डा० सुरेश चन्द्र ने ही बहुत सी बातों का उत्तर दे दिया है। इसके अतिरिक्त प्रस्तावक ने भी, यद्यपि सामान्यतया प्राप्त सनद लेखापालों के बारे में बहुत व्यापक बातें कही है, परन्तु उन्होंने दो बातों को छोड़ कर विधेयक की सब मुख्य बातों का वर्णन नहीं किया है खण्ड २ में कहा गया है कि इस अधिनियम के अधीन पूजी बद्ध लेखपालों के वैतनिक कर्मचारियों को राज्य सनद प्राप्त लेखापाल होने का अधिकार दिया जाना चाहिये और खण्ड ३ में रियायत का उल्लेख किया गया है। दूसरी बातें विदेशी योग्यताओं का विरोध करने के लिये हैं, परन्तु उन्होंने उन बातों को छोड़ दिया है। मैं केवल इन्हीं दो बातों का उत्तर दूंगा।

श्री एस० वी० रामस्वामी इतने बड़े विधिवेता है और उन्हें अपने पड़ौसी की सुनी सुनाई बातों पर ही विश्वास नहीं कर लेना चाहिये था। उन्हें कुछ गम्भीरता से बोलना चाहिये था।

खण्ड २ में यह मांग की गई है कि राज्य सनद प्राप्त लेखापालों या उनकी श्रम के वैतनिक कर्मचारियों को आर्टिकल प्राप्त क्लर्कों के प्रशिक्षण के मामले में राज्य सनद प्राप्त लेखापालों के समान ही समझा जाना चाहिये। अधिनियम की धारा ७ के अधीन संस्था का केवल वही सदस्य राज्य सनद प्राप्त लेखापाल माना जाता है, जो काम कर रहा है, संस्था का सदस्य, जो राज्य सनद प्राप्त लेखापाल का वैतनिक कर्मचारी है, वह केवल आर्टिकल प्राप्त क्लर्कों के प्रशिक्षण के लिए काम करता हुआ माना जा सकता है, और इस कारण वह राज्य सनद प्राप्त लेखपाल नहीं बन जाता। यह तथ्य, कि वैतनिक कर्मचारियों को यद्यपि वे प्रविधिक रूपसे राज्य सनद

प्राप्त लेखापाल नहीं है, तो भी आर्टिकल प्राप्त क्लर्कों को प्रशिक्षण दें, उन लोगों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण के अवसर बढ़ाने के स्पष्ट उद्देश्य के साथ से, जिनको काम करने वाले राज्य सनद प्राप्त लेखापालों से आर्टिकल प्राप्त करना सम्भव नहीं होता, संविधान सभा (वैधानिक) द्वारा राज्य सनद प्राप्त लेखापाल विधेयक में जोड़ दिया गया था।

उन्होंने कहा था कि बहुत से ऐसे युवक हैं, जिन्होंने सैद्धांतिक प्रशिक्षण को प्राप्त कर लिया है, परन्तु जिन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की कोई सुविधा नहीं मिलती। उन्होंने यह भी कहा कि ससद ने अनुचित शीघ्रता से इस विधेयक को पारित कर दिया है। इनमें से कोई भी आरोप ठीक नहीं है क्योंकि यह विधेयक उन राज्य सनद प्राप्त सनद लेखापालों की विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर बनाया गया था, जिन्होंने इस प्रश्न पर विचार किया था। सब प्रकार के लोगों ने अभ्यावेदन दिये और उन पर विचार हुआ और तब यह विधेयक पारित किया गया था। उन्होंने व्यावहारिक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता अनुभव की और इसी कारण वैतनिक कर्मचारियों को एक विशेष रियायत—एक आर्टिकल क्लर्क रखने का अधिकार—दी गई थी। उन्होंने कहा कि इस आर्टिकल प्राप्त क्लर्क के बारे में अधिनियम के किसी उपबन्ध में संशोधन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इसमें बड़े छलपूर्ण ढंग से संशोधन किया गया है। वास्तव में इसमें से कोई भी बात सत्य नहीं है। राज्य सनद प्राप्त लेखापाल संस्था परिषद द्वारा निर्मित राज्य सनद प्राप्त लेखपाल विनियमों को विनियम ३२ इस अधिनियम की धारा ३० के अधीन बनाया गया था। अधिनियम म इसका उपबन्ध किया गया है। यदि यथा सुझाव अधिनियम में भी संशोधन किया जाता है, तो भी माननीय सदस्य का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। विनियम ३२ के अधीन एक राज्य सनद प्राप्त लेखापाल कितने आर्टिकल प्राप्त क्लर्कों को प्रशिक्षण दे सकता है यह बात इस तथ्य पर अवलम्बित है कि वह कितने वर्षों से काम कर रहा है; इस प्रकार सात वर्षों से काम करने वाली संस्था का साथी सदस्य तीन आर्टिकल प्राप्त क्लर्क रख सकता है, और सात वर्ष से कम समय से काम करन वाली संस्था का साथी सदस्य दो रख सकता है और तीन वर्षों से काम करन वाला संबद्ध सदस्य एक रख सकता है। कोई भी तीन से अधिक नहीं रख सकता। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति सात या पाच नहीं रख सकता और वैतनिक कर्मचारी एक रख सकता है। तीन वर्ष से कम समय से काम करने वाला राज्य सनद प्राप्त लेखपाल भी केवल एक रख सकता है। जैसा कि डा० सुरेश चन्द्र ने कहा है, सरकार और राज्य सनद प्राप्त लेखापालों की संस्था दोनों राज्य सनद प्राप्त लेखापालों के कौशल को ऊचा उठाने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि वे सार्वजनिक निधियों और समवायों का निधियों का लेखा परीक्षण करते हैं। इतना बड़ा उत्तरदायित्व गैर उत्तरदायी लोगों को नहीं सौंपा जा सकता। इसलिये इन राज्य सनद प्राप्त लेखपालों का कौशल कम करन में बड़ा खतरा है।

खण्ड ३ में प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य आ जाता है। उन्होंने सब प्रकार का संभ्रम प्रस्तुत करते हुए सभा के समक्ष एक प्रकार की भावनात्मक समस्या खड़ी करदी है। मैं इस विषय में डा० सुरेश चन्द्र के समान जोरदार विरोध करूगा, परन्तु मैं सभा के सामने युक्ति बात रखूगा और संभ्रम

[श्री बी० आर० भगत]

को दूर करूंगा और मैं इसे सभा के निर्णय के लिए छोड़ दूंगा। विधेयक के खण्ड ३ में यह उपबन्ध करने का विचार है कि जो व्यक्ति १९३२, १९३३ और १९३४ में जी० डी० ए० या समान परीक्षाओं में बैठे हैं और असफल हो गये हैं, और जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई रियायतों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा ली जाने वाली अन्तिम परीक्षाओं में १९३५, १९३६ और १९३७ में बैठने की आज्ञा दी गई थी—लेखापरीक्षक प्रमाण-पत्र नियम १९३२, के अधीन इतने अधिक अवसर दिये गये थे, और जिन्होंने वह परीक्षाएं पास करली हैं, उन्हें राज्य सनद प्राप्त लेखापाल होने के लिए उन्हीं लोगों के समान अनुमति दी जानी चाहिये, जिन्होंने जी० डी० ए० या समान परीक्षायें पास कर ली हैं, यदि वे अनिवार्य अभिसूचनाओं में दी गई शर्तों को पूरा करते हैं। १९३४ से पहले जी० डी० ए० परीक्षा बम्बई सरकार के लेखापालन डिपलोमा बोर्ड द्वारा ली जाती थी, और जो व्यक्ति उसे पास कर लेता था तथा डिपलोमा देने के विनियमों के अनुसार निर्धारित व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा कर लेता था, उसे समस्त ब्रिटिश भारत के अन्दर सार्वजनिक समवायों के लेखाओं का लेखापरीक्षण करने का अप्रतिबंधित अधिकार होता था। अप्रैल १९३४ के पश्चात इन परीक्षाओं का स्थान लेखापरीक्षक प्रमाण-पत्र नियम १९३२ के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं ने ले लिया। पिछली जी० डी० ए० परीक्षा में फेल होने वाले लोगों से बहुत अभ्यावेदन प्राप्त हुए इसलिये भारत सरकार ने उन सब लोगों को, जो १९३२, १९३३ और १९३४ की जी० डी० ए० परीक्षाओं में फेल हुए थे, लेखपरीक्षक—राज्य सनद नियमों के अधीन निर्धारित व्यावहारिक परीक्षा लेने से पहले १९३५, १९३६ और १९३७ में होने वाली लेखापरीक्षक-राज्य सनद नियमों के अधीन अन्तिम परीक्षा में बैठने की आज्ञा दे दी।

जब राज्य सनद प्राप्त लेखापाल विधेयक १९४९ को विधि का रूप दिया जा रहा था, तब संविधान सभा की प्रवर समिति को कुछ अभ्यावेदन दिये गये थे। वर्तमान रियायतें, जिन्हें माननीय सदस्य बढ़ाना चाहते हैं, वे उन कुछ अभ्यावेदनों के परिणामस्वरूप स्वीकार की गई थीं, जिन पर प्रवर समिति ने विचार किया था। अभ्यावेदनों में कहा गया था कि जिन लोगों ने जी० डी० ए० परीक्षा पास करली थी किन्तु निर्धारित व्यावहारिक प्रशिक्षणों के अभाव के कारण डिपलोमा प्राप्त नहीं किया था, परन्तु जिन्होंने लेखापरीक्षा संबंधी पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लिया था, उन का नाम भी राज्य सनद प्राप्त लेखपालों में दर्ज कर लेना चाहिये। प्रवर समिति इन अभ्यावेदनों से प्रभावित हुई और तद्नुसार इसने अधिनियम की धारा ४ (१) के खण्ड (३) में यह उपबंध किया कि यदि वे व्यावहारिक परीक्षा की शर्तें पूरी करते हैं, तो उन का नाम भी राज्य सनद प्राप्त लेखपालों में दर्ज कर लेना चाहिये। उन्हें व्यावहारिक परीक्षण लेखा पड़ता था। इस विधेयक के प्रस्तावक इन रियायतों को उन लोगों तक बढ़ाना चाहते हैं, जो जी० डी० ए० में फेल हो गए थे, और जिन्हें उस असफलता के कारण पंजीबद्ध लेखपालों की परीक्षा में बैठने की आज्ञा दी गई थी, और उन्होंने उस परीक्षा

को पास कर लिया था। परन्तु मैं समझता हूं कि उन्हें भ्रम है कि आज विशेष रुकावट लगा दी गई है। उन्होंने युवकों का उल्लेख किया है। इस श्रेणी के अन्दर कोई युवक नहीं आता। जिन लोगों ने पहले पास किया था वे सब युवक थे। इसलिये कोई अविलम्बनीय आवश्यकता नही हुई है, और न ही कोई आकस्मिक संकट उत्पन्न हुआ है। यदि ये लोग व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते तो ये १९४९ के अधिनियम से पहले पिछले सात वर्षों में ही कर सकते थे। अतः क्योंकि प्रवर समिति ने कुछ लोगों को कुछ रियायत दी और उन्हें पंजीबद्ध लेखापालों की परीक्षा में बैठने की आज्ञा दी, इस लिये इसी आधार पर माननीय प्रस्तावक यह मांग नहीं कर सकते कि और लोगों को भी यह रियायत दी जानी चाहिये ताकि वे लोग राज्य सनद प्राप्त लेखपाल घोषत किये जा सकें। ये लोग किसी न किसी कारण योग्यता पूरी करने और अपने आपको पंजीबद्ध लेखापालों के रूप में पंजीबद्ध कराने के लिये तैयार नहीं हुए। अतः मुझे खेद है कि इस समय कुछ नहीं किया जा सकता।

१९४९ के शीघ्रकारी विधान विधेयक आरोप के बारे में मैं इस समय यह कहूंगा कि, १९४९ में, अभ्यावेदनों में कहा गया था कि समिति ने विभेद किया था जिन लोगों ने जी० डी० ए० परीक्षा पास की थी और आवश्यक व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया था, उन्हें रियायत दी गई थी और उन्हें राज्य सनद प्राप्त लेखापाल घोषित किया गया था और उन लोगों को नहीं जिन्होंने पंजीबद्ध लेखापाल परीक्षा पास की थी। जिन लोगों ने परीक्षा पास की थी उन्होंने व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया। समिति ने विभेद किया अब, छः वर्ष बीत चुके हैं कोई नई बात नहीं हुई है। मैं नहीं जानता कि विधान बनने के छः वर्ष पश्चात् अब रियायत देने में क्या सार है। कोई असाधारण घटना भी नहीं हुई है। उन्होंने इस विषय में बड़े जोश के साथ समर्थन किया है। मैं समझता हूं यह संभ्रम का परिणाम है। वह दोनों प्रकार के लोगों में संभ्रम कर रहे हैं और सब प्रकार से संभ्रम पैदा कर रहे हैं। इस मामले में कोई सार नहीं है।

आगे चल कर इस विधेयक में आदान प्रदान के मामले का उल्लेख किया गया है और माननीय सदस्य इस बात को नहीं समझते हैं। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि खण्ड ४ और ६ इसी बात पर जोर देते हैं। विधेयक के बारे में उन्होंने एक और बात कही है कि अकेले राज्य सनद प्राप्त लेखापाल के सार्थ के नाम से काम करने की आज्ञा मिलनी चाहिये। हमने कई प्रस्ताव प्राप्त किये हैं। हम ने इस मामले का परीक्षण किया है। राज्य सनद प्राप्त लेखापालों की संस्था और परिषद ने भी सिफारिश की थी इस उपबंध को अधिनियम में निविष्ट कर दिया जाए। परन्तु परीक्षण के पश्चात् हम ने यह देखा कि विधेयक में ऐसी कोई बात नहीं है जो इस को रोकती हो। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो अधिनियम में उस को कोई दण्ड देने का उपबंध नहीं है। अतः इस की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि अधिनियम में कोई व्यापक संशोधन करना होगा, तो हम इस बात पर भी

[श्री बी० आर० भगत]

विचार कर लेंगे। अब ऐसा करने का कोई विचार नहीं है।

इस विधेयक के अन्तिम खण्ड—खण्ड में इस बात का स्पष्टीकरण करने के लिए कि राज्य सनद प्राप्त लेखापालों का सार्थ अपने राज्य सनद प्राप्त लेखपाल कर्मचारी को साथ के नाम से काम करने की अनुमति दे सकता है, अधिनियम की अनुसूची के भाग (क) का संशोधन करने का विचार किया गया है। मैं समझता हूं इसे रोकने का कोई उपबंध नहीं है। इस में केवल एक ही बात है। अनुसूची में वर्णित कृतियों और अकृतियों के कारण दुराचार के मामले में व्यक्तिगत भागीदारों को दोषी समझा जाएगा, न कि सार्थ को। मैं समझता हूं अनसूची में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

मैं पुनः प्रस्तावक से इस विधेयक को वापस लेने की प्रार्थना करूंगा। परन्तु उन्हें यह अनुभव नहीं करना चाहिये कि राज्य सनद प्राप्त लेखापालों की दुनिया में बहुत गड़बड़ है। उनमें यह मिथ्या भ्रम नहीं रहना चाहिये। मैं केवल इतना कहूंगा कि इन कुछ वर्षों के अन्दर राज्य सनद प्राप्त लेखापालों का मान बहुत बढ़ गया है। श्री सी० आर० नरसिंहन् ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। व्यवसाय के रूप में उन्होंने देश में अपना मान और सम्भव बना रखा है और उन के लिये भविष्य अच्छा है। मैं समझता हूं कि यदि माननीय सदस्य के मन की भ्रान्ति दूर हो जाए तो अच्छा है। सरकार की ओर से मैं विधेयक का और श्री नरसिंहन् द्वारा विधेयक के इस संशोधन का, कि विधेयक को परिवालित किया जाए, विरोध करता हूं। मैं इन दोनों प्रस्तावों का विरोध करता हूं।

श्री मूलचन्द दुबे (जिला फर्रुखाबाद—उत्तर) : सूचनार्थ, श्री सी० आर० नरसिंहन् ने अपने भाषण के दौरान में ऐसा बताया है कि ऐसे बहुत से योग्यता प्राप्त नवयुवक हैं जो अभी तक किसी अधिकृत लेखापाल सार्थ में स्थान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्या उनका यह कथन सत्य है ? यदि हाँ तो ऐसे नवयुवकों की नियुक्ति के विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बी० आर० भगत : उनका यह कथन बिल्कुल गलत है। उन्होंने तो यह बात सामान्य रूप से कह दी थी, कोई विशेष उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया है।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : मैं अपनी स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मुझे इस बात का बड़ा दुःख है कि मेरे कथन को व्यर्थ में ही तोड़ मोड़ कर ऐसा प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है कि मैंने गत संसद पर यह आरोप लगाया है कि उसने अधिकृत लेखापाल विधेयक पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया है। मैंने तो यह कहा था कि इस विधेयक को पारित कराने वालों ने इसे पारित कराने में जल्दी की है और यह जिस भी रूप में था इसे शीघ्र ही पारित करा दिया है। अतः आप इसे स्पष्टतः समझ लीजिए ताकि बाद में कोई भ्रम न रहे। मैंने तो केवल यही कहा है कि इसे पारित कराने में बहुत जल्दबाजी की गई है।

परन्तु इसके साथ ही साथ मैंने विधेयक के प्रभारियों को इस बात को

बधाई भी दी थी कि यह अधिनियम बड़ी अच्छी प्रकार से काम कर रहा है।

उसमें कुछ त्रुटियां भी हैं और उनकी ओर संकेत करना हमारा कर्तव्य है। इसके विषय में यही कहना चाहता हूं कि जी० डी० ए० परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले नवयुवकों को पुनः परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। और इसके अतिरिक्त उन व्यक्तियों को, जो रियायतें दी गई हैं, जिन्होंने जी० ए० डी० परीक्षा को पहले पारित किया था, वे रियायतें उन व्यक्तियों को भी प्रदान की जाएं जिन्होंने अन्तर्कालीन नियमों के अधीन आर० ए० की परीक्षा पास की थी। ये दोनोंवर्ग एक समान हैं इनमें कोई अन्तर नहीं। तो फिर इस प्रकार से भेद भाव क्यों उत्पन्न किया जा रहा है? अतः संसद को चाहिए कि वह इस प्रकार के भेदभाव की अनुमति न दे। मेरा यही नम्र निवेदन है कि उन नवयुवकों के जीवन को नष्ट होने से बचाया जाए और उन्हें उचित स्थान प्रदान किया जाए।

श्री एस० वी० रामस्वामी : ऐसे नवयुवकों की संख्या क्या है?

श्री सी० आर० नरसिंहन् : इस प्रश्न का उत्तर तो सरकार को देना चाहिए। सरकार का कर्तव्य है कि वह इसके सम्बन्ध में सभी आंकड़े एकत्रित करे और उसके बारे में हमें जानकारी दे। यदि मैं सरकारी पक्ष हमें होता तो आपको यह जानकारी अवश्य प्रदान करता। अन्त में मैं इसी बात पर बल देता हूं कि मेरे इस प्रस्ताव पर विचार किया जाए और इसे स्वीकार किया जाए।

श्री बी० आर० भगत : मैं एक विशेष बात का स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं। मेरे मित्र ने ऐसा कहा कि ऐसे नवयुवक बेरोज़गार हैं। परन्तु संभवतः वह यह बात भूल गए हैं कि यद्यपि वे अधिकृत लेखापाल नहीं हैं और किसी लोक अथवा अनुविहित कम्पनी में काम नहीं कर सकते हैं, तथापि वे निजी कम्पनियों में लेखा-परीक्षण का काम कर रहे हैं। उनमें से बहुत से लोग आज से नहीं अपितु इस अधिनियम के पारित होने के समय से लेकर ऐसा काम कर रहे है, जबकि समिति ने ऐसा निर्णय किया था कि इन्हें यह काम करने की अनुमति न दी जाए। हो सकता है कि कुछ एक लोग बेरोजगार हों, परन्तु इसका यह अर्थ तो नहीं है कि सभी लोग बेरोजगार हो गए हैं। यदि वे किसी लोक अथवा अनुविहित कम्पनी में काम नहीं कर सकते तो वे निजी कम्पनियों में तो काम कर ही रहे हैं। और निजी कम्पनियों की कोई कमी नहीं।

श्री बी० एन० मिश्र (बिलासपुर-दुर्ग-रायपुर) : एक औचित्य प्रश्न है। क्या यह नियमानुकूल है कि प्रस्तावक तथा सभा-सचिव दोनों बारी बारी से बोलते जा रहे हैं।

सभापति महोदय : प्रस्तावक को अधिकार है कि प्रत्येक भाषण का उत्तर दे।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : इसके सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कहना

[श्री सी० आर० नरसिंहन्]

चाहता हूं यदि देश में कहीं भी अन्याय का एक भी मामला है तो उस अन्याय को दूर करना संसद का कर्तव्य है ।

श्री बी० आर० भगत: परन्तु कहीं भी कोई अन्याय नहीं हो रहा है ।

श्री एस० वी० रामस्वामी: मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति दी जाए ।

सदन की अनुमति से संशोधन वापस ले लिया गया ।

सभापति महोदय: क्या माननीय प्रस्तावक अपने मौलिक प्रस्ताव को वापस लेना चाहेंगे ?

श्री सी० आर० नरसिंहन्: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को वापस लेने की अनुमति दीजिए ।"

सभापति महोदय द्वारा प्रस्ताव मत-दान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ ।

सदन की अनुमति से विधेयक वापस ले लिया गया ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

(धारा ४३५ का संशोधन)

श्री रघुनाथ सिंह (जिला बनारस-मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि क्रिमिनल प्रोसीज्योर कोड, १८९८ (दंड प्रक्रिया संहिता, १८३८) में और संशोधन करने वाले बिल (धारा ४३५ का संशोधन) पर विचार किया जाये ।

यह जो बिल मैंने आप के सामने उपस्थित किया है वह इस कारण से उपस्थित किया है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दोनों तरह के अधिकार ऐक्यूज्ड या ऐग्रीव्ड पार्टी को दिये गये हैं । अदालत को रिवीजन का भी अधिकार दिया गया है और रिफरेन्स का भी । साथ ही साथ इसके सेक्शन ४६१ के मातहत कोर्ट को यह इन्हेरेन्ट पावर है कि वह जैसा चाहे फैसला दे सकता है लेकिन समस्या इस प्रकार उपस्थित हुई कि सन् १९५३ में इलाहबाद हाई कोर्ट ने एक रूलिंग दी जो कि आल इंडिया रिपोर्टर के ४९८ पेज पर कोटेड है । उस रूलिंग के कारण जिस में कि कलकत्ता हाईकोर्ट की सन् १९४९ की रूलिंग भी कोटेड है एक बड़ी विचित्र समस्या उपस्थित हो गई । रिवीजन और अपील का अधिकार हाईकोर्ट और सेशन जज दोनों को है । जहां पर सेशन ट्रायल होता है । उस के रिवीजन और अपील का अधिकार हाईकोर्ट को होता था लेकिन मैजिस्ट्रेट्स के यहां जो ट्रायल होते हैं उन के रिवीजन और अपील का अधिकार सेशन जज को दिया गया है । प्रस्तुत के सेक्शन ४३५ के शब्द "सेन्टेन्स और आर्डर" शब्द प्रयोग है । लेकिन अन्तिम दो लाइनों को आप देखें तो आप को पता चलेगा कि उसमें "सेन्टेन्स" शब्द का तो प्रयोग किया गया, लेकिन "आर्डर" शब्द का प्रयोग नहीं अर्थात् रिवीजन सेन्टेन्स के खिलाफ तो हो सकता है लेकिन अगर रिवीजन कराने

वाला अदालत के सामने यह मूव करे कि ताफैसला लोअर कोर्ट के फैसले का निफाज न किया जाय, तो उसका अधिकार सेशन अदालत को नहीं है। उसको स्टे किया जाय। इस स्थिति के कारण एक विचित्र समस्या उपस्थित हुई है। अगर "सेन्टेन्स"—शब्द के साथ "आर्डर" शब्द जोड़ दिया जाय तो यह समस्या हल हो सकती है। फौजदारी में दो ही चीजें हो सकती हैं। "सेन्टेन्स" के माने यह होते हैं कि इम्प्रिजनमेन्ट या जुर्माना, लेकिन समरी ट्रायल के अपील या रिवीजन सुनने का अधिकार सेशनकोर्ट को नहीं होता। हाईकोर्ट ही उसमें इन्टरफिअर कर सकता है। सेशनकोर्ट को अरेलेट अधिकार सिर्फ ५० रुपये तक जुर्माने का है। अगर किसी आदमी के ऊपर ४९ रु० फाइन हो गया तो उसकी रेमेडी हाईकोर्ट में ही हो सकती है। अगर एक आदमी ने चोरी की और उसके पास कुछ प्रापर्टी मिली। कोर्ट ने चोर को छोड़ दिया। लेकिन साथ ही साथ उसने आर्डर दिया कि प्रापर्टी को भी उसको लौटा दिया जाय। ऐक्विटल के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील हो सकती है। लेकिन एक रिवीजन का भी हमें राइट है। हम सेशन कोर्ट में मूव करें कि इस चोर के खिलाफ मैं अपील कर रहा हूं और ताफैसला अपील डिलिवरी आफ प्रापर्टी को रोक दिया जाय, अगर चोर को प्रापर्टी की डिलिवरी किसी लोअरकोर्ट की आज्ञानुसार दे दी गई तो चोर उस प्रापर्टी को ले कर भाग जायेगा। उसके बाद कोई रेमेडी नहीं रह जाती। इस लिये मेरा सिर्फ एक २१०२ का संशोधन है। मैं समझता हूं कि इस पार्लियामेन्ट का यह सबसे पहला और सबसे छोटा संशोधन है। यह संशोधन है कि "सेन्टेन्स" शब्द के बाद "आर्डर" शब्द और जोड़ दिया जाय।

मैं आपको बताऊंगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो व्यू लिया है वह श्री हरिश्चन्द्र साहब की सिंगल बेंच में लिया गया है। अब तक सेशन जज यह कहते थे कि मान लिया सेन्टेन्स नहीं है, कोई आर्डर है, जैसे १४५ का आर्डर है कि अटैचमैन्ट किया जाय जिसे लोअरकोर्ट ने जारी कर दिया। मैं ऐग्रीव्ड हूं। मैं इस अटैचमेन्ट आर्डर के खिलाफ यह मूव कर सकता हूं कि यह रांगफुल अटैचमेन्ट हुआ है लिहाजा इसे हटाया जाय। लोअरकोर्ट ने कोई आर्डर पास कर दिया तो उस आर्डर के खिलाफ मैं सेशन जज के यहां मूव कर सकता हूं, चूंकि लोअर कोर्ट का आर्डर ठीक नहीं है इसलिये जब तक सेशन कोर्ट का फैसला उस पर न हो जाय तब तक लोअर कोर्ट की आज्ञा को स्टे किया जाय। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो रूलिंग हुई है जिसमें कि कलकत्ता हाई कोर्ट की सन् १९४९ की रूलिंग का हवाला दिया गया है, उसके कारण यह समस्या उपस्थित हुई कि कोई भी लोअर कोर्ट अगर कोई आर्डर पास कर देता है तो उस के खिलाफ सेशन कोर्ट स्टे आफ प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकता। उस आर्डर के खिलाफ कोई सुनवाई करने का अधिकार उसको नहीं होता। अगर कोई अधिकार होता है तो सिर्फ रिवीजन के सम्बन्ध में। अगर उसका कोई केस आत

[श्री रघुनाथ सिंह]

है तो वह उसको सुन सकता है। अब मैं आपको मिसाल दूं। जिन केसों में अपील होती है उनमें यह समस्या उपस्थित नहीं होती। क्योंकि सेशन कोर्ट को यह हक है कि अपेलेट केस में अगर वह चाहे तो आर्डर पास कर सकता है, स्टे आफ सेन्टेन्स कर सकता है। स्टे आफ दि फाइन कर सकता है। स्टे आफ दि अटैचमेन्ट कर सकता है। लेकिन सबसे विकट समस्या उस समय पैदा होती है जिसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूं। हमारे यहां १०० सी० आर० पी० सी० की एक धारा है इसके अन्दर बहुत दिक्कत पैदा हो जाती है। मैं लोअरकोर्ट के वकील के प्वाइंट आफ व्यू से बात कर रहा हूं। जिस जगह पर बड़ी मुश्किल पड़ती है। उसी की तरफ मैं आपकी दृष्टि ले जाना चाहता हूं। दफा १०० के माने हैं कन्फाइनमेन्ट। अगर किसी आदमी को कोई आदमी रोक ले तो होता यह है कि मैजिस्ट्रेट के सामने ऐग्रीव्ड पर्सन जाता है कहता है कि फलां आदमी ने फलां आदमी को रोक लिया है। वह आदमी फलां स्थान पर है। लिहाजा हमें सर्च वारन्ट दिया जाय ताकि हम उसे कोर्ट के सामने ला सकें। यू० पी० में इस तरह के केसेज स्त्रियों के सम्बन्ध में या ऐब्डक्शन के सम्बन्ध में होते हैं। जैसे कोई भगाई हुई स्त्री हो, उसके सम्बन्ध में यह होता है कि लोअरकोर्ट में यह मूव कर दिया जाता है कि सेक्शन १०० के अन्दर वारेन्ट दिया जाय ताकि स्त्री को लाया जा सके। लेकिन अगर लोअरकोर्ट ने रांगफुल आर्डर, जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, दे दिया, तो सेशन कोर्ट में मूव कर के वहां से कोई रेमेडी नहीं पाई जा सकती।

एक स्त्री बेचारी है वह पकड़ कर आती है और आने के पश्चात् लोअरकोर्ट उस को आर्डर कर देता है कि जब तक कि फैसला न हो तुम अनाथालय में रहो, या अपने पिता के पास रहो, या अपने किसी सम्बन्धी के पास रहो, तो उस बेचारी गरीब क्लायेंट को, जिसको अब तक सेशन कोर्ट में रेमेडी प्राप्त थी, हाईकोर्ट जाना पडेगा। आप समझ सकते हैं कि किसी गरीब के लिये हाईकोर्ट में जाना, जहां पर कि १०० रु० तो सिर्फ वकील की फीस है, फिर कोर्ट फीस है, कितना मुश्किल है। एक छोटी सी चीज के लिये जिसे सेशन कोर्ट कर सकता है, और जिसके लिये बहुत से हाई कोर्ट्स जैसे लाहोर हाईकोर्ट, नागपुर हाईकोर्ट, बम्बई हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट, इन सबका व्यू है कि सेशन कोर्ट को यह हक है कि वह आर्डर के खिलाफ स्टे आर्डर पास कर सकें और गरीब मोवक्किल को हक है कि वह सेशन कोर्ट से रेमेडी पाये उसके लिये उस गरीब को उत्तर प्रदेशादि स्थानों में हाईकोर्ट में जाना पड़ेगा। इलाहाबाद और कलकत्ता हाई कोर्ट्स की रूलिंग की वजह से वह दिक्कत पैदा होती है कि जो चीज सेशन कोर्ट से हो सकती है उसके लिये हमको हाईकोर्ट जाना पड़ता है।

दूसरी मिसाल मैं दूं। धारा १३३ में नुइसेन्स के केस होते हैं। नुइसेन्स के केस

में ज्यादातर क्या होता है ? वे केसेज ऐसे होते हैं। जैसे कि मेरा घर है मेरे पड़ोसी का घर है। मैंने अपने घर में से नाली निकाली उस से पानी बह रहा ह या कोई नाले का पानी है उस पानी को मैंने रोक दिया। मेरे पड़ोसी ने अदालत को मूव कर दिया। धारा १३३ के अन्दर जब मैं अदालत के सामने जाता हूं तो अदालत यह आर्डर इशू कर देती है कि जो नाली है या परनाली है, जिस से कि पानी जाता है, उसे बन्द कर दिया जाय।

अदालत के आर्डर से मेरे मकान की नाली बन्द हो गई। परनाला बन्द हो गया। उसके जरिये जो पानी जाता था वह भी बन्द हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूं ! जो हमारा पानी जाना बन्द हुआ तो उस से मेरे आँगन में पानी भरना शुरू हो गया। पाखाने में पानी भरना शुरू हो गया। औलती का पानी जाना बन्द हो गया। अब मेरे सामने एक ही चारा रह गया कि मैं हाईकोर्ट जाऊं। अब तक यह होता था कि दफा १३३ के मातहत नुइसेन्स के केसेज में चूंकि रिवीजन का राइट है, इसलिये हम सेशनकोर्ट के पास जा सकते थे। कह सकते थे कि जब इस मुकदमे का फैसला न हो तब तक जो हमारी नाली का पानी जाता है औलती का पानी जाता है। वह चालू रहे इस में कोई नाजायज चीज नहीं थी। लेकिन हाईकोर्ट को रूलिंग के कारण अब यह बात नहीं हो सकती।

इसके बाद दफा १४५ को देखिये। यह सेक्शन ऐसा है कि शायद बहुत कम आदमी हिन्दुस्तान में ऐसे होंगे जो कि इस के दायरे में न आये होंगे। सिविल कोर्ट से कोई रेमेडी न ले कर फौजदारी के द्वारा किसी चीज की रेमेडी प्राप्त करने का यह एक जरिया है। जैसे एक खेत है। खेत जोतने का समय आ गया। हम जून में खेत जोतते हैं या मान लिजिए कि असाढ़ में धान का बीज बोने का समय आ गया, लेकिन एक एक आदमी ने दफा १४५ में लोअरकोर्ट में एक इस्तगासा दायर कर दिया इस खेत का मालिक यह है। इसको वह जोतता है लिहाजा इसे जोतने का अधिकार होना चाहिए। लोअरकोर्ट ने आर्डर दे दिया कि जब तक कि मुकदमे का फैसला न हो जाए खेत अटैच्ड रहे। आप समझ सकते हैं कि अभी तो धान बोने का समय है। पानी बरस रहा है। अगर इस में दस दिन की भी देरी हो जाये तो खेत बिल्कुल बेकार हो सकता है। लेकिन कोर्ट ने तो आर्डर दे दिया कि खेत अटैच हो गया, इस के खिलाफ हम क्या कर सकते हैं ? इस के खिलाफ हम जायेंगे हाईकोर्ट। एक बीघा खेत में कुल २० रुपये का तो धान पैदा होगा, और हाईकोर्ट जाने के वास्ते हमको २०० रु० खर्च करना पड़ेगा। साथ में जब तक हम वहां पहुंचेगे, और वहां से स्टे आर्डर ले कर आयेंगे तब तक खेत को बोने का समय समाप्त हो जायेगा।

श्री बी० एन० मिश्र (बिलासपुर–दुर्ग–रायपुर) : यह आपका कहना कब के लिए है ? क्या अमेंडमेंट के बाद भी ?

श्री रघुनाथ सिंह : जस्ट टुडे। अभी तो वही ला है। मेरे सामने इलाहाबाद हाईकोर्ट की १९५३ की रूलिंग सेक्शन १४५ के बारे में है। एक कस में लोअर-कोर्ट ने किसी प्रापर्टी के अटैचमेंट का

[श्री रघुनाथ सिंह]

आर्डर दिया। उस शख्स ने सेशन्ज कोर्ट को मूव किया कि यह आर्डर गलत है। इसलिए इसको स्टे किया जाए। वहां से यह केस हाईकोर्ट तक गया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने होल्ड किया कि चूंकि इस में "आर्डर" शब्द नहीं है, इस लिए सेशन को अधिकार नहीं है इसको स्टे करे। फल यह हुआ है कि सेक्शन १४५, जो कि एक साधारण सा सेक्शन ह और जिसका सम्बन्ध हर लिटीगेंट से रोज पड़ता है, के लिए लोगों को हाई कोर्ट तक जाना पड़ेगा। हमारे लायक दोस्त ने अभी कहा है कि सी० आर० पी० सी० में एक नई अमेंडमेंट हुई है कि इस बारे में सिविल कोर्ट को रेफर किया जायगा। लेकिन वह अमेडमेंट अभी हमारे सामने कानून रूप में नहीं आया है। आज स्थिति यह है कि लोअर कोर्ट्स प्रति दिन आर्डर्ज पास करती है।

इसी तरह मान लीजिए कि हमने एक डाके का इस्तगासा दायर किया और कहा कि हमारे यहां डाका पड़ा है और उसमें हमारे जेवरात चले गये हैं। पुलिस केस नहीं चलाना चाहती है, मातहत अदालत में इस्तगासा दाखिल होता है। लोअर कोर्ट उस कम्पलेंट को ले लेती है। उस पर विचार करने के बाद उस को खारिज कर देती है। जैसा कि अस्सी परसेंट प्राईवेट कम्पलेंट्स में होता है। वह आर्डर पास कर देती है कि "एक्यूज्ड डिस्चार्ज्ड प्रापर्टी शुड वी डिलिवर्ड टु दैम" अर्थात एक्यूज्ड को छोड़ दिया जाए और प्रापर्टी—जेवरात— लौटा दिए जायें। सी० आर० पी० सी० में यह भी प्राविज़न है कि सेशन्ज कोर्ट में इसके विरुद्ध रिविज़न का अधिकार है। लेकिन सेशन्जकोर्ट को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि रिविज़न सुनने तक वह हमारी प्रापटी को—हमारे जेवरात को —रोक ले, जो कि डकैत के घर से रिकवर हुए हैं। इसका फल यह होता है कि रिविजन का फैसला जो कुछ भी हो, हमारे जेवरात वापिस चले जायेंगे और डाकू उसे खा जायेंगे। इन बातों को दृष्टि में रखते हुए यह संशोधन बहुत ही आवश्यक है।

एक सैक्शन में आपके सामने और रखूंगा और वह है सैक्शन १४४। यह एक ऐसा सैक्शन है, जिसका इस्तेमाल बहुत होता है। मिसाल के तौर पर समझ लीजिए कि एक गांव में चार आदमी रहते हैं। उनमें से एक यह एप्लिकेशन दे देता है कि ये लोग रात को मेरे घर में डाका डालना चाहते हैं और मुझ को इन से जानो—माल का डर है और नुक्से—अमन का खतरा है, लिहाजा इन लोगों के उपर कार्यवाही की जाये। उस स्थिति में होगा क्या? जो इस तरह के आर्डर होते हैं, वे एक्स—पार्टी आर्डर होते हैं, इसलिए उन्होंने सैक्शन १४४ के मातहत आर्डर इशू कर दिया— चाहे वा लाफुल हो या अनलाफुल। बाकी तीन आदमी लोअर कोर्ट को मूव करते हैं कि जो आर्डर इशू किया गया है, वह रौंग है उस पर विचार किया जाय। लोअरकोर्ट नहीं मानती है। तब वे सेशन्ज कोर्ट में जा सकते हैं—रिविज़न कर सकते हैं और रिवीजन का फैसला साल भर से पहले नहीं होता है। अगर वह खुदा-न-ख्वास्ता हाईकोर्ट तक पहुंच जाये, तब तो तीन साल से पहले फैसला

नहीं होता है। इस प्रकार के न्याय से कोई फायदा नहीं होता। लिहाजा अगर हम सैशन्ज जज को अपील और रिविजन का राइट देते हैं, तो उनको सेन्टेन्स के सस्पेंशन के साथ ही साथ अर्डर स्टे करने का भी राइट देना चाहिए। मैं समझता हूं कि हमारे सेशन्ज जज साहबान इतने नालायक नहीं हैं कि वे लोअर कोर्ट्स द्वारा पास किए गए आर्डर्ज के विषय में फैसला न कर सकें। आज सैशन्ज़ जज हैंग कर सकता है और काले पानी की सज़ा दे सकता है, लेकिन उस को लोअरकोर्ट्स द्वारा पास किए आर्डर्ज़ को स्टे करने का अधिकार नहीं है। हम समझते हैं कि हमारे हिन्दुस्तान की जुडिशरी बड़ी इम्पार्शियल है और उसने बहुत अच्छा काम किया है और इसके लिए सारे हिन्दुस्तान को गर्व है। मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस संशोधन को अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिए।

मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल रखूंगा। आपने देखा होगा कि हमारी पार्लियामेंट में सवाल नम्बर ४२० पूछते समय "चार सौ बीस" का उच्चारण करने में लोग हिचकते हैं। सैक्शन ४०६ से ले कर सैक्शन ४२० तक के सैक्शन्ज एम्प्रेजन्मेंट आफ प्रापर्टी और मिस-एप्राप्रिएशन आफ प्रापर्टी के बारे में हैं। मान लीजिए कि हमने एक कम्पलेंट फाइल की कि हमने इतना सोना फलां आदमी को रखने के लिए दिया उसने उसमें अमानत में खयानत की है, लिहाजा वह हम को वापिस दिलाया जाए या यह समझ लीजिए सभानेत्री जी, कि आप अपनी सोने की चेन—सोने की संकली—किसी सुनार को ठीक करने के लिए देती हैं और वह सुनार उसे न दे, तो आप क्या करेंगी ? करना यह होगा कि सैक्शन ४०६ से ले कर सैक्शन ४२० तक के मातहत कम्पलेंट फाइल करनी होगी कि सुनार मेरी चेन को वापिस नहीं करता और उसे "खा" जाना चाहता है। आपने कम्पलेंट फाइल की और आपकी वह सोने की चेन कोर्ट में आ गई। आप समझती हैं और कोर्ट भी समझती है कि वह चेन आपकी ही है, लेकिन केस में कोई लैकुना रह गया और कोर्ट ने फैसला कर किया "दि केस इज नाट प्रूव्ड। दि एक्यूज्ड इज डिस्चार्ज्ड एंड दी प्रापर्टी वी डिलिवर्ड"। अब आप के पास क्या रेमेडी है ? एक्यूज़ड छोड़ दिया प्रापर्टी उसको दे दी गई। आप की सोने की चेन उसके पास चली गई। आपके पास सिर्फ एक ही राइट है कि आप उसके डिस्चार्ज के खिलाफ सैशंस कोर्ट को रिविजन के लिए मूव कर सकती हैं और कह सकती हैं कि यह आदमी जो डिस्चार्ज हुआ है यह रौंगफुल डिस्चार्ज है और यह सोने की चेन मेरी है, इसलिए इस केस को देखा जाए और इस पर चार्ज लगा कर इस का फैसला किया जाए। लेकिन इसी अर्से में सोने की जो चेन है वह तो उसको लेकर गायब हो गया और सैशंज कोर्ट को चाहे आप के साथ पूरी सहानुभूति है और वह समझती है कि आप इमानदारी के साथ कोर्ट में आई हैं लेकिन फिर भी वह मजबूर है। एक्यूजड साहब तो बेनिफिट आफ डाउट में छूट गए, और इसके लिए अगर कोई रेमेडी है तो वह एक ही है कि आप रिविज़न फाइल करें और साल के बाद या दो साल के बाद उसकी बारी आए और तब तक आप इंतजार करें।

इन शब्दों के साथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप कृपा करके इस संशोधन को स्वीकार करें।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री क चन्द (अम्बाला-शिमला) : यह विधेयक एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है जो कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की कुछ एक त्रुटियों को दूर करना चाहता है । साधारण जनता की यही धारणा है कि दण्ड-न्यायालयों का मुख्य रूपसे यही कार्य है कि अपराधी को दण्ड दिया जाए और निर्दोष को मुक्त कर दिया जाए ।

परन्तु दण्ड-न्यायालयों के इसके अतिरिक्त कई और संपूरक कर्तव्य भी हैं, परन्तु उन्हें कार्यान्वित करने के लिए दण्ड-न्यायालयों को विशेष अधिकार देने होंगे ।

पूर्ववक्ता ने इसके सम्बन्ध में कई उदाहरण दिए हैं । वह धारा ४३५ को संशोधित करना चाहते हैं । यह धारा, वर्तमान रूपमें, कई न्यायालयों के अधिकारों को सीमित कर देती है । धारा ४३५ के अनुसार तो एक दण्ड-न्यायालय भी एसे कार्य करती है, जैसे कि कोई दीवानी न्यायालय हो । उदाहरणार्थ मत लीजिए कि आपके गहने चोरी हो गए हैं और किसी ऐसे व्यक्ति के पास पाए जाते हैं जिसने वास्तव में उन गहनों को नहीं चुराया है तो ऐसी स्थिति में दण्डाधीश उस अभियुक्त को मुक्त कर देगा । परन्तु उन गहनों का क्या होगा ? वह दण्डाधीश वे गहने आपको नहीं दिला सकता आप भले ही प्रमाण दें कि वे गहने आप के हैं और ऐसा प्रमाणित भी हो जाए, तथापि उसे ऐसे अधिकार प्राप्त नहीं हैं कि उन गहनों को सुरक्षित रूपसे रख सके । इसीलिए तो मेरे मित्र ने यह संशोधन प्रस्तुत किया है जिससे यह त्रुटि दूर की जा सके, और इस अन्याय को रोका जा सके ।

अब दूसरा उदाहरण लीजिए । धारा ४८८ के अधीन दण्डन्यायालय, निज पत्नी से अच्छा व्यवहार न करने वाले पति को गुजारे के लिए आदेश दे सकता है । हो सकता है कि पति तो नारी के साथ अच्छा व्यवहार करता है परन्तु नारी स्वयं दोषी है । इसके विरुद्ध पति केवल उच्च न्यायालय में ही अपील कर सकता है । इस दौरान में यदि नारी उसकी सम्पत्ति की कुर्की करा दे और उसे नीलामी पर बिकवाने लगे, तो भी उस बेचारे का कुछ नहीं बन सकता । वह भले ही सत्र न्यायाधीश के सामने जाकर अपील करे कि वह निर्दोष है और उसकी सम्पत्ति को नीलाम होने से बचाया जाए, परन्तु वह न्यायाधीश असमर्थ है, वह उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता ।

इसी प्रकार से धारा १३३ को लीजिए यदि कोई व्यक्ति केवल ईर्ष्यावश अपने किसी पड़ोसी के विरुद्ध यह मुकदमा चला देता है कि उसने एक अवैध दीवार बनायी है अथवा कोई कोठी बना ली है । तो न्यायालय बिना उसकी जांच किए ही ऐसा आदेश दे देगा कि उस दीवार अथवा कोठी को गिरा दिया जाए । वह निर्दोषी उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करेगा । परन्तु उसके निर्णय में तो बड़ी देर लग जाती है । यदि इस दौरान में उस दीवार अथवा कोठी को गिरने से बचाने के लिए वह सत्र न्यायालय में अपील करे कि जब तक उच्च न्यायालय निर्णय नहीं देता तब तक इस दीवार को न गिराया जाए, तो भी उस न्यायाधीश के पास ऐसे अधिकार नहीं हैं । वह असमर्थ है, उसकी सहायता नहीं कर सकता

इसी प्रकार से मान लो कि कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करके उसे भगा देता है । वह अपने पिता के घर जाकर शरण प्राप्त करती है । अब यदि पति न्यायालय में जाकर यह बयान देदे कि उस पिता ने लड़की का अपहरण करके उसे घरमें रोक रखा है, तो न्यायाधीश पिता के घर की तलाशी लेने के सम्बन्ध में एकदम आदेश लिख देगा। यदि वह बेचारा पिता किसी उच्च न्यायालय में जाकर इसके सम्बन्ध में अपील करे कि उसके घर की तलाशी न ली जाए, तो न्यायाधीश यही कहेगा कि मैं मानता हूं कि आप निर्दोष हैं तो भी मेरे पास ऐसे अधिकार नहीं हैं जिससे मैं आपकी सहायता कर सकूं ।

इसी प्रकार के मामले धारा १४५ के अर्न्तगत भी आते रहते हैं ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपने भाषण को कल जारी रखेंगे ।

इस के पश्चात् लोक-सभा, शनिवार, ३० अप्रैल, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थागित हुई ।

GIPD—HS—734 LSD—27-7-55—००८